खण्ड-211, अंक-1
बुधवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(9 मार्च, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 211 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ९ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उलफ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह, विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर , श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अथमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमी सिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री

सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिशचन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:--सार्वजनिक निर्माण, उपमंत्री, श्री महाबीरसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ९ मार्च, १९६०

तारांकित प्रश्न

[विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत]

*१—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[हटा दिया गया।]

[९ मार्च, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पंचायत इंस्पेक्टरों को अधिक समय तक एक स्थान पर न रखने का सुझाव

*१—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके ऐसे आदेश हैं कि पंचायत इंस्पेक्टर एक स्थान में तीन साल से अधिक समय तक नहीं रह सकते ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—जी नहीं।

*२—श्री गनेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि पंचायत इंसपेक्टर्स बिला किसी कारण के लगातार एक स्थान पर तीन साल से अधिक न रहने पाया करें ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक ऐसा किया गया है कि वह साधारणतया ५ वर्ष से ज्यादा किसी एक स्थान पर न रहें।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार बतायेगी कि जो पंचायत इंस्पेक्टर जिस जिले के रहने वाले हैं वह अपने ही जिले में उस जगह पर कार्य कर सकते हैं ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां, कर सकते हैं, लेकिन आदेश ऐसे दे दिये गये हैं कि वह अपने निवास के जिले में न रखे जायं।

हस्तिनापुर नगर प्रशासन कार्य

*३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हस्तिनापुर नगर के प्रशासन को राज्य सरकार ने कब से अपने हाथ में ले लिया है ?

श्री जयराम वर्मा—हस्तिनापुर नगर के प्रशासन को राज्य सरकार ने ७ मार्च, १९५९ से अपने हाथ में ले लिया है ।

*४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हस्तिनापुर नगर के प्रशासन के लिये किसी विकास बोर्ड की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो उक्त बोर्ड के कौन-कौन सदस्य और प्रेसीडेन्ट हैं ?

श्री जयराम वर्मा—हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम १९५४ (उ० प्र० अधिनियम सं० १४, १९५५ ई०) की धारा ३ की उपधारा (१) तथा उक्त अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) के अन्तर्गत हस्तिनापुर नगर विकास मंडल की स्थापना की गयी है । निम्नांकित व्यक्ति उसके चेयरमैन तथा सदस्य हैं ।

(१) आयुक्त मेरठ खंड मेरठ	..	.. चेयरमैन
(२) श्री एम० जे० श्रीवास्तव, भारत सरकार के पुनर्वासन विभाग के अनुसचिव	..	.. सदस्य
(३) श्री पी० आर० कृष्णामूर्थी भारत सरकार के पुनर्वास विभाग के सहायक वित्तीय परामर्शदाता	..	.. सदस्य
(४) श्री एम० समीउद्दीन, राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के संयुक्त सचिव	..	.. सदस्य
(५) जिलाधीश, मेरठ	..	.. सदस्य

*५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस समय भारत सरकार ने हस्तिनापुर नगर का प्रशासन राज्य सरकार के सुपुर्द किया उस समय दोनों सरकारों में प्रशासन के निमित्त आर्थिक सहायता दिये जाने के समझौते की मुख्य-मुख्य शर्तें क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—हस्तिनापुर नगर के प्रशासन के निमित्त आर्थिक सहायता दिये जाने के समझौते की मुख्य-मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:—

भारत सरकार राज्य सरकार को निम्नलिखित आर्थिक सहायता नगर के प्रशासन सम्पत्ति की देखभाल (maintenance) म्युनिसिपल सेवायें इत्यादि पर आय तथा (recurring) खर्च के बीच की कमी की पूर्ति के हेतु देगी:—

१९५९–६०—नगर की आय तथा व्यय के बीच की कमी की पूर्ति के हेतु पूरा धन जो ७६,००० रु० से अधिक न हो ।

१९६०–६१—७६,००० रु० या नगर की आय व्यय के बीच की वास्तविक कमी का ८० प्रतिशत जो भी कम हो ।

१९६१–६२—७६,००० रु० या नगर की आय तथा व्यय के बीच की वास्तविक कमी का ६० प्रतिशत जो भी कम हो ।

१९६२–६३—७६,००० रु० या नगर की आय तथा व्यय के बीच की वास्तविक कमी का ४० प्रतिशत जो भी कम हो ।

१९६३–६४—७६,००० रु० या नगर की आय तथा व्यय के बीच की वास्तविक कमी का २० प्रतिशत जो भी कम हो ।

१९६४-६५--कोई आर्थिक सहायता नहीं ।

(१) उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त नगर के संबंधी और कोई व्यय भारत सरकार वहन नहीं करेगी ।

(२) उपर्युक्त धन का व्यय भारत सरकार की संपत्ति जो नगर में है जैसे स्कूल की इमारत बस स्टैंड, प्रशासकीय इमारतें इत्यादि तथा मकानों की देखभाल (maintenance and upkeep) पर भी किया जायगा । इस संबंध में भारत सरकार कोई अतिरिक्त धन नहीं देगी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हस्तिनापुर नगर प्रशासन कार्य को जिले से सम्बन्धित न किये जाने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--श्रीमन्, कारण तो यही है कि वहां पर अभी नुकसान होगा और वह सरकार से लिया जाता है इसलिए वहां पर किसी अन्य को नहीं दिया गया ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अनुपूरक बजट १९५९-६० के अनुदान संख्या ४१, पृष्ठ ४० में स्पष्ट लिखा गया है कि भारत सरकार केवल तीन साल तक ही राज्य सहायता देगी जब कि उत्तर में पांच साल राज्य सहायता प्राप्त होगी बताया गया है, तो इसके बदल जाने का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसका विशेष कारण बिना देखे मैं नहीं बता सकूंगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या यह सही है कि यहां के प्रबन्ध में काफी रुपयों की गड़बड़ी थी और उस गड़बड़ी की कोई जांच-पड़ताल भी हो रही थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सूचना की जरूरत होगी ।

लड़कियों और महिलाओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम का कार्यान्वयन

*६--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में लड़कियों और महिलाओं के अनैतिक व्यापार के दमन व उन्मूलन हेतु बनाये गये कानून के कार्यान्वयन की क्या प्रगति है ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)--वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९९ पर)

*७--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**--क्या यह सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अनैतिक व्यापार से जिलावार कितनी लड़कियों व महिलाओं का उद्धार किया गया ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--अब तक केवल ३७ जिलों से सूचना प्राप्त हो सकी है जिनमें से निम्नलिखित ७ जिलों में कुल ३१९ लड़कियों और महिलाओं का उद्धार किया गया है:--

(१)	लखनऊ	५३
(२)	मेरठ	६०
(३)	अल्मोड़ा	९५
(४)	कानपुर	८६
(५)	वाराणसी	६
(६)	देहरादून	११
(७)	गाजीपुर	२
	योग ..	३१९

*८---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार ने उन्हें फिर से जीवन नये ढंग से शुरू करने व जीविकोपार्जन के लिये कुछ आर्थिक या और किसी भी प्रकार की सहायता देने का विधान रखा है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या इस दिशा में सरकार कुछ करने का विचार करेगी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---जी नहीं, परन्तु न्यायालय के आदेशानुसार अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत बरामद की गई लड़कियों के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित "प्रोटेक्टिव होम्स" में रख दिया जाता है तथा उनके पुनर्वास के लिये उन्हें सामान्य शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निकट भविष्य में प्रदेश के जिलों में यह अधिनियम लागू किया जायगा ? यदि हां, तो कब और कहां-कहां पर ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---वैसे तो अधिनियम की धारा १ पहले सभी जिलों में लागू की गयी थी और उसके बाद अधिनियम की शेष धाराएं भी सब जिलों में लागू की गयी । लेकिन इसको कार्यान्वित करने के लिए बहुत बड़े व्यय की जरूरत पड़ती है और कुछ और भी कठिनाइयां होती हैं जैसे स्पेशल पुलिस अफसरों की नियुक्ति । उसकी वजह से, कठिनाइयों को देखते हुए और व्यय को देखते हुए धीरे धीरे इसको जिलों में लागू करने का विचार है । अभी ६ जिलों में इसको कार्यान्वित किया गया है । अब इस समय हमारे विचाराधीन ९ जिले और हैं जिनमें कि इस अधिनियम को कार्यान्वित किया जायगा । उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे और कहीं से अर्थ लाभ होगा और जिलों में कार्यान्वित करने की चेष्टा करेंगे ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचों महानगरियों में यह लागू कर दिया गया है या नहीं और अगर किसी महानगरी में नहीं लागू किया गया है तो वह कौन सी है और आगे जो नौ जिले लेना चाहते हैं उनमें महानगरियों को सम्मिलित करने की योजना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अब तक यह केवल लखनऊ महानगरी में कार्यान्वित किया गया था । जो शेष चार महानगरियां हैं उनमें कार्यान्वित करने के लिए जो ९ जिले इस साल विचाराधीन है, उनमें यह शेष चारों महानगरियां हैं ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ३१९ लड़कियों का उद्धार किया गया उनमें से, जिन लोगों ने उन लड़कियों को बेचा था, कितनों को सजा दी गयी और कितने पकड़े गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसकी तो सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी को यह पता है कि जिन ३१९ लड़कियों के बारे में जिक्र किया गया है, उनके बारे में यह भी कोई सर्वेक्षण करवाया है कि किन कारणों से उन्हें अनैतिक व्यापार करने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---विभाग की ओर से तो कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है, लेकिन वैसे यूनिवर्सिटी में और कुछ और दूसरे विद्यालयों में और कुछ दूसरी संस्थाओं में इस प्रकार के आमतौर से सर्वेक्षण हुए हैं और उससे कुछ थोड़े से परिणाम निकाले गए हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ३१९ महिलायें या लड़कियां पकड़ कर के प्रोटेक्टेड होम्स में रखी गई हैं उनमें से कुछ ने हाई कोर्ट में अपने पकड़े जाने के खिलाफ कोई रिट या मुकदमा भी दायर किया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, सही है ।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि प्रदेश के सभी जिलों में से अधिक लड़कियों के बेचने का व्यापार देवरिया और गोरखपुर के जिलों में होता है ? यदि हां, तो इस बात का कोई आधार रखा गया है कि यह जो होम खोले जायें वह कैसी जगहों पर खोले जायं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह गोरखपुर और देवरिया के बारे में कोई इत्तला मुझे नहीं थी। आज माननीय देवरिया के सदस्य ने बतलाया है तो इसके सम्बन्ध में विचार करूंगा और जहां तक प्रोटेक्टिव होम्स का प्रश्न है तो वह गोरखपुर में तो स्वयं एक होम है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय समाज सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब तक जिन लड़कियों का उद्धार किया है उनके जीवन को नये ढंग से बिताने का प्रबन्ध नहीं किया जायगा तब तक वे क्या करेंगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सही है। उसी की कोशिश में है। ये जितने प्राटेक्टिव होम्स हैं इन सबमें भी एक प्रकार का कुछ प्रशिक्षण देने की योजना है और उस प्रशिक्षण के लिए जो कार्य किया जाना चाहिए था वह सम्पन्न हो चुका, पूरा हो चुका है। दूसरे जो एक स्टेट होम देहरादून में है उसमें वह यहां से भेज दी जाती हैं और वहां पर भी कुछ इसी प्रकार की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--बड़ी देर के बाद आपकी आंख कैच कर पाया श्रीमन्, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की जो छः लड़कियों के उद्धार की बात बताई गई है उसमें टांडा जिला फैजाबाद की भी कोई लड़की थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस समय तो सूचना नहीं है मेरे पास।

बन्दियों की अपराधी मनोवृत्तियों में सुधार करने पर विचार

*९--**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)--कारागारों में सुधार सम्बन्धी ३० दिसम्बर १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के क्रम में क्या समाज सुरक्षामंत्री बताने कृपा करेंगे कि कैदियों के रहन-सहन में सुधार करने के अतिरिक्त क्या सरकार मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपराधी कैदियों की अपराधी मनोवृत्तियों का पता लगाकर उनकी अपराधी मनोवृत्ति में सुधार करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--जी हां, यह समस्या सरकार के ध्यान में है।

*१०--**श्री मुक्तिनाथराय**--यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--अभी कोई निश्चित योजना नहीं बनी है। सरकार इस समस्या पर समुचित विचार करने के लिए सामग्री एकत्रित कर रही है। इसके बाद ही कोई निश्चित कार्यक्रम निर्धारित किया जा सकता है।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या समाज कल्याण मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार किस प्रकार की सामग्री एकत्रित कर रही है और यह सामग्री कब तक एकत्रित हो जायगी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--इस विषय में आई० जी० प्रिजन से कई किस्म की बातें पूछी गई है ताकि कोई एक योजना बनाई जा सके। अगर आप जानना चाहें तो क्या पूछा गया है इस पर भी मैं प्रकाश डाल सकता हूं। इसके अलावा सरकार का विचार यह भी है कि एक जेल इवैल्यूएशन कमेटी बनायी जाय, वह भी इस बात पर विचार करे। यह सब जब एकत्रित हो जायगा तभी इस पर कार्य रूप में कोई कार्य किया जायगा।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जेल मैन्युअल में जो संशोधन होने वाला था वह कब तक हो जायगा ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--जेल मैन्युअल के बारे में माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से एक कमेटी उसमें विचार कर रही है। उसका विचार हमारे पास जब आ जायगा तब उस पर विचार किया जायगा।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि क्या सरकार इस विषय पर भी विचार कर रही है कि जब से कैदियों के रहन-सहन में सुधार हुआ है तब से प्रान्त में जुर्मों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस प्रकार की एक विचारधारा है और मैं उस विचार-धारा से सहमत नहीं हूं।

*११-१२--**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)--[२३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

अर्द्ध कुम्भी मेला, इलाहाबाद में दी गई टीन

*१३--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के अर्द्ध-कुम्भी के मेले में कितनी टीन सरकार ने मेला एरिया के लिये सप्लाई की है ?

श्री जयराम वर्मा--५५० टन।

*१४--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अर्द्ध-कुम्भ के मेले में कितने आदमियों को टीन के परमिट कितने-कितने वजन के एक-एक आदमी को दिये गये ?

श्री जयराम वर्मा--२३८ व्यक्तियों एवं संस्थाओं को १/४ टन से ३ टन तक की परमिटें उनकी आवश्यकतानुसार दी गईं।

*१५--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या यह सही है कि बहुत से लोगों ने टीन का परमिट लेने के बाद उसका उपयोग मेले में नहीं किया ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी जांच करवायेगी ?

श्री जयराम वर्मा--जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि यह जो टीन दी गई इसके लिये पहले से सूचना वहां के मेलाधिकारियों को दी गई थी कि यहां ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि इसकी जांच हम लेने वालो के बीच में करेंगे यदि हां, तो उन्होंने इसकी जांच कराई ?

श्री जयराम वर्मा--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ५५० टन टीन जो वहां २३८ आदमियों को बांटी गई, तो वह टीन २ १/२ टन प्रत्येक दुकानदार को बांटी गई। क्या यह सही है कि छोटे-छोटे दुकानदारों को वह टीन नहीं दी गई और बड़े-बड़े ब्लैक मार्केटीयरों को दी गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं।

श्री गेंदासिंह--सरकार को इसमें क्या कठिनाई है कि जब मोहिले साहब को इस बात की शिकायत है और इस बात की जानकारी है कि ऐसी ब्लैक मार्केटिंग हुई तो उसकी जांच करने में क्या दिक्कत है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अगर समय से मालूम होता तो पहले ही रोक लेते सूचना बाद में आई है। अगर जांच की आवश्यकता होगी तो जांच करा लेंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि वहां के मेला अधिकारियों ने सरकार के पास यह लिखकर भेजा है कि मेले में बहुत सी टीन इस्तेमाल नहीं हुई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसके लिये सूचना की जरूरत है।

गोरखपुर नगरपालिका का स्पेशल आडिट

*१६---**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार ने गोरखपुर नगरपालिका के १९५७-५८, १९५८-५९ व १९५९-६० के हिसाब का स्पेशल आडिट कराया है ? यदि हां, तो स्पेशल आडिट का क्या फल हुआ ?

श्री जयराम वर्मा---जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि पिछले वर्षों में गोरखपुर नगरपालिका के हिसाब-किताब का कोई स्पेशल आडिट हुआ है ? क्या इसकी जानकारी सरकार को है और अगर नहीं है तो सरकार इसकी जानकारी प्राप्त करके सदन को सूचना देगी ?

श्री जयराम वर्मा---जी हां, स्पेशल आडिट हुआ है लेकिन इन वर्षों का नहीं हुआ है जिन वर्षों के बारे में प्रश्नकर्ता ने पूछा है। स्पेशल आडिट अप्रैल, ५३ से मार्च, ५६ तक के हिसाब-किताब का हुआ है।

मऊ पालिकाध्यक्ष श्री हिफजुर्रहमान का त्यागपत्र

*१७---**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि मऊ आजमगढ़ के पालिकाअध्यक्ष श्री हिफजुर्रहमान अन्सारी ने त्यागपत्र दिया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे तथा क्या उनका त्यागपत्र मंजूर कर लिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा---जी हां। श्री अन्सारी ने अपने त्याग-पत्र का कोई विशेष कारण नहीं दिया उनका त्याग-पत्र मंजूर कर लिया गया है ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन्होंने अपने त्यागपत्र में अगर कारण नहीं दिया है तो कुछ तो लिखा ही होगा ?

श्री जयराम वर्मा---काम से मुक्ति दी जाय, यही लिखा है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ये प्रध्यक्ष महोदय किस दल से संबंध रखते थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि त्यागपत्र देने के पूर्व वे कोई पत्र सरकार को दे चुके थे वहां की समस्याओं के बारे में लेकिन सरकार ने उस पर विचार नहीं किया ?

श्री जयराम वर्मा---समस्या के बारे में सूचना की आवश्यकता है। यह तो पहले भी वे लिख चुके थे कि वे काम नहीं करना चाहते, लेकिन उस समय उनसे यही कहा गया था कि अगर ऐसा है तो वे कायदे से त्यागपत्र दें। उसके बहुत दिनों के बाद उन्होंने यह त्यागपत्र दे दिया।

नोट---तारांकित प्रश्न १७ श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने पूछा।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि उनके खिलाफ कोई चार्जेज थे जिनसे बचने के लिये उन्होंने त्यागपत्र दे दिया ?

श्री जयराम वर्मा---सूचना की आवश्यकता है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---उक्त अध्यक्ष कितने दिनों तक अपने पद पर काम कर चुके थे ?

श्री जयराम वर्मा---उन्होंने अगस्त ५९ में त्यागपत्र दिया तथा चुनाव के समय से इस वक्त तक काम कर रहे थे।

आजमगढ़ महिला मंगल योजनान्तर्गत कार्य तथा कर्मचारी

*१८---**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिल में महिला मंगल योजना के अधीन इस समय कितने वैतनिक अथवा अवैतनिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---आजमगढ़ जिले में महिला मंगल योजना के अन्तर्गत इस समय १४ वैतनिक तथा २३ अवैतनिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

*१९---**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके लिये कार्यालय और आवास-गृह का निर्माण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक, कितनी लागत से और किन-किन भवनों के निर्माण की योजना है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके लिये कार्यालय और आवास-गृह का निर्माण नहीं हुआ है और किसी प्रकार के भवन निर्माण की योजना भी नहीं है।

*२०---**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला, महिला मंगल योजना के संरक्षण में गत एक वर्ष में कौन-कौन से मुख्य कार्य किये गये हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०० पर)

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि महिला मंगल योजना में जो महिला कर्मचारी काम करती है उनको आवास और गृह प्राप्त करने में पूरी कठिनाई होती है तो उनके लिये बिल्डिंग बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस प्रकार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। इसका कारण धनाभाव है। एक बात और भी है कि यदि इनके आवास के लिये प्रश्न उठे तो फिर कहीं उसका अन्त न हो।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इन महिलाओं को देहात में जाकर काम करना पड़ता है और उनके सामने बड़ी कठिनाई होती है तो सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से इस बात की सिफारिश करेगी कि इनके आवास के लिये रुपया दिया जाय जिससे उनकी दिक्कत हमेशा के लिये मिट सके ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---महिला मंगल योजना के अन्तर्गत उनको गांव में अच्छा आवास मिल जाता है और आमतौर पर ऐसा मिलता है कि जो सुरक्षित हो और जिसमें सम्मानित ढंग से रह सकें । जहां तक तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसी सिफारिश करने का प्रश्न है मैं समझता हूं अब तो उसका समय निकल गया ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में महिला मंगल योजना के प्रति तहसील कितने केन्द्र खुले हुए हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अलग-अलग तहसील की तो सूचना नहीं है, लेकिन जो केन्द्र खुले हुए हैं वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देता हूं---

केन्द्र का नाम	ब्लाक का नाम
१---ठाकुर गांव	दोहरीघाट
२---चिरियादन्त	बदरांव
३---मानिकपुर	बदरांव
४---डांडी	कोपागंज
५---नागपुर	मुहम्मदाबाद
६---कोलिया	रानी की सराय
७---सैथवल	रानी की सराय
८---कनेरी	फूलपुर
९---घनछ्ला	आजमतगढ़
१०---आजमतगढ़	आजमतगढ़

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में जिन महिलाओं को गृह उद्योग की शिक्षा दी गयी है और जो सामानों का निर्माण वहां हुआ है और इस प्रदेश में जो शिक्षा दी जाती है और जो उत्पादन होता है उसको बेचने की और उनको काम दिलाने की क्या कोई व्यवस्था की गयी है सरकार की ओर से ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---महिलाओं को काम दिलाने का तो प्रश्न नहीं पैदा होता, क्योंकि जो महिलायें इन छोटे-मोटे उद्योग-धंधों में काम करती हैं वह आम तौर पर ग्रामों की गृहस्थ महिलायें होती हैं और वे इस दृष्टि से कार्य भी नहीं करतीं कि उनको कोई काम करने को मिले । जहां तक इस बनी हुई वस्तुओं की बिक्री का प्रश्न है, जहां तक मेरा खयाल है, कहीं-कहीं बिक्री हो जाती है और कहीं नहीं होती और कोशिश रहती है कि हो ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने उत्तर में कहा कि देहात में इन महिलाओं को मकान मिल जाता है और उनको किराया भी देना पड़ता है, तो क्या भविष्य में उनके किराये की व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बहुत बार किराया नहीं देना पड़ता और किराया देना भी पड़े तो उसकी व्यवस्था का प्रश्न सरकार के विचाराधीन इस समय नहीं है ।

जेलों के लिये निषेध समाचार-पत्र

*२१—**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ऐसे कितने दैनिक समाचार-पत्र हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश की जेलों में मंगाने का निषेध कर दिया गया है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—चार ।

*२२—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या यह सही है कि कानपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक 'सियासत जदीद' व हिन्दी दैनिक 'जागरण' को जेलों के अन्दर मंगाने का निषेध है ? यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—दैनिक सियासत 'जदीद' पर निषेध है परन्तु दैनिक 'जागरण' पर नहीं है। इसका कारण यह है कि सरकार की राय में 'सियासत जदीद' केवल सम्प्रदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी, जिन चार अखबारों का उत्तर प्रदेश की जेलों में जाने का निषेध है, उनके नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—सियासत जदीद, उर्दू दैनिक, कानपुर, प्रभात, हिन्दी दैनिक, मेरठ, हिन्दू, हिन्दी दैनिक, मेरठ और पैगाम, उर्दू दैनिक, कानपुर ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 'सियासत' के बारे में जो साम्प्रदायिकता का आरोप है, तो मंत्री जी के पास क्या उसकी कोई प्रति है जिसमें कोई साम्प्रदायिक लेख हो या और कोई शिकायत हो और जिससे मंत्री जी को पता लग सके कि यह साम्प्रदायिक है और इसलिये उसका निषेध किया गया है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—इसमें यह है कि 'सियासत' दैनिक कानपुर से प्रकाशित होता था, वह बन्द कर दिया गया और यह नया दैनिक 'सियासत जदीद' के नाम से चालू किया गया। इसकी टोन और पालिसी जो पहले 'सियासत' कानपुर की थी, वही रही और इसलिये उस पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि वह कौन-कौन से आधार हैं कि जिनके अनुसार इन चार अखबारों को जेलों में जाने से निषेध किया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मैंने तो अभी बताया कि जो भी यह चार अखबार अभी बतलाये गये उन सबके विरुद्ध यह आरोप है कि यह साम्प्रदायिकता का प्रचार करते हैं और इसीलिये इनका जेलों में मंगाना अवांछनीय है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब दैनिक 'सियासत जदीद' व और अखबार साम्प्रदायिक हैं तो इनको छापने के आदेश क्यों दिये गये हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह बहुत कुछ जिलों के अधिकारियों पर निर्भर करता है। वैसे अगर कोई अखबार साम्प्रदायिक है तो उसका इसी कारण छापना बन्द कर दिया जाय ऐसा तो कोई नियम मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वह कुछ स्थानों के लिये और जेल जैसे स्थानों के लिये अवांछनीय जरूर है।

*२३—**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया)—[२२ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

देवरिया नगरपालिका की दीवानी कचहरी की इमारत के लिए मांग

*२४—**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी**—क्या देवरिया में पुरानी दीवानी कचहरी को नगरपालिका देवरिया ने पब्लिक लाइब्रेरी एवं हाल के लिये मांगा है ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके लिये नगरपालिका देवरिया ने ३-४ वर्ष पहले जब लिखा था तो इसको कार्यान्वित करने में इतनी देर क्यों हुई ?

श्री जयराम वर्मा—इस विषय में न्याय विभाग से लिखा-पढ़ी हो रही है।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह प्रार्थना-पत्र कब आया था और इस समय सरकार क्या यह आश्वासन देने की स्थिति में है कि वह जमीन उसको दे दी जायेगी ?

श्री जयराम वर्मा—कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं मालूम पड़ती है। एग्रीमेन्ट से दाम भी तय हो गये हैं। अब चूंकि यह न्याय विभाग की जमीन है इसलिये उनसे इजाजत तो लेनी है।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एजेन्डे में लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या २३ निर्माण मंत्री से संबंधित आठवें मंगलवार के लिये स्थगित कर दिया गया है। फिर यह प्रश्न क्यों हो रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न संख्या २३ का जवाब नहीं दिया गया है। वह स्थगित है। प्रश्न संख्या २४ पर अनुपूरक प्रश्न हो रहे हैं।

(अगला प्रश्न लिए जाने पर)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हम सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछना चाहते थे। आपने इस पर समय ही नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता—माननीय गेंदासिंह जी ने पूछ लिये हैं।

गोरखपुर नगरपालिका को अनुदान तथा ऋण

*२५—**श्री गौरीराम गुप्त**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५० से आज तक गोरखपुर नगरपालिका को प्रतिवर्ष कितना रुपया सरकार ने अनुदान या कर्ज के रूप में दिया है और इस समय कितना रुपया कर्जे का बकाया है ?

श्री जयराम वर्मा—नगरपालिका गोरखपुर को सरकार द्वारा सन् १९५० से आज तक जो धनराशि अनुदान तथा कर्ज के रूप में दी गई है वह इस प्रकार है :—

वर्ष	धनराशि
	अनुदान
	रु०
१९५०–५१	६५,००१·००
१९५१–५२	९१,९८१·००
१९५२–५३	४१,८५५·५०
१९५३–५४	१,६१,२५८·६९
१९५४–५५	१,७७,९०२·५०
१९५५–५६	१,७७,६५२·००
१९५६–५७	१,२६,५२६·००
१९५७–५८	२,१७,५५६·००
१९५८–५९	२,९९,४६१·६२
१९५९–६०	३०,९६२·००
	ऋण
१९५०–५१	२५,०००
१९५१–५२	..
१९५२–५३	१,५०,०००
१९५३–५४	३,००,०००
१९५४–५५	८,३४,३९१
१९५५–५६	१३,२५,०००
१९५६–५७	..
१९५७–५८	..
१९५८–५९	..
१९५९–६०	..

इस समय नगरपालिका को सरकार का कुल २४,५७,९२७·४३ नये पैसे कर्ज अदा करना बाकी है ।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो अनुदान और ऋण दिया गया था वह किस किस कार्य के लिए दिया गया ?

श्री जयराम वर्मा—१९५१ में ३० हजार रुपया सड़कों की मरम्मत के लिए । १९५३–५४ में १ लाख रुपया सड़कों की मरम्मत के लिए । १९५४–५५ में ३,२०० रुपया खेल कूद के सामान हेतु । १९५४–५५ में २५,००० रु० स्वीपर्स क्वार्टर्स के निर्माणार्थ और उसी वर्ष में ७७,६०० रुपया मरम्मत सड़क । १९५५–५६ में ९९,६०० रुपया मरम्मत सड़क और ५,००० रुपया निर्माण सड़क तथा भवन जो बाढ़ से क्षति–ग्रस्त हुए । १९५६–५७ में ४३,७५० रुपया सड़क मरम्मत हेतु । १९५७–५८ में ८०,४०० रुपया सामान सड़क मरम्मत हेतु और २४,४०० रुपया निर्माण सड़क तथा भवन जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं । १९५७–५८ में ही २,०४० रुपया हाथठेला की खरीदारी । १९५८–५९ में ४७,००० रुपया सड़क मरम्मत और ८०,००० रुपया सड़क मरम्मत और १,६००रुपया खेल–कूद के सामान हेतु ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि जिन विशेष कार्यों के लिए नगरपालिका गोरखपुर को कर्ज दिये गये उसमें से बहुत से कार्य अभी अधूरे हुए हैं ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसी सूचना तो नहीं है ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो अनुदान दिया गया था म्युनिसिपैलिटी को उसके मुताबिक कुछ काम हो जाने के बाद सरकार कभी देखने की चेष्टा भी करती है कि क्या-क्या काम हुआ उन अनुदानों के आधार पर?

श्री जयराम वर्मा---जो रुपया दिया जाता है उससे जो काम होते हैं, बराबर उसकी रिपोर्ट आती रहती है। जब तक कोई खास शिकायत न आवे तब तक कोई खास जांच कराने की आवश्यकता मालूम नहीं होती।

श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि स्वीपर्स क्वार्टर्स बनाने के लिये जो रुपया दिया गया है उससे भवन का निर्माण कर दिया गया है यदि हां, तो उसमें कितने स्वीपर्स रह रहे हैं, उसकी सूचना सरकार देने की कृपा करेगी?

श्री जयराम वर्मा---सूचना की आवश्यकता है।

मऊरानीपुर नगरपालिका की जल-कल योजना

*२६---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मऊरानीपुर नगरपालिका (जिला झांसी) के लिये जल-कल योजना का प्रोजेक्ट तैयार हो गया है? यदि हां तो इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री जयराम वर्मा---जी हां, मुख्य अभियंता ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर योजना का प्रोजेक्ट अधीक्षण अभियंता आगरा को भेज दिया है और उन्हें निर्देशित किया है कि नियमानुसार नगरपालिका स्टेट हेल्थ बोर्ड की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करके स्कीम का प्रोजेक्ट स्वयं भी स्वीकार करे।

इस योजना के लिये केन्द्रीय शासन के स्वास्थ्य मंत्रालय से भी अनुमति लेनी पड़ेगी।

*२७---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊरानीपुर नगरपालिका में पीने के पानी के कष्ट के सम्बन्ध में ९ सितम्बर, १९५९ को एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था, जिसमें उक्त योजना को पूरा कर ने के लिये तालिका को अनुदान और ऋण देने की सरकार से प्रार्थना की गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री जयराम वर्मा---जी हां, इन योजनाओं के लिये सरकार केवल ऋण स्वरूप सहायता देती है। इस कारण नगरपालिका से इस सम्बन्ध में आयुक्त झांसी खंड द्वारा योजना के कार्यान्वित करने हेतु ऋण के लिये प्रार्थना-पत्र मंगा लिया गया है जो कि सरकार के विचाराधीन है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियंता ने सरकार को लिखा है कि उक्त योजना पर खर्चा अधिक पड़ेगा, इसलिये रेट १.२५ रुपये पर गैलन आयेगा इसलिये सरकार रेट कम करने के लिये नगरपालिका को अनुदान देने की कृपा करे?

श्री जयराम वर्मा---जी नहीं।

रेलवे स्टेशनों से गांव वालों को पानी देने की प्रार्थना

*२८---श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेगी कि रेलवे स्टेशनों पर जो नलकूप लगे हुये हैं उससे ग्राम-वासियों को पीने के लिये जल देने की व्यवस्था की जाय?

श्री जयराम वर्मा---सरकार इस प्रकार की सिफारिश करना उचित नहीं समझती।

श्री गौरीराम गुप्त---सरकार को क्या दिक्कत है अगर सिफारिश करे कि गांव को स्वच्छ पानी मिले?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--दिक्कत यह है कि सरकार उसको व्यर्थ समझती है। रेलवे डिपार्टमेंट को अगर खर्च करना पड़े तो उसे मंजूर नहीं करेंगे और अगर सरकार को करना पड़ेगा, प्रादेशिक सरकार को तो उसके लिये हमारी दूसरी योजना है, उन पर विचार कर सकते हैं।

श्री रामसूरतप्रसाद--क्या गांव वालों को इस से स्वच्छ पानी मिल सके इस सम्बन्ध में सरकार सिफारिश करना अनुचित समझती है ?

श्री अधिष्ठाता--मेरे खयाल में इसका जवाब दे दिया गया है।

जेलों में 'मानवोचित सुधार' करने की जानकारी

*२९--श्री उग्रसेन--क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार के समक्ष जेल मैनुअल में संशोधन की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस विषय में कौन सी कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--जी नहीं।

*३०--श्री उग्रसेन--क्या समाज कल्याण मंत्री कैदियों की सुरक्षा, सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुये, 'मानवोचित सुधार' प्रदेश की जेलों में लागू करन के लिये जिसे अन्तर्राष्ट्रीय अपराध निरोधक सम्मेलन में प्रस्ताव के रूप में पास किया है कदम उठावेंगे ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--उत्तर प्रदेश की जेलों में बन्दियों के प्रति 'मानवोचित सुधार' के लिये कदम उठाये जा चुके हैं।

श्री उग्रसेन--श्रीमन, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जेल मैनुअल के संशोधन के सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार ने कोई कमेटी बनायी है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद यह सरकार कदम उठायेगा और फिर कहते हैं कि 'जी नहीं'। तो इन दोनों में से कौन सा सही है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--वही उत्तर इस क्वेश्चन का मैं देने भी जा रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार ने सारे आई० जी० प्रिजन्स जो प्रदेशों के हैं उनकी एक कमेटी बनायी है और वे एक स्केलेटन मैनुअल पर विचार कर रहे हैं। जब इस कमेटी की रिपोर्ट इस सरकार के पास आजायेगी तभी उस पर विचार किया जायगा और इसलिये प्रान्तीय सरकार अभी जेल मनुअल पर कोई विचार नहीं कर सकती।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जेल मैनुअल ब्रिटिश जमाने का है, जेलों में विभिन्न प्रकार के अपराध करने वाले कैदी होते हैं, उस कमेटी से सिफारिश करेगी कि शीघ्रातिशीघ्र संशोधन कर दिया जाये जिससे उसे मनोवृत्ति को, जिसके लिये हाउस में कहा गया है, बदलने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सक ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--इस कमेटी से अभी सिफारिश करने का प्रश्न नहीं उठता। कमेटी की पहले राय हमारे पास आ जाय तब विचार करके जो संशोधन उचित होंगे किये जायेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट --क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 'मानवोचित सुधारों' के बारे में सरकार क्या करने जा रहा है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--'मानवोचित सुधार' कई किस्म के किये जा चुके हैं जैसे कि कोई कैदी अगर उसके यहां शादी वगैरा हो, तो उसको पैरोल पर छोड़ दिया जाता है, जब कैम्प्स में जाते हैं तो वहां उनसे काम लिया जा रहा है, और इसके लिये उनको वेजेज मिलता है, यहां तक कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी में उनको भेजा गया, साबुन, तेल वगैरा की सुविधायें उनको दी जा रही हैं, पुस्तकालय से पुस्तकें उनको दी जाती हैं, यही कई किस्म के काम हैं जिनको किया जा रहा है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि केंद्रीय सरकार ने जो सारे देश की जेलों के सम्बन्ध में नियम बनाने की व्यवस्था की है वह कब की है और उसमें जो तमाम देश के आई० जी० की मीटिंग हुई थी वह कब हुई थी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कब का तो मैं इस समय सही उत्तर नहीं दे सकूंगा लेकिन मेरा खयाल है कि दो वर्ष के लगभग हुये या कुछ ज्यादा हुआ हो और उसमें सभी प्रदेश के आई० जी० प्रिजन्स इकट्ठा होते हैं। काफी बड़ा काम है सब को मिला कर इकट्ठा बैठने में काफी कठिनाइयां आती हैं लेकिन उसमें बड़ी तेजी से काम हो रहा है और ऐसी आशा है कि वह काम बहुत जल्दी ही सम्पन्न हो जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मानवोचित सुधारों में कैदियों को जेल में विवाहित जीवन बिताने के लिये भी सुविधायें दी जा रही हैं?

(हंसी---उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राजनारायण---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि सन् १९५६ में लखनऊ में एक बन्दी सम्मेलन हुआ था जिसमें विभिन्न जेलों से बन्दी लोग आये थे और उसमें बन्दियों के जीवन से सम्बन्धित बहुत से सुधार सम्बन्धी बातें हुई थीं, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उसकी तो बहुत लम्बी सूची है और उसमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनको सरकार ने स्वीकार किया है। और कुछ ऐसी हैं जिनपर विचार होता रहा है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि उनमें जितनी सिफारिशों को स्वीकार कर सकना सम्भव था उनको स्वीकार किया गया है और स्वीकार करने की चेष्टा की जायगी जो ऐसी होंगी।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब से जेलों में कैदियों को अधिक सुख सुविधायें देने का प्रबन्ध किया जा रहा है तब से अपने प्रदेश में अपराधों की संख्या कुछ घटी है अथवा नहीं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैं यह तो नहीं कह सकता कि संख्या घटी या बढ़ी है लेकिन जो आंकड़े सामने आते हैं वह कोई बहुत बढ़े हुये मालूम नहीं होते। जेल के सुधारों का इससे कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है।

*३१---श्री रूमीसिंह (जिला शाहजहांपुर)---[२३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*३२---राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---[२३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

महापालिकाओं के नगरप्रमुखों, उपनगर प्रमुखों का वेतन, भत्ता तथा आगरा महापालिका कर में वृद्धि

*३३---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की विभिन्न नगरपालिकाओं में नगर प्रमुखों और उपनगर प्रमुखों को क्या वेतन, एलाउन्स, सवारी और आवास-गृह सम्बन्धी भत्ते नियत हुये हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, में नगर प्रमुखों तथा उप-नगर प्रमुखों को वेतन दिये जाने का को. प्राविधान नहीं है। जहां तक भत्तों का सम्बन्ध है, ये अधिनियम की धारा १८ के अन्तगत नगर प्रमुखों को स्वीकार किए जा सकते हैं। नगर महापालिका आगरा, के प्रस्ताव पर शासन ने नगर प्रमुख, आगरा, को निम्न-लिखित भत्ते व सुविधायें स्वीकार की हैं:---

(१) प्रमुख व्यक्तियों तथा अतिथियों के सत्कार एवं पत्रकार सम्मेलन करने आदि हेतु अभ्यागत भत्ता (Sumptuary Allowance) १,००० रु० प्रतिवर्ष।

(२) सवारी के लिये एक एम्बेसेडर कार, उसके लिये ड्राइवर तथा पेट्रोल एवं मोबिल-आयल क्रय करने के लिये, कार-भत्ता १५० रु० मासिक तक।

(३) महापालिका के कोष से नगर प्रमुख के निवास स्थान पर एक टेलीफोन लगवाया जाना एवं उनको एक स्टेनोग्राफर तथा दो साइकिल अर्दली दिया जाना।

दूसरी महापालिकाओं के प्रस्ताव अभी नहीं आए हैं अतएव उनके आने पर विचार किया जायगा।

*३४—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभिन्न महापालिकाओं में गत वर्ष कौन कौन से नये टैक्स लगाये गये अथवा पुराने टैक्सों में वृद्धि की गयी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—गत वर्ष १९५९ में किसी भी नगरमहापालिका में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। जहां तक पुराने टैक्सों में वृद्धि का सम्बन्ध है केवल आगरा नगरमहापालिका में टर्मिनल टैक्स तथा टर्मिनल टोल की दरों में वृद्धि की गई।

*३५—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—[सातवें गुरुवार, के लिये प्रश्न ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

वाराणसी नगरमहापालिका के निर्वाचन पर व्यय

*३६—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी नगरमहापालिका का चुनाव जो अक्तूबर ५९, में हुआ था उसके आवश्यक बैलट पेपर तथा कागज छपाई का काम किन-किन प्रेसों को दिया गया था और कितने-कितने रुपये का ठका अलग-अलग दिया गया?

श्री जयराम वर्मा—वाराणसी नगर महापालिका के निर्वाचन से सम्बंधित बैलट पेपर तथा अन्य कागजों की छपाई का काम जिन प्रेसों को दिया गया था उनके नाम इस प्रकार हैं:

अनन्त प्रिंटिंग प्रेस,
हिन्द आर्ट काटेज,
सुलेमानी प्रेस,
अनन्त मुद्रालय प्रेस, और
सर्वोदय प्रेस।

इनमें से "अनन्त प्रिंटिंग प्रेस" को ६,२०० रुपये १३ नये पैसे का "हिन्द आर्ट काटेज" को ८४६ रुपये ४५ नये पैसे का "सुलेमानी प्रेस" को ६९४ रुपये ५ नये पैसे का, "अनन्त मुद्रालय प्रेस" को २१४ रुपये १३ नये पैसे का और "सर्वोदय प्रेस" को ३२३ रुपये ४५ नये पैसे का कार्य दिया गया।

*३७—श्री ऊदल—वाराणसी नगरमहापालिका के चुनाव में सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ? क्या अध्यापकों व लेखपालों को जो चुनाव में बुलाये गये थे उनका टी० ए०, डी० ए० दे दिया गया?

श्री जयराम वर्मा—वाराणसी नगरमहापालिका के निर्वाचन में सरकार को अब तक लगभग ३१,३०० रुपया व्यय हुआ। संभव है कि न चुकाये गये बिलों की प्राप्ति पर कुछ और व्यय हो।

अध्यापकों और लेखपालों के टी० ए०, डी० ए० के बिल जो जिला निर्वाचन कार्यालय में आये थे वे सभी बिल पास होकर तत्सम्बन्धित कार्यालयों में भुगतान के लिये भेज दिये गये हैं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आनन्द प्रिंटिंग प्रेस और आनन्द मुद्रणालय प्रेस जो हैं वह एक ही व्यक्ति के हैं तथा आनन्द प्रिंटिंग प्रेस को ६,२००·१३ न० पैसे के सबसे ज्यादा रेट पर क्यों दिया गया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका ज्यादा अच्छा संतोषजनक काम हुआ होगा इसलिये दिया गया होगा।

[* * * *]

गोरखपुर तथा वाराणसी डिवीजनों से पंचायत सेक्रेटरियों का हटाया जाना

*३८--**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर और बनारस डिवीजनों में १-१-५७ से ३१-८-५९ तक कितने पंचायत के सेक्रेटरी पंचायत राज की नियमावली की धारा १७४ के अनुसार एक माह की नोटिस देकर प्रत्येक जिले में पंचायत विभाग से अलग किये गये?

श्री जयराम वर्मा--इस अवधि में गोरखपुर डिवीजन के १२ और वाराणसी डिवीजन के १८ पंचायत सेक्रेटरी निकाले गये हैं। जिलेवार सूचना इस प्रकार है:--

गोरखपुर	१
बस्ती	३
आजमगढ़	६
देवरिया	२
मिर्जापुर	१
गाजीपुर	१
बलिया	१६

*३९--**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि निकाले गये व्यक्तियों की सर्विस की अवधि पंचायत विभाग में कितने-कितने वर्षों की रही है?

श्री जयराम वर्मा--निकाले गये व्यक्तियों की सेवा की अवधि इस प्रकार है:--

सेवा की अवधि	निकाले गये पंचायत सेक्रेटरियों की संख्या
१	२
१ वर्ष से कम	३
१ वर्ष से २ वर्ष तक	३
३ वर्ष से ४ वर्ष तक	१
५ वर्ष से ६ वर्ष तक	१
६ वर्ष से ७ वर्ष तक	३
७ वर्ष से ८ वर्ष तक	५
८ वर्ष से ९ वर्ष तक	९
९ वर्ष से १० वर्ष तक	५
कुल संख्या ..	३०

नोट--श्री अधिष्ठाता की आज्ञा से [* * * *] अंश निकाला गया।

श्री मुक्तिनाथराय—जो पंचायत मंत्री निकाले गये क्या उनकी जगहों पर पुनः नियुक्तियां हुईं या वे जगह रद्द कर दी गईं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उन स्थानों पर नियुक्तियां हुईं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अगर ये ५ साल से अधिक सर्विस वाले लोग जो निकाले गये हैं अनक्वालीफाइड थे तो इतने वर्ष क्यों रहने दिये गये और जब इतनी लम्बी सर्विस थी तो निकाले क्यों गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अनक्वालीफ़ाइड नहीं थे। बहुत से लोगों को मौका दिया जाता है अगर पहली साल में ही मालूम हो जाता है कि पूरा काम असन्तोषजनक है तो तभी निकाल दिया जाता है। बार्डर का केस होता है तो दूसरे साल निकाल दिया जाता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी अपने पहले आश्वासन को कि पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम सेवक के काम मिले-जुले होने के कारण इन जगहों को मिला दिया जायगा, उसे कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कोशिश की जा रही है।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार एक्सपेरीमेंट करने में जरा कम समय लगायेगी ताकि जनता के धन का अपव्यय न हो सके ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जितना उचित समय था उतना ही लगा।

श्री मुक्तिनाथराय—उत्तर से मालूम होता है कि वे ३० व्यक्ति निकाले गये, इनमें से २३ की सर्विस ५ साल से अधिक है। तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना करने जा रही है कि १७४ धारा के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था करे कि ५ साल से ऊपर की सर्विस वाले व्यक्तियों का काम असन्तोषजनक होने पर उन पर चार्ज शीट वगैरह लगाई जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

महिला बन्दियों की जिलेवार संख्या

*४०—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३१ दिसम्बर, १९५९ को राज्य में महिला कैदियों की जिलेवार संख्या क्या थी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—यह सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०१ पर)

*४१—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त में से कितनी राजनैतिक कैदी थीं और कितनी अनैतिक तथा असामाजिक अपराधों के फलस्वरूप सजा पायी हुई थीं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—सभी अनैतिक तथा असामाजिक अपराधों के फलस्वरूप सजा पायी हुई थीं।

*४२—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार राज्य की जेलों में ३१-१२-५९ को १८ वर्ष से कम अवस्था के कैदियों की संख्या जिलेवार बताने की कृपा करेगी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--१८ वर्ष से कम अवस्था की महिला बन्दियों की संख्या निम्नलिखित थी--

इलाहाबाद	२
खीरी	१
झांसी	१
गोरखपुर	१
मुजफ्फरनगर	१
रायबरेली	१

श्रीमतीराजेन्द्रकिशोरी--प्रश्न ४२ में मेरा मतलब स्त्री और पुरुष दोनों से था।

श्री नरेन्द्रसिंहविष्ट--प्रश्न ४० और ४१ केवल महिलाओं के बारे में था, वैसे ही ४२ को भी समझ कर उत्तर दिया गया है।

*४३-४४--श्री प्रतापसिंह--[हटा दिये गये।]

गोरखपुर जिले को समाज कल्याण कार्यों के लिये अनुदान

*४५--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले को वित्तीय वर्ष १९५४-५५ से १९५८-५९ तक समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी-कितनी धनराशि दी गई और वह कहां-कहां खर्च की गई ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०२-१०३ पर)

*४६--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फरेन्दा तहसील में उपर्युक्त विभाग द्वारा कहां-कहां क्या काम हो रहे हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--इस समय इस विभाग द्वारा फरेंदा तहसील में कोई काम नहीं हो रहा है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २०,७०,००० रुपये में से कितना शहरों में और कितना देहातों में खर्च हुआ है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--शहर और देहात का अलग-अलग विवरण नहीं है। आपने जिले का मांगा था वह दिया गया है।

एटा नगरपालिका के निकाले गये कर्मचारी

*४७--श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मास अक्टूबर, १९५९ से दिसम्बर, १९५९ तक म्युनिसिपल बोर्ड एटा से कितने कर्मचारी निकाले गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा-- तीन।

कारणों का विवरण नत्थी तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०४ पर)

श्री गंगाप्रसाद वर्मा--क्या बाबूराम कर्मचारी ने चेयरमैन और अन्य उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की शिकायत सरकार को भेजी थी ?

श्री जयराम वर्मा--सूचना की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह---जिन ३ आदमियों को नगरपालिका की सेवा से मुक्त किया गया है वे कितने सालों से काम कर रहे थे ?

श्री जयराम वर्मा---सूचना की आवश्यकता है।

गोरखपुर व वाराणसी डिवीजनों में महिला मंगल योजना के काम तथा कर्मचारी

*४८---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गोरखपुर व वाराणसी कमिश्नरी में जिलावार महिला मंगल योजना के अन्तर्गत कितनी महिला कर्मचारी ३१-१२-५९ को थीं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---गोरखपुर व वाराणसी कमिश्नरी में ३१-१२-५९ को जिलेवार महिला कर्मचारियों की संख्या निम्नप्रकार थी---

गोरखपुर कमिश्नरी---

(१)	गोरखपुर	१५
(२)	देवरिया	१२
(३)	बस्ती	१३
(४)	आजमगढ़	१२

वाराणसी कमिश्नरी---

(१)	जौनपुर	१२
(२)	मिर्जापुर	१०
(३)	बलिया	१२
	योग ..	८६

वाराणसी तथा गाजीपुर जिलों में महिला मंगल योजना संचालित नहीं है।

*४९---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त महिला कर्मचारियों में कितनी महिलायें पिछड़ी जातियों की थीं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---उपर्युक्त महिलाओं में ११ महिलायें पिछड़ी जातियों की थीं।

*५०---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५९ के अन्त तक जिला बस्ती, गोरखपुर व देवरिया में महिला मंगल योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य हुआ है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०५ पर)

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ट्रेन की हुई महिलाओं को कोई साधन देने की योजना सरकार के पास है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री गेंदासिंह---यह बनारस के ऊपर इतनी क्यों खफ़गी है कि माननीय मंत्री जी की सिफ़ारिश के बावजूद भी महिला मंगल योजना का काम वहां शुरू नहीं किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---खफ़गी की कोई बात नहीं है। चूंकि वह मुख्य मंत्री जी का जिला है, इसलिये उसे विशेष स्थान नहीं दिया गया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या मंत्री जी ने जांच कराई है कि महिला मंगल योजना में महिलाओं का मंगल हुआ और क्या मर्द भी इसमें रखे गये?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शिवप्रसाद नागर---महिला मंगल योजना में मथुरा का महत्व सब से अधिक होते हुये आवश्यक था कि सब से पहले वहां यह योजना चालू की जाती। वहां न लागू करने के क्या कारण हैं?

(हंसी---उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उग्रसेन--- महिला मंगल योजना में वाराणसी और गोरखपुर कमिश्नरी में जितनी पिछड़ी जाति की महिलायें काम कर रही हैं उनमें कितनी हरिजन हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अलग सूचना नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इन प्रश्नों की पृष्ठभूमि में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो महिलायें अपने जिलों से बाहर जाती हैं, उनको दिक्कत होती है, इसलिये यह आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि अगर उन्हीं के जिलों में रखने से काम चल सकता हो तब तक बाहर के जिलों में उनको न भेजा जाय?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसका बहुत ध्यान रखा जाता है।

श्री राजनारायण---मंत्री जी ने अभी कहा था कि क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री भी वाराणसी जिले के हैं इसलिये उसको लिस्ट पर नहीं रखा गया। क्या सरकार ने ऐसी कोई नीति बना ली है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के जिले को जो आवश्यक सुविधायें हैं वे भी न दी जायं?

श्री अधिष्ठाता---उन्होंने कहा था कि कोई विशेष सुविधा नहीं दी गयी।

श्री राजनारायण---मैं पूछता हूं कि क्या सरकार माननीय मुख्य मंत्री के जिले को आवश्यक सुविधा भी देने को तैयार नहीं है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बिलकुल तैयार है।

नगरमहापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं के डेपूटेशन पर लिये गये सुपरिंटेंडेन्ट

*५१---श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन नगरमहापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं में आफिस सुपरिन्टेंडेन्ट के पद पर कार्य करने वाले कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे सरकारी विभागों से डेपुटेशन पर लिये गये हैं?

श्री जयराम वर्मा---सूचना एकत्र की जा रही है।

*५२---श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि उक्त डेपुटेशन में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है?

श्री जयराम वर्मा---सूचना प्राप्त होने पर जांच की जावेगी।

*५३--श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या स्वायत्त शासन मंत्री ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर इस सूचना तक साथ रखेंगे कि उनमें से प्रत्येक कितने दिनों से किस सरकारी विभाग से डेपुटेशन पर लिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा--सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक सूचना एकत्रित क्यों नहीं हुई ?

श्री जयराम वर्मा-- समय की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। कुछ जिलों से सूचना आ गयी है और कुछ से नहीं आयी, इसलिये यकजाई सूचना नहीं दी जा सकी ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--सूचना पूरी प्राप्त हो जाने पर क्या माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे ?

श्री अधिष्ठाता--वह तो दिया ही जायगा ।

अतारांकित प्रश्न

बदायूं जिले के पंचायत सेक्रेटरी

१--श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में ऐसे पंचायत सेक्रेटरी कितने हैं जो अपने मकान से २५ मील से कम दूरी पर हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--१०७।

२-५--श्री मुक्तिनाथराय--[२३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

तारांकित प्रश्न ३६-३७ से संबंधित व्यक्तिगत अनुपूरक प्रश्नों को कार्यवाही से निकाल देने की प्रार्थना

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि जो अभी आपने व्यवस्था देने की कृपा की कि जिस प्रकार का प्रश्न माननीय नेता समाजवादी दल के बारे में यहां पूछा गया, उस तरह का प्रश्न यहां नहीं पूछा जाना चाहिये और यदि पूछा भी गया तो उसकी ओर आपका ध्यान नहीं गया। तो क्या इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपने आदेश दे दिया है कि वह प्रश्न कार्यवाही में न लिखा जाय ? और यदि नहीं दिया है तो क्या आप ऐसा आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--पालीवाल जी, मैं उसको देख लूंगा और यदि वह होगा तो उसे निकलवा दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा सामाजिक जीवन स्वस्थ और स्पष्ट हो और लोगों में विश्वास जमा सकें। तो मैं आपके द्वारा माननीय पालीवाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग व्यक्तिगत करके प्रश्नों को न टाला करें। अगर राजनारायण दोषी हैं तो उसके बारे में सदन में बहस होनी चाहिये और अगर श्री सम्पूर्णानन्द व श्री कमलापति त्रिपाठी दोषी हैं तो उनके बारे में भी सदन में बहस होनी चाहिये जिससे हमारा सामाजिक जीवन स्वस्थ हो। ऐसे प्रश्नों को दबाने से कोई मजा नहीं आयेगा। बहुत से लोग कई तरह के होते हैं, जैसे कोई माननीय सदस्य विधान सभा के मेम्बर भी हैं और किसी स्कूल के मैनेजर भी हैं जो यहां से भी तनख्वाह लेते हैं और मैनेजर होकर स्कूल से भी पैसा वसूल करते हैं। [.....]

नोट-- श्री अधिष्ठाता की आज्ञा से [.....] अंश निकाला गया।

श्री अधिष्ठाता--राजनारायण जी, आप तो बहुत कह चुके।

श्री राजनारायण--अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जायगा तो आप उसे एलाउ कर देंगे ? अगर आप एलाउ करें तो उसका स्पष्टीकरण होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--मैं उसको देख लूंगा और प्रोसीडिंग से निकलवा दूंगा। इससे अधिक क्या हो सकता है ?

श्री राजनारायण---यह आपकी मेरे ऊपर कोई बड़ी कृपा न होगी। जो सोना है वह सोना ही रहेगा और जो पीतल है उस पर का पानी झड़ जायगा, जो चांदी है उस पर का पानी झड़ जायगा। पीतल पीतल रह जायगा, चांदी चांदी रह जायगी, सोना सोना रह जायगा।

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता---राजनारायण जी, आप बैठ जायं।

श्री राजनारायण---आप उनसे बैठने के लिये कहें क्योंकि मैं बोल रहा हूं।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मेरा प्रश्न है कि क्या कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा कर भाषण दे सकता है ?

श्री राजनारायण---व्यवस्था का मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न किया गया हो, फिर भी बोलता चला जायगा ?

श्री अधिष्ठाता--जी नहीं।

श्री राजनारायण---तो ऐसी स्थिति में क्या वे डिप्टी मिनिस्टर होने योग्य हैं ? अभी वे पार्लियामेंटरी पद्धति पढ़ें।

श्री अधिष्ठाता--जो बात आपके लिये कही गयी है वही बात आप दूसरे के लिये कहे जा रहे हैं, क्या यह उचित है ?

श्री राजनारायण---मैं हाउस के पजेशन में था और आपकी इजाजत से खड़ा होकर बोल रहा था, फिर ये बीच में टपक पड़े।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि बार-बार मेरे प्रश्न स्थगित हो जाते हैं। मेरे बहुत से सवालों में से मुश्किल से आज एक सवाल आ पाया और उसको भी २३ के लिये स्थगित कर दिया गया। अगर इस तरह से मेरे प्रश्न स्थगित होते रहे तब तो कोई भी सवाल मेरा यहां नहीं आ पायेगा।

श्री अधिष्ठाता---इस सम्बन्ध में आप मुझसे बाद में बात कर लें।

श्री रूमसिंह---आखिर किस तरह से कहा जाय और किससे कहा जाय जब कि सम्बन्धित सवाल स्थगित कर दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह किस तरह से हो।

श्री अधिष्ठाता---मैं उसकी जानकारी कर लूंगा, उसके बाद उसकी व्यवस्था की जायगी।

श्री राजनारायण---अब मैं अपने मूल व्यवस्था के प्रश्न पर आ रहा हूं :

श्री अधिष्ठाता---अभी मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न है।

श्री राजनारायण---ठीक है, नियम ५२ वाला खत्म कर लीजिये।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता---मेरे सामने नियम ५२ के अन्तर्गत ५ प्रश्न आये है जिनमें से दो तो पुराने हैं जिनको मैंने पहले भी अस्वीकृत कर दिया था और जिनको माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी अस्वीकृत कर चुके हैं। बार-बार उन्हीं प्रश्नों को भेजा जाता है, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि ज्यादा अच्छा यह होगा कि आप लोग उसके बारे में शार्ट नोटिस क्वेश्चन पूछ लिया करें बजाय इसके कि उसे नियम ५२ के अन्तर्गत बार-बार अध्यक्ष महोदय के पास भेजें। इसके अलावा ३ और प्रश्न आये हुए हैं। उनमें से एक प्रश्न तो १० फरवरी का है जिसको मैंने अस्वीकार किया है, वह इसलिये कि उस की कोई अर्जेंसी नहीं है और दूसरे पुलिस विभाग के डिबेट के समय यह चीज आ सकती थी इसलिये अब इसकी कोई अर्जेंसी नहीं रह गई है। विष्ट जी आप अभी बैठें, उचित होगा तो मैं आप को मौका दूंगा। दूसरी बात यह है कि पुलिस डिबेट के वक्त मौका था और माननीय सदस्य मंत्री जी का ध्यान दिला सकते थे। इन कारणों से मैंने अब उसको अस्वीकार किया है।

दूसरा प्रश्न है, बस्ती में जो पत्थर पड़ा है उसके बारे में। इस सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्री जी एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन के सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट देंगे, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वह उसी में बस्ती जिले के बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर दें, वह मैंने उनके पास भेज दिया है। और कोई महत्व का नहीं है इसलिये मैंने इन तीनों को अस्वीकार कर दिया है।

श्री राजनारायण द्वारा अपने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अधिष्ठाता महोदय, मेरा निवेदन है कि मैंने दफा ५२ के रूप में एक प्रश्न रखने की कोशिश की और कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में भी रखने की कोशिश की कि मुगलसराय के पास वाराणसी में एक कुयें में दब कर ५ आदमियों की मृत्यु हो गई। हमें इस सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अपने चेम्बर में सलाह दी कि आप शार्ट नोटिस क्वेश्चन पूछिये, उसका जवाब हम जल्द से जल्द सोमवार-मंगल तक मंगा लेंगे। उसके बाद हमने अल्प सूचित तारांकित प्रश्न पूछे कि जल्दी कोई कार्यवाही हो जाय लेकिन फिर शनिवार की बात कही गई। उसके बाद हमने रोज कार्यक्रम में आंख से टकटकी लगाकर देखा कि कार्यक्रम में सोमवार को वह आ जाय, सोमवार बीत गया नहीं आये। मंगल हुआ, नहीं आये और आज बुद्ध हो गया फिर भी नहीं आये। श्रीमन्, अध्यक्ष आसन पर कभी माननीय अध्यक्ष विराजमान होते हैं, कभी उपाध्यक्ष जी विराजमान होते हैं और कभी अधिष्ठाता विराजमान होते हैं। तो क्या कभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिष्ठाता की व्यवस्था में कहीं कोई तारतम्य होगा और इनमें से एक ने कभी कोई वादा किया है तो क्या कभी उस वादे को पूरा कराया जायगा या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता---मैं उसको देख लूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये विषय के संबंध में जानकारी की मांग

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अधिष्ठाता महोदय, अभी यह प्रश्न उठा कि पुलिस डिबेट में वह प्रश्न आ सकते थे लेकिन हमने उस समय बोलने की कोशिश की लेकिन बोलने को नहीं मिला। मेरा जो प्रश्न है वह भीषण है और मैं उसकी अर्जेंसी समझाना चाहता हूं। मवाना, जिला मेरठ की बात है कि एक हरिजन कन्या ईख छोलकर अपने घर वापस जा रही थी कि रास्ते में एक गुंडे ने उसके साथ रेप किया और जब उस का बाप उसे छुड़ाने के लिये आया तो उसने उसका भी कत्ल कर दिया और उसके बाप की लाश.....

श्री अधिष्ठाता---मैं आप को स्टेटमेंट का मौका नहीं दूंगा, आप बैठें । मैंने आपको २ कारण बता दिये हैं । एक तो यह कि यह १० फरवरी का वाकया है, अब इसकी कोई अर्जेन्सी नहीं रह जाती और दूसरे पुलिस विभाग के डिबेट में माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस तरफ दिलाया जा सकता था । अब वह दोनों स्टेज बीत चुके, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---माननीय मुख्य मंत्री व माननीय गृहमंत्री दोनों को लिखित रिपोर्ट दी गई है लेकिन पुलिस मुकदमा नहीं चला रही है, हम चाहते हैं कि फौरन मुकदमा चलाया जाय । यह बात डिबेट में भी आई । इस तरह से हरिजनों के साथ व्यवहार किया जाय जिनको हम उत्थान की बात करते हैं, इस तरह से रेप किया जाय. . .

श्री अधिष्ठाता---आप वही बात फिर कह रहे हैं. . . .

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---इस तरह से वहां पर हरिजनों की लड़कियों से व्यवहार किया जाय, खराब काम किया जाय और बाप बचाने जायं तो उसे भी मारा जाय. . . .

श्री अधिष्ठाता---कृपया आप बैठें ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, २ मिनट मुझे दिये जायें, इस सम्बन्ध में नहीं कहना है. . . .

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं, किसी सम्बन्ध में नहीं ।

१७ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न ३-५ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन*

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट)---दिनांक १७ फरवरी, १९६० को श्री ताराचन्द माहेश्वरी द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ३-५ के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय यह कहा गया था कि "काफी लम्बी लिस्ट है । अगर आप कहें तो मैं सबके पते पढ़ दूं कि किस किसको भेजी गई हैं यह किताबें ।" यह उत्तर गलत था। सही उत्तर निम्न प्रकार है:

"उक्त पुस्तिका अभी विदेशों को भेजी नहीं जा सकी है। इसके भेजने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आशा है कि निकट भविष्य में यह पुस्तिका विदेशों को भेज दी जायंगी ।

२---इसके आगे श्री अध्यक्ष का कथन तथा उसका उत्तर भी सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये क्योंकि उक्त संशोधन होने के पश्चात् ये अर्थहीन हैं।

३---उक्त प्रश्न और उसका उत्तर भी संलग्न है ।

१९६०-६१ के आय-व्ययक की मांगों पर विवादार्थ निश्चित कार्यक्रम में परिवर्तन करने पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, हमारा नियम १८९ यह है कि मांगों पर मतदान (१) अनुदानों के लिये मांगों पर ऐसे दिनों में (जो चौबीस दिनों से अधिक न होंगे) मत लिये जायेंगे, जिनको इस अभिप्राय के लिये अध्यक्ष सदन-नेता से परामर्श करके नियत करें ।" इसकी पाबंदी हो गई । अध्यक्ष ने नेता सदन से परामर्श करके हमारे सामने यह कार्यक्रम प्रस्तुत करा दिया विधान सभा के सचिव श्री मित्थल जी के जरिये । वह कार्यक्रम यहां पर विराजमान है, आपके यहां भी होगा देख लीजिये । १७ फरवरी को जो देवकीनन्दन मित्थल जी के नाम से नोटिस निकला है उसमें आज का कार्यक्रम दिया हुआ है, ९-१०-१६-१७

---

* १७ फरवरी, १९६० की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है ।

[श्री राजनारायण]

मार्च का । आज ९ है । एक तो व्यवस्था यह चाहूंगा और मैं अपने को बहुत ही लाभान्वित करूंगा, अगर हमको आपके सचिवालय से कोई भी एक नजीर दी जाय जिसमें कि सदन के कार्यक्रम को बिना सदन की सर्वसम्मति के परिवर्तित किया गया हो । हमारे सदन का कार्यक्रम परिवर्तित हुआ । ७ मार्च, को जो छपा है उसमें कार्यक्रम दिया गया है ९, १० तथा ११ मार्च का, जब माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने सरकारी प्रवक्ता के रूप में हम लोगों से बात की थी, वह बहुत चाहते थे कि मैं उस पर दस्तखत करूं । मगर हमने जो आपने परम्परा बनाई है, उसके अनुसार अगर माननीय मुख्य मंत्री जी शामिल हुये होते, उनके दस्तखत होते तो मैंने किया होता । मैंने नहीं किया । लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि माननीय आचार्य जी सरकारी प्रवक्ता के रूप में बोलते हैं, सज्जन आदमी हैं, अपनी बात पर डटे रहेंगे । इसी लिये उनकी बात का आदर किया और फोन पर कह दिया कि अगर सभी दलों के लोग चाहते हैं तो हमको आपत्ति नहीं होगी । बाद में जब उन्होंने बात की तो मैंने कह दिया कि चाहे दस्तखत हो या न हो जो हम कहते हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे । अब जो सबकी सहमति से कार्यक्रम निश्चित हुआ और जो ७ मार्च की नोटिस सचिव की ओर से निकली उसमें १२ पर अभियंत्रण (इंजीनियरिंग संस्थायें), फिर विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय, विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत, राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्य का सम्पादन, राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, सिंचाई स्थापना पर व्यय, इसके बाद चौंतीसवां आया सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, फिर ३५ वां यातायात के साधनों का सुधार, फिर इसके बाद दूसरी बातें आईं । जो कार्यक्रम छपा ७ तारीख को इससे भी यह निश्चित है कि सिंचाई आज के कार्यक्रम में आना चाहिये था । अब दो कार्यक्रम हुये । एक तो १७ फरवरी का और दूसरा ७ मार्च का जो आपके कार्यालय से छपा । फिर जब यह नोटिस ७ मार्च का भेजा गया था और जिसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि सिवाय टीकाराम पुजारी जी के शायद उस पर सब लोगों ने अपनी सहमति दे दी थी, यद्यपि पुजारी जी ने इसका यहां पर विरोध किया था और मेरा अपना मत है कि अगर मैं उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता होता तो मैं पुजारी जी की एक राय की कद्र करता । कभी-कभी राजनीतिक दलों में भी ऐसी स्थिति आ जाती है . . . .

श्री अधिष्ठाता—संक्षेप में कहिये।

श्री राजनारायण—मैं थोड़े में ही कह रहा हूं । तो आप अवसर देखें होंगे, अगर किसी कमेटी की मीटिंग में भी एक आदमी किसी कार्यक्रम के बन जाने के बाद परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर एतराज करता है तो उसको नहीं माना जाता है, सर्वसम्मत अगर हो जाय तब तो ठीक है उसे लोग मान जाते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि जो आज कार्यक्रम बंटा है वह किस नियम के अन्तर्गत बंटा और इस कार्यक्रम को बांटने की क्या आवश्यकता है ? इसके बारे में, सम्भवत. शायद आप कल सदन में न रहे हों, यहां पर चर्चा हुई. . . .

श्री अधिष्ठाता—मैं सदन में था ।

श्री राजनारायण—एक बात शायद आपको न मालूम हो । एक प्रस्ताव माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट जी ने उपाध्यक्ष महोदय को पहले ही दे दिया था । मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने किस हैसियत से प्रस्ताव दिया था. . . .

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। जो माननीय राजनारायण जी कह रहे हैं कि मैंने प्रस्ताव दे दिया था यह बिलकुल गलत है, मैंने कोई प्रस्ताव नहीं दिया था ।

श्री राजनारायण—अगर वह कहते हैं तो ठीक है । मैं गलत हूं, मुझे अपनी गलती कबूल करने में हठवादिता का परिचय नहीं देना चाहिये । श्री देवकीनन्दन मिश्थल की जगह जो दूसरे सज्जन बैठते हैं, उनका क्या नाम है, श्री राम प्रकाश, वह वही प्रस्ताव हमको लाकर

दिखाये कि क्या इसी प्रस्ताव को आप मान्यता दे रहे हैं ? वह वही प्रस्ताव था जो नरेन्द्र सिंह विष्ट जी ने दिया था और जो उपाध्यक्ष महोदय ने पढ़ कर सुनाया। मैं नहीं जानता उपाध्यक्ष महोदय ने कैसे कहा कि चीफ विह्प माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट जी ने एक मसविदा हमारे पास भेजा है, आप कल की कार्यवाही पढ़ें उसमें उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि कांग्रेस के ह्विप की तरफ से, और जहां तक मुझे स्मरण है उन्होंने नरेन्द्र सिंह विष्ट जी का नाम लिया था कि उन्होंने दिया है। मगर आज वह कहते हैं कि हमने उपाध्यक्ष महोदय को नहीं दिया। तो यह तो वही दोनों आदमी जानें कि कौन कितना सत्य और असत्य है, इसमें मैं नहीं पड़ना चाहता। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो मुझे जानकारी मिली, माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट जी ने हमारे सामने यह मसविदा भेजा है तमाम विरोधी दलों के नेताओं की सम्मति लेकर मैं उसको पढ़ रहा हूं। इसकी भी आप जानकारी कीजिये कि उपाध्यक्ष को अगर माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट जी ने कोई मसविदा नहीं दिया था तो उसको कैसे पढ़ दिया ? और अगर उपाध्यक्ष महोदय ने माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट जी का नाम मनमाने ढंग से लिया, जो कि असत्य की श्रेणी में जाता है, तो मैं समझता हूं उन्होंने अमर्यादित काम किया है।

श्री अधिष्ठाता---मुझे सचिव से मालूम हुआ कि कोई प्रस्ताव नहीं आया है। उन्होंने यही कहा था कि अगर ऐसा हो जाय तो ज्यादा अच्छा है। एक सूचना उन्होंने उपाध्यक्ष महोदय को दी थी, कोई प्रस्ताव नहीं भेजा था।

श्री राजनारायण---मैं मसविदा कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता---कोई मसविदा भी नहीं था।

श्री राजनारायण---माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने उपाध्यक्ष की हैसियत से जो कहा है उसे पढ़ दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---वह इस प्रकार था "यह सदन को मालूम है कि ११ तारीख को सदन की बैठक होगी, और ९, १० और ११ को सदन का एक, एक घंटा समय बढ़ जायगा। अनुदानों के सम्बन्ध में ९, १० व ११ मार्च, १९६० का कार्यक्रम जो आज सदस्यों को वितरित हुआ है उससे कुछ भ्रम हो जाने की सम्भावना है क्योंकि उसमें जिस प्रकार पहले से अनुदानों को लिये जाने का विचार था उसी क्रम में वह दी गई हैं, लेकिन मुझे कांग्रेस दल के सचेतक से मालूम हुआ है कि उन्होंने विरोधी दल के नेताओं से परामर्श करके यह तय किया है कि कल से सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्बन्धी ४ अनुदान अर्थात् अनुदान संख्या ३४, ३५, ३६ व ५० ली जायंगी और उन पर विवाद १० तारीख को २ बजे तक चलेगा" इससे साफ यह प्रकट होगा कि कोई प्रस्ताव माननीय विष्ट जी ने उपाध्यक्ष महोदय को नहीं दिया।

श्री राजनारायण---माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट ने अगर मौखिक कहा था तो मुझे उसका ज्ञान करा दिया जाय। उस मौखिक कथन को फिर लेखबद्ध किसने किया ? उस लेखबद्ध कागज को पढ़ा गया था और अगर नरेन्द्र सिंह विष्ट का वह लेखबद्ध कागज नहीं था तो राम प्रकाश जी वह लेखबद्ध कागज कहां से लाये थे ? राम प्रकाश जी का स्टेटमेंट यहां होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---प्वाइंट आफ आर्डर में क्या यह भी है कि इसकी शहादत ली जाय और उसकी शहादत ली जाय ?

श्री राजनारायण---श्री रामप्रकाश जी ने हमारे सामने एक लिखित कागज पर मसविदा रखा और उन्होंने कहा कि यह निश्चय हुआ है। मैंने इंकार कर दिया कि मैं इसे कतई नहीं मानता। फिर वे हमारे परम मित्र प्रताप सिंह जी के पास गये। प्रताप सिंह जी ने उसे पढ़ा और उसी पर कल वैधानिक प्रश्न उपस्थित किया गया। मैंने उपाध्यक्ष महोदय से कहा

[श्री राजनारायण]

कि आपके सचिव, जब माननीय बहुगुणा जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोल रहे हैं उससे ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, यह अनुचित है और इसक रोकथाम करना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उस पर कुछ कहा और अब मेरा यह कहना है कि आखिर जब नरेन्द्र सिंह विष्टजी ने अपनी ओर से कोई प्रस्ताव लिखित नहीं दिया तो वह लेख कहां से आया। मैं यह जानना चाहता हूं कि १७ फरवरी को एक कार्यक्रम बट गया और १७ फरवरी के कार्यक्रम को परिवर्तित किया गया ७ मार्च के कार्यक्रम में तो फिर ७ मार्च के कार्यक्रम को कैसे परिवर्तित किया गया, जब कि सदन में सर्वसम्मति नहीं थी।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं जहां तक मेरी जानकारी है शायद किसी नेता ने यह नहीं कहा कि पी० डब्ल्यू० डी० को पहले लिया जाय। वहां पर सरकारी पक्ष के प्रवक्ता थे श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जिनकी हम लोग इज्जत करते हैं और जिन्होंने हम लोगों से पहले भी बातचीत की थी और दूसरी बात कह श्री गिरधारी लाल जी ने। अब सरकारी पक्ष की ओर से उसका प्रवक्ता कौन माना जायगा ? क्या वे नेता की हैसियत रखते हैं, क्या उन को नेता के पद पर माना जायगा ?

तीसरे प्रताप सिंह जी बोले। मैं नहीं जानता कि प्रताप सिंह जी नेता हैं, या उपनेता या ह्विप हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ? ह्विप नेता की सलाह से बात करता है और नेता की गैर मौजूदगी में फिर ह्विप नेता की तरह बात करेगा। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि चूंकि सरकारी पक्ष और विरोधी दल इसे मान रहा है इसलिये मैं इसे मान रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता---देखिये राजनारायण जी, मैंने आपका मतलब यह समझा कि कल जब सदन सहमत नहीं हुआ तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय को क्या अधिकार था कि जो एक पहले से आर्डर बना हुआ था उसको उन्ह ने चेंज करने का निर्णय दे दिया ?

श्री राजनारायण---जी हां। दूसरा प्वाइंट यह है कि राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे अपनी सहमति प्रकट कर चुके थे कि कल सिंचाई ली जाय, हमने अपनी सहमति प्रकट की थी कि कल सिंचाई ली जाय और माननीय प्रतापसिंह जी ने भी पहले कृपा को थी, उससे ही अपनी सहमति प्रकट की थी कि कल सिंचाई ली जाय।

श्री अधिष्ठाता---उन्होंने कहा था कि कल ले लिया जाय।

श्री राजनारायण---ठीक है। इसके बाद माननीय गिरधारीलाल जी उठे। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय या उपाध्यक्ष जो भी बैठे हों उनके कान तक हमारी आवाज पहुंचे।

श्री अधिष्ठाता---आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री राजनारायण---इसको पंचायती कोड़ा न बनाया जाय। कांग्रेस कार्यालय का दफ्तर न बनाया जाय।

श्री अधिष्ठाता---यह आपके मुखारविन्द से अच्छा नहीं मालूम होता है। आप एक दल के नेता हैं।

श्री राजनारायण---इसीलिये श्रीमन्, मैं कह रहा हूं कि सदन की मर्यादा कायम रहनी चाहिये। कल माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे कर्मचारी दिल्ली जाने वाले हैं तो क्या मंत्री जी के कर्मचारियों के मातहत यह सदन चलेगा ? अगर कर्मचारी हैदराबाद, बम्बई और दिल्ली वगैरह जांय तो क्या हम सरकारी कर्मचारियों के गुलाम हैं ? क्या सदन का कार्यक्रम उन कर्मचारियों की इच्छा पर चलेगा ?

श्री अधिष्ठाता---ठीक है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह हमें बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई गई है कि हमारे कर्मचारी दिल्ली जा रहे हैं इसलिये सदन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाय और मुझे अफसोस है कि. . ..

श्री अधिष्ठाता---राजनारायण जी, आप तो भाषण दे रहे हैं । मैं आपका प्वाइंट समझ गया ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक प्वाइंट तो हमारा उपाध्यक्ष जी से संबंधित है, दूसरा सरकारी पक्ष से सम्बन्धित है और तीसरा विरोधी दलों से सम्बंधित है। अब मैं विरोधी दलों के बारे में कहना चाहूंगा. . . .

श्री अधिष्ठाता---राजनारायण जी, आपको भाषण देने की अनुमति मैं नहीं दूंगा ।

श्री राजनारायण---मैं भाषण नहीं दे रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता---मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं इसलिये मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे सकता हूं ।

श्री राजनारायण---ठीक है, मैं भाषण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि आप पारदर्शी हैं और हमारे दिल की बात समझ गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता---दिल की बात का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजनारायण---मैं जो बात कह रहा हूं, उसको आप नहीं समझते हैं, माननीय अध्यक्ष नहीं समझते हैं इसलिये मुझे दो मिनट का मौका दे दें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मुझे कह लेने दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---अच्छी बात है ।

श्री राजनारायण---देखिये जिस तरह से सरकार है उसी तरह से विरोधी दल है । मैं पार्लियामेंट्री पद्धति के अनुसार इस बात को रखना चाहता हूं । विरोधी दल में १४४ आदमी हैं और श्रीमन्, दोनों के लिये पार्लियामेंट्री मान्यता एक ही चलेगी। मान लीजिए सरकारी पक्ष की सरकार हट जाय और विरोधी दल सरकार बनायें तो क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अपनी सरकार बना सकती है ? नहीं बना सकती है, क्योंकि उसकी सिंगल मैजोरिटी नहीं है। विरोधी दलों में उसकी एबसोल्यूट मैजोरिटी नहीं है । पी० एस० पी० के केवल ४४ सदस्य हैं । इसलिये यह कह देना कि विरोधी दल तैयार है और सरकारी पक्ष और विरोधी दल मान गये हैं और उपाध्यक्ष जी ने भी कह दिया कि दोनों मान गये हैं, तो यह ठीक नहीं है। हम लोग तो यहां पर बैठकर आपकी साधु सम्मति चाहते हैं । सरकारी पक्ष में ३०० आदमी हैं अगर उनमें से ५० आदमी यहां भेज दें और कह दें कि हमारा दल प्रगतिशील कांग्रेसी हो गया और सरकार का समर्थन करना शुरू कर दिया जाय यह जनता के लिये खतरनाक साबित होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर एक ही पार्टी की राय को लेकर ही उपाध्यक्ष महोदय को अपनी सम्मत्ति देनी थी तो इससे पूर्व माननीय लक्ष्मीरमण जी को, हमको, पालीवाल जी को और नारायणदत्त जी को क्यों बुलाया था ? मैंने अपनी बात साफ कह दी, अब मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । एक बात और कहना चाहता हूं. . . . .

श्री अधिष्ठाता---नहीं, अब मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री राजनारायण---प्रतापसिंह जी ने भी नहीं कहा था, जहां तक मेरी जानकारी है, आज पी० डब्ल्यू० डी० का अनुदान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---उन्होंने कहा था ।

श्री राजनारायण---पढ़ा जाय, श्रीमन् ।

श्री अधिष्ठाता---आप बैठ जाइये, पढ़ा जायगा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजनारायण जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें बहुत सारी आवश्यक बातें आ गई हैं जिनमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है । इसके संबंध में उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया और कहा था कि विरोधी दलों में किसी पार्टी की ज्यादा संख्या होने से कोई बात नहीं हुआ करती है । मैं नहीं जानता कि वह कहां की बात करते हैं ? सारे देशों में प्रचलित यह चीज है कि विरोधी दलों में जो सबसे बड़ा संगठित दल होता है वही मुख्य विरोधी दल होता है । (व्यवधान) सूट करने की बात नहीं है । भाई राजनारायण जी को सूट करें या किसी को सूट करें, यह बात नहीं है । सत्य सत्य ही रहेगा । वह न चिल्लाने से बदलता है और न शीर्षासन करने से बदलता है ।

दूसरा निवेदन मुझे यह करना है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता और उपनेता कल उपस्थित नहीं थे और आज भी उपस्थित नहीं हैं । भाई प्रतापसिंह जी ने जो बात प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता और उपनेता की जगह पर कही है उसको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी समझती है कि हमारी तरफ से बात कही है और अगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को विरोधी दल के नेता का अधिकार प्राप्त है तो वह अधिकार माननीय प्रतापसिंह जी को था ।

जहां तक राजनारायण जी की व्यवस्था का प्रश्न है कि सर्व सम्मति से ही कार्यक्रम बदला जाय या रोज कार्यक्रम बदला जाता है इस सम्बन्ध में मेरा कोई मत नहीं है । उसके सम्बन्ध में आप जैसी चाहें व्यवस्था दें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो कल से चल रहा है मैं समझता हूं कि इसके कई अंग हैं । पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि सब तरफ से गलतफहमी हुई है । पहले दिन जो बात तय हुई थी वह यह थी कि इर्रीगेशन पहले हो, उसके बाद पी० डब्ल्यू० डी० हो और फिर पावर हो । उधर से और विरोधी दलों ने सर्वसम्मति से यही तय किया था । हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो । अच्छा होता अगर कल आचार्य जी इसको स्पष्ट कर देते और उसके बाद माननीय गिरधारीलाल जी अपनी कठिनाई बतलाते तो मैं समझता हूं कि उनकी इच्छा को एकोमोडेट कर लेते ।

दूसरा प्रश्न यह है जो अभी राजनारायण जी ने और माननीय गौरीशंकर राय जी ने कहा । मैं पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में तो जाता नहीं । यह बिलकुल ठीक बात है कि पी० एस० पी० की तरफ से अगर कोई बात कहता है तो वह पी० एस० पी० की बात है, यह सत्य है । यह भी सत्य है कि विरोधी दलों में उनकी संख्या अधिक है । इसलिये मुख्य विरोधी दल वही है । परन्तु व्यावहारिकता की दृष्टि से जब सब पार्टीज रेकगनाइज हैं और सब दलों को स्थान प्राप्त है तो अभी तक प्रथा यही रही है कि सब विरोधी दल आपस में मिल कर जो बात विचार करके कहते थे उसको सर्वसम्मति से विरोधी दल की बात माना जाता था । अगर उस दृष्टि से उपाध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था दी होती तो ज्यादा सुन्दर होता । मैं उनकी व्यवस्था को चैलेंज नहीं करता हूं, उसको मान्य करता हूं । परन्तु फिर भी व्यावहारिकता की दृष्टि से, जब सब विरोधी दल रेकगनाइज हैं तो अगर सब आपस में विचार करके कोई बात तय करें तो ज्यादा अच्छा होगा । यह मेरा निवेदन है । थोड़ी सी गलतफहमी है, उसको अब स्थान न दिया जाय तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल जो माननीय बिष्ट जी ने सदन में कहा था कि प्रोग्राम में जो परिवर्तन उन्होंने किया है सभी पार्टियों के नेताओं से राय लेकर, सम्मति लेकर किया है वह बिलकुल गलत बात है ।

श्री अधिष्ठाता---वह तो आचार्य जी ने कह दिया कि गलती उनकी थी । उस पर आप मत कहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव---मैं समझता हूं कि वह उचित बातें नहीं थीं । जहां तक और बात है राजनारायण जी ने काफी विस्तार के साथ रख दिया है । माननीय गौरीशंकर राय जी के कथन से जो गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न उठता है उस पर आप स्पष्ट व्यवस्था दें । हमारी नियमावली के नियम १८९ में इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यवस्था होगी वह नेता सदन और विरोधी दलों के परामर्श से होगी । हमारे यहां परम्परा यह रही है कि नेता विरोधी दल जो भी कार्यक्रम निर्धारित करते रहे हैं वह सभी विरोधी दल की पार्टियों के नेताओं से राय लेकर करते रहे हैं। वह परम्परा तोड़ी गई। नम्बर १, नम्बर २ नेता विरोधी दल और उपनेता विरोधी दल सदन में मौजूद नहीं थे ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय राजनारायण इसको कह चुके ।

श्री चन्द्रजीत यादव---माननीय गौरीशंकर राय जी यह कहते हैं कि जिस बात को सदन में कल माननीय प्रतापसिंह जी ने कहा वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का आधिकारिक मत था, उसको उन्होंने व्यक्त किया । उसमें माननीय प्रतापसिंह जी की हैसियत एक माननीय सदस्य की हो सकती थी ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय राजनारायण जी इस प्वाइंट को कह चुके हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव---इस बात को उन्होंने पहले नहीं कहा था । यह एक नई बात पैदा होती है । अब माननीय गौरीशंकर राय जी यह कहते हैं कि हम इस बात का अधिकार देते हैं कि अधिकृत रूप से उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की बात कही थी । तो न तो वह नेता थे, न उपनेता थे, न ह्विप थे और उनकी बात को मानकर के कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया सदन का और उस कार्यक्रम के निर्धारण के बाद उनको अथाराइज कर दिया जाय कि उन्होंने अपोजीशन की अथारिटी के साथ यह बात कही थी, इस बात पर मैं आपसे स्पष्ट व्यवस्था चाहूंगा कि इस तरह से सदन का कार्यक्रम अगर निश्चित किया जायगा तो सदन का कोई भी कार्य सुचारु रूप से चलना अत्यन्त दुरूह हो जायगा । इस पर आप स्पष्ट व्यवस्था दें कि इस तरह का कार्यक्रम जो निश्चित किया गया वह कहां तक उचित है ?

श्री अधिष्ठाता---(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर) आप कृपा करके बैठिये । मैंने माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य को काल कर लिया है ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, मेरा नाम बार-बार आया और वह एक प्रकार से ठीक आया । यह जो रूल १८९ का जिक्र किया गया, मैं चाहता नहीं था कि सदन में इस रूल को पढ़ता और वैसे बहुत स्पष्ट है---

"Voting on demands for grants shall take place on such days not exceeding 24 days as the Speaker may in consultation with the Lead of the House allot for the purpose."

इसमें लीडर आफ दी अपोजीशन का भी जिक्र नहीं है और केवल लीडर आफ दी हाउस और स्पीकर का प्रश्न आता है ।

एक सदस्य---जरा हिन्दी कर दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता---कर रहें हैं वह ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैं यह कह रह था कि यह जो अनुदानों पर मतदान है वह २४ दिन तक हो सकता है और २४ दिन या उससे कम जितने कि स्पीकर, नेता सदन से सम्मति लेकर तय कर दें । तो मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता था कि कुछ तय हुआ । तय होने के बाद में कुछ यहां सदन के बहुत से लोगों ने, माननीय सदस्यों ने नेता सदन के पास में जाकर यह कहा

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

कि यदि ११ से १५ तक की छुट्टी होली की बढ़ाकर १२ से १७ कर दी जाय तो सबको सहूलियत होगी। उस चीज को दृष्टि में रखते हुए नेता सदन की आज्ञा से मैंने यह उचित समझा कि जो विरोधी दल के नेतागण हैं उनसे इस संबंध में चर्चा कर ली जाय। और मैं केवल इतना सा ही कह सकूंगा कि इससे बड़ी मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो सकती कि इस संबंध में विरोधी दल के प्रत्येक नेता महोदय ने मुझे सहयोग दिया और उन्होंने भी सहमति प्रकट की। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था, वह यह कि पहले सिंचाई विभाग का अनुदान लेने की बात थी या पी० डबल्यू० डी० को लेने की बात थी और दरअस्ल मुझसे ही गलती हुई क्योंकि मैं ऐसा खयाल करता हूं जैसा कि अभी माननीय यादवेन्द्र दत्त जी ने कहा और सबने कहा कि वहां पर कुछ चर्चा हुई थी कि पहले सिंचाई विभाग को ले लिया जाय और फिर उसके बाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिया जाय, लेकिन क्योंकि मेरे मस्तिष्क में ऐसी बात थी कि दोनों के लिए एक सा समय निर्धारित है इसलिए ज्यादा ध्यान मैंने उस पर नहीं दिया। मैंने इसको कल स्वीकार किया और आज भी स्वीकार करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यदि इसमें सचमुच कहीं भी कोई गलतफहमी हो तो उसको स्पष्ट कर लेना चाहिए। एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे इस सदन में यह स्वीकार कर लेने के बाद में माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो यह कहा कि उनके विभाग के कुछ लोग बाहर चले जायेंगे और कल चले गए और इस के संबंध में यदि सिंचाई विभाग की मांग पीछे ले ली जाय तो उचित हो, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही, तो मैंने उनसे कल बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने केवल अपनी कठिनाई सदन के सामने रखी थी। इसके आगे कोई उनकी मंशा नहीं थी। ऐसी बात नहीं थी कि कहीं किसी प्रकार का मोटिव उनमें हो या उनकी और मेरी कोई इस पर चर्चा हुई हो और फिर पीछे मैंने गलत तरीके से कोई चीज रखी हो, जिससे कि मैं प्रत्येक रूप से गलत समझता हूं, कोई सबटरफ्यूजिंग तरीके से कोई बात कही हो, ऐसी बात नहीं है।

मैंने बिलकुल इसी तरीके से कि जैसे अच्छे लोग काम किया करते हैं, उसी तरह से यह मांग बदली थी। मैं सदन से इस बात पर आग्रह करना चाहता हूं कि कृपा कर अपने मस्तिष्क में वह इस प्रकार की बात न रखें बल्कि इसके विपरीत इतना ही हुआ कि माननीय सिंचाई मंत्री ने उस समय अपनी सहूलियत का जिक्र सदन में किया और माननीय उपाध्यक्ष जो यहां पर मौजूद थे, उन्होंने माननीय प्रताप सिंह जी के कहने से इस प्रकार स्वीकार कर लिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके जरिये से माननीय राजनारायण से, उनके साथियों से और सदन के अन्य सदस्यगण से कि इतना वह विश्वास कर लें कि इसमें किसी प्रकार की नीयत किसी दल की तरफ से नहीं है। यह बहुत स्पष्ट बात है, उसमें जो निर्णय हो गया वह इसी प्रकार से हो गया, उसमें किसी प्रकार की नीयत कम से कम नेता सदन या उधर के बैठने वाले या इधर के बैठने वाले दल की नहीं थी, बल्कि इसके विरुद्ध जो प्रश्न है उसमें इतना कहूंगा कि हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और न उसे हमें यहां करना चाहिये। जो वैधानिक स्थिति है उसको सदन में आप के द्वारा मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि शायद पहले ही निर्धारित किया गया है और पहले भी उसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने एक या दो बार चर्चा किया है। वह केवल माननीय विरोधीदल के नेतागण और आपके बीच का प्रश्न है कि जैसा कुछ उचित समझें वह निर्णय दें।

श्री चन्द्रजीत यादव—मै कुछ कहना चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं।

श्री राजनारायण—मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, अब मैं उस पर निर्णय देने जा रहा हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव—१८९ धारा में इसको देख लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—अब आप बैठ जायें।

श्री राजनारायण––मैं लक्ष्मीरमण आचार्य जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आचार्य लक्ष्मीरमण जी, जो सरकारी प्रवक्ता के रूप में बोले हैं, यहां पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सिंचाई मंत्री जी ने कल यहां पर कोई प्रस्ताव नहीं किया था कि कल सिंचाई न लिया जाय या कौन सा अनुदान लिया जाय बल्कि कल यहां उन्होंने अपनी कठिनाई का वर्णन किया था। यह बात अभी जो कही गई, उसका यह स्पष्ट अर्थ होता है। फिर माननीय उपाध्यक्ष ने यह स्वेच्छा से निर्णय कर दिया, क्योंकि सरकारी पक्ष से तो केवल यहां पर कठिनाई का वर्णन किया गया...

श्री अधिष्ठाता––फिर आप भाषण दे रहे हैं?

श्री राजनारायण––हम यहां आते हैं किस लिये, भाषण देने के लिये ही तो आते हैं ?

श्री अधिष्ठाता––आप सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री राजनारायण––मेरा कहना यह है कि जब सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं था तो वह प्रस्ताव उपाध्यक्ष महोदय ने किस हैसियत से रखा?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)––यह प्रश्न यहां पर जो चल है, इसमें कुछ गलत फहमी है। मैं एक दो बात कहना चाहता हूं। वास्तव में कुछ पता नहीं था। कल या परसों प्रोग्राम में पहले पी० डब्लू० डी० था, उसके बाद सिंचाई का अनुदान था और उसके बाद पावर का अनुदान था। कल शाम के वक्त जिस वक्त मैं यहां पर सदन में आया तो मुझे यह पता लगा कि इस तरह से बदल रहा है। बदलने के पहले ही कुछ सरकारी कर्मचारी, जिनको देहली जाना था एक बहुत जरूरी काम से, वह चले गये। उनको उस वक्त रोका नहीं जा सकता था। वह अपनी दिक्कत यहां पर मैंने रखी। माननीय राजनारायण जी यह बात कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को रोका जा सकता था। हम अपने ही भरोसे इस सदन में काम करना नहीं चाहते हैं। मैं बतलाता हूं कि यहां पर जो बहस होती है उसको हम भी सुनते हैं और जितने उस विभाग विशेष से सम्बंधित कर्मचारी होते हैं वह भी सुनते हैं। वे भी यहां पर इम्प्रेशन लेते हैं, सबक लेते हैं और उसके हिसाब से अपना काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। इन बातों के साथ साथ मैं यह भी बताऊं कि आज भी मेरे सामने कठिनाई है। मैंने कल कहा था कि वह चाहें तो सिंचाई विभाग ले लें। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे जो विभाग लें, लेकिन जिन कर्मचारियों को यहां बैठना चाहिये सिंचाई विभाग के और उनको यहां बैठ कर जो इम्प्रेशन लेना चाहिये अपने महकमे को ठीक से चलाने के लिये वह उसे नहीं ले सकेंगे। उनको राजनारायण जी और उनके दूसरे दोस्तों की बात सुनने का मौका नहीं मिलेगा। यही मैंने कहा था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––एक मिनट, श्रीमन्।

श्री अधिष्ठाता––जी नहीं, आप कृपया बैठ जाइये।

सदन की एक ऐसी परिपाटी रही है कि सदन का कार्यक्रम विरोधी दल के नेताओं से सलाह लेकर निश्चित किया जाता था और हमेशा ऐसा होता रहा है। मगर कल कुछ ऐसी बात मालूम होती है कि कुछ गलतफहमी पैदा हो गई जिसकी वजह से ही राजनारायण जी को यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना पड़ा।

प्रथा की बात तो मैंने आप से निवेदन कर दी कि सरकारी पक्ष में जो व्हिप हैं वे विरोधी दलों के व्हिपों से सलाह लेकर के एक कार्यक्रम निश्चित किया करते थे और यही प्रथा चली आ रही थी। मगर जहां तक नियमों का सवाल है, जिनका हवाला माननीय राजनारायण जी ने और माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने दिया है, नियम १८९ के उप नियम (२) में, जिस को उन्होंने नहीं पढ़ा, लिखा है कि अनुदानों के लिये मांगें ऐसे क्रम से उपस्थापित की जायेंगी

[श्री अधिष्ठाता]

तथा वाद विवाद उपनियम (१) के अन्तर्गत नियत काल के भीतर उतने समय तक जारी रहेगा जैसा कि नेता सदन विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करें। इसमें स्पष्ट है कि विरोधी दलों के नेताओं से परामर्श करने की बात नहीं लिखी है, केवल विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करने की बात लिखी है। इसके अलावा मैं माननीय राजनारायण जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं नियम २५ की तरफ जिसमें लिखा है कि अध्यक्ष चाहें तो केवल नेता सदन से सलाह करके सदन का बिजनेस बदल सकते हैं। नियम २५ में लिखा है कि उनको विरोधी दल के नेता से भी सलाह करने की जरूरत नहीं है। अगर १८६ और २५ नियमों को एक साथ मिला कर पढ़ें तो स्पष्ट हो जायगा कि स्पीकर को अधिकार है कि वह केवल नेता सदन से सलाह लेकर के ही बिजनेस को चला सकता है और इस वास्ते कल माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी कि मैं तो देखता हूं कि विरोधी दल के नेता की भी यही राय है कि यह आज नहीं लिया जा सकता है। इस वास्ते माननीय राजनारायण जी ने यह भी कहा कि प्रताप सिंह जी ने यह बात नहीं कही थी। मैं इसको पढ़ कर सुना देता हूं। उन्होंने कहा था "जैसा कि सिंचाई मन्त्री जी ने कहा कि मजबूरी है, मैं समझता हूं कि विरोधी दल को उनकी बात मान लेनी चाहिये।" तो इससे साफ हो जाता है कि माननीय प्रताप सिंह जी ने माननीय मंत्री जी की बात को स्वीकार कर लिया था और इस वास्ते यह निश्चित किया गया कि आज पी० डब्लू० डी० के ऊपर बहस होगी, सिंचाई विभाग पर नहीं।

श्री राजनारायण—वह कहते हैं कि मैंने नहीं कहा ····

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने कहा था। मैं इसको फिर से पढ़ कर सुना देता हूं। "जैसा कि सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि मजबूरी है, मैं समझता हूं कि इस पर माननीय विरोधी दल को उनकी बात मान लेनी चाहिये"। साफ कहा है उन्होंने।

श्री राजनारायण—विरोधी दल ने उनकी कठिनाई मानी, जो उनकी कठिनाई थी ··

श्री अधिष्ठाता—मान करके ही उन्होंने यह स्वीकार किया था कि आज के दिन जो बहस होगी वह सार्वजनिक निर्माण विभाग पर होगी न कि सिंचाई विभाग पर और इसके बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने एक निर्णय दे दिया है, जिसको मैं रिवाइज नहीं कर सकता। इसलिये जो कार्यक्रम छपा है और निश्चित हो चुका है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सार्वजनिक निर्माण मंत्री अपना अनुदान पेश करेंगे।

श्री राजनारायण—मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं। मैं माननीय मंत्री जी को बुला चुका हूं। आप कृपया बैठिये।

श्री गिरधारीलाल—मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से ····

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमें नहीं बोलने दिया जायगा ····

श्री गिरधारीलाल—मैं राज्यपाल महोदय ····

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे बोलने का मौका तो दिया जाय ····

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, आप कृपया बैठिये।

(व्यवधान)

१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण-कार्य और ५०—क—राजस्व से वित्त पोषित नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत, अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य-केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण-कार्य और ५०-क-राजस्व से वित्त पोषित नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत, अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य—केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण-कार्य और ८१-राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ५०-लेखा शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय, जो राजस्व में पूरे किय जाते हैं—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य और ५०—क—राजस्व से वित पोषित नागरिक निर्माण कार्यों पर पूजी की लागत के अन्तर्गत ६,०५,७४,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—आप दूसरा भी उपस्थित कर दीजिये।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ग्रांट नं० ३४ में इस प्रकार लिखा हुआ है—१६ जनवरी, १९५० को राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये सामान्य आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास गृहों के सम्बन्ध में अनुरक्षण, सुधार, नवीकरण या प्रतिस्थापन सम्बन्धी व्यय किसी भी वर्ष २,२५,००० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये, यह बात इसमें स्वीकार की गई है। यह राष्ट्रपति का जनरल आदेश है यानी यह सभी राज्यों में लागू समझा जायगा। यह आदेश है कि २ लाख २५ हजार से अधिक कोई ग्रांट नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता—यह आप कहां से पढ़ रहेहैं? आप का प्वाइंट आफ आर्डर क्या है? यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन, मैं बजट से पढ़ रहा हूं यह जो ग्रान्ट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत की है यह उससे ज्यादा है।

श्री अधिष्ठाता—इसके लिये माननीय मत्री जी अपने भाषण म बतायेंगे। अभी तो उन्होंने यह कहा है कि ६,०५,७४,१०० रुपये का अनुदान स्वीकार की जाय। उसका विवरण माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री अभी देंगे। आप कृपया बैठ जायें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मैं स्पष्टीकरण तो कर दूं। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिये। जब तक आप पूरा मौका ही नहीं देंगे तब तक प्वाइट आफ आर्डर समझ में कैसे आयेगा? आप देखें कि इसी में आगे लिखा है—"विशेष मरम्मतों के, जिसके लिये ६५ हजार रुपए की व्यवस्था की गई है, प्रारम्भ करने के पूर्व राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायगा।" यह इसमें लिखा हुआ है। कोई भी खर्चा उससे अधिक यह नहीं कर सकते। बजट में लिखा गया है, प्राप्त कर लेंगे, तो श्रीमन्, पता नहीं प्राप्त हुआ या नहीं। बजट आ चुका है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। इसलिये मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अधिष्ठाता—मैं आपका प्वाइंट समझ गया। आप कृपया बैठिये। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया अपना भाषण जारी रखें और जो प्वाइंट उठाया गया है उसको भी स्पष्ट कर दें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं अपनी एक बात स्पष्ट कर दूं.....

श्री अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी को अनुदान पेश कर देने दीजिये, आप फिर अपनी बात कह सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, आप कृपया बैठिये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने कल इस सदन में एक घोषणा की थी। मैंने कल यह कहा था कि अगर इस तरह की कार्यवाही इस सदन की चलेगी तो हो सकता है कि हम भाग न ले सकें। तो मैं आपके द्वारा इस माननीय सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने जो अपना स्पष्टीकरण किया है और जो हमारे पत्र के उत्तर में उन्होंने लिखित हमको भेजा है उसमें जो उन्होंने हमारी सहायता चाही है तो चूंकि उनका प्रश्न साफ हो गया है, और सरकार सिंचाई अनुदान भी लेने को तैयार है इसलिये हम यहां बैठ कर कार्यवाही में भाग लेंगे।

श्री अधिष्ठाता—यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री राजनारायण—नहीं यह हमारी घोषणा थी और मैं यह बतला रहा हूं कि हम क्यों उसके विरुद्ध जा रहे हैं। क्या कोई सदस्य अपनी घोषणा के विरुद्ध बैठेगा? मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकारी पक्ष दोषी नहीं था, माननीय मंत्री जी ने कोई प्रस्ताव नहीं किया था तो माननीय उपाध्यक्ष ने ऐसा निर्णय क्यों दिया? ऐसी कार्यवाही चेयर की ओर से नहीं होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—कृपया आप बैठें।

श्री शिवप्रसाद नागर—हमारी व्यवस्था पर रूलिंग नहीं दी।

श्री अधिष्ठाता—अभी आपकी व्यवस्था का वक्त आवेगा। माननीय मंत्री जो को सुन लूंगा, तब व्यवस्था दूंगा।

संख्या ३४––लेखा शीर्षक ५०––सार्वजनिक निर्माण-कार्य और५०–क––राजस्व से वित्त पोषित नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत, अनुदान संख्या ३५––लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण-कार्य-केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३६––लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण-कार्य और ८१––राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ५०––लेखा शीर्षक ८१––राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

*श्री गिरधारीलाल––राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हू कि अनुदान संख्या ३५––यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)––लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण कार्य––केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत ७२,२२,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६–सार्वजनिक निर्माण–कार्य स्थापना पर व्यय––लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण-कार्य और ८१––राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत १,०१,१४,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हू कि अनुदान सख्या ५०––राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत––लेखा शीर्षक ८१––राजस्व लेखे के वाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत १२,१९,५०,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में इस वक्त सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। जहां तक अभी हमारे दोस्त ने एक प्रश्न यहां पर उठाया तो उसके सिलसिले में यह कह देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट हाउस का जो खर्चा होता है वह सबजेक्ट टु वोट नहीं खर्चा होता। वह तो बजट में जाहिर कर देते हैं, लेकिन वह यहां के डिस्कशन से बाहर की चीज है। इसलिये इसके सिलसिले में कुछ नहीं कहता।

अन्य बातों के सिलसिले में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह हमारी आखिरी किस्त है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, और इस विभाग मे हमें यह देखना है कि जिस वक्त १९४६ से पहले हमारे प्रदेश में ९,३४५ मील पक्की सड़कें थीं....

श्री शिवप्रसाद नागर––अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट हाउस का जो भी खर्चा होता है वह न यहां पर पेश होता है न इजाजत होती है बहस की, तो वह किस नियम के अनुसार होता है ?

श्री अधिष्ठाता––वह तो चार्ज्ड आइटम है, वोट नहीं होगा, बहस हो सकती है।

श्री शिवप्रसाद नागर––एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह किसी पार्टी या दल से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि प्रदेश के धन और जन से इसका सम्बन्ध है और उस पैसे से इसका सम्बन्ध है जो कि किसान की नस से खिंच कर आता है। राष्ट्रपति महोदय का जो आदेश है उसको लांघ करके अगर यहां पर कोई बात कही जाय और मैं कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाऊं और आप व्यवस्था न दें....

श्री अधिष्ठाता––कृपया बैठ जाइये। अभी आपने एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को सुन कर व्यवस्था दूंगा और मैं उसी व्यवस्था के लिये खड़ा हुआ था, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते थे और फिर दूसरी व्यवस्था के लिये खड़े हो गये। जो आपने प्रश्न उठाया है उस पर मैं व्यवस्था देना चाहता हूं कि वह जिसको कि आपने कहा है २ लाख रुपये की रकम, वह चार्ज्ड आइटम है और उस पर बहस हो सकती है लेकिन वोटिंग उस पर नहीं होगी। मगर माननीय मंत्री जी को अधिकार है कि उसको वह अपने बजट में शामिल कर सकते हैं और उसको उन्होंने सही शामिल कर लिया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवप्रसाद नागर---मेरा दूसरा सवाल है श्रीमन्, कि जो जनरल आर्डर है राष्ट्रपति का उसका उल्लंघन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके लिये विशेष आज्ञा न प्राप्त कर ली गई हो। नीचे इसी पुस्तक में लिखा है कि राष्ट्रपति की विशेष आज्ञा प्राप्त कर ली जायगी तो जब तक विशेष आज्ञा न प्राप्त कर ली जाय तब तक जनरल आर्डर को डिसओबे करना क्या इस राज्य के मंत्री के लिए उचित है और क्या उसको अधिकार है या सदन को क्या इसका अधिकार है? मैं समझता हूं कि ऐसा अधिकार नहीं है कि राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करें इस उम्मीद में कि बाद में आदेश प्राप्त कर लिये जायेंगे। यहां पर राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त करने के पहले ग्रांट ले आयी गयी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का अधिकार सरकार को है?

श्री राजनारायण---जो माननीय नागर जी ने प्रश्न उठाया है उसी के सम्बन्ध में मैं अपनी सम्मति देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---ठीक है, दीजिये।

श्री राजनारायण---अब मैं अपनी राय जाहिर करना चाहता हूं। माननीय नागर जी ने जो प्रश्न उठाया है इसका अध्ययन हमने भी किया था और माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने भी इसका गहन अध्ययन किया है। वास्तव में प्रश्न यह है और वह बहुत ही उचित है और जायज बात भी है कि क्या किसी ऐसी रकम को जिस रकम को खर्च करने का अधिकार हमें न हो तब तक जब तक कि राष्ट्रपति की आज्ञा प्राप्त न कर ली जाय, हम उसको यहां पर बजट में शामिल कर सकते हैं? क्या यह राष्ट्रपति महोदय का अपमान नहीं है? क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? हमें चार्ज्ड और अनचार्ज्ड के प्रश्न पर नहीं जाना चाहिये क्योंकि चार्ज्ड रकम क्या है उसके लिये एक निश्चित रकम बतायी गयी है और इसमें पृष्ठ १०३ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। इसमें १६ जनवरी, १९५० की आज्ञा है और इसी आज्ञा का पालन सर्वदा इस हाउस में हुआ है। इसके मुताबिक जैसा पृ० १०३ पर है "१६ जनवरी, १९५० को राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये सामान्य आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवासगृहों के सम्बन्ध में अनुरक्षण, सुधार, नवीकरण या प्रतिस्थापन सम्बन्धी व्यय किसी भी वर्ष २ लाख २५ हजार से अधिक नहीं हो सकता।" यह राष्ट्रपति का आदेश है और इसी राष्ट्रपति के आदेश को हम सर्वदा मानते रहे हैं। अब यहां कहा गया है कि नहीं अब ज्यादा धन हमको दो। मंत्री जी का जो अनुदान पेश है उसमें ६५ हजार की वृद्धि करने की मांग वह रखते हैं। यह अनियमित है। मंत्री जी जब यह मांग रहे हैं तो उनके दिमाग में भी यह साफ बात है कि यह अनियमित है लेकिन चाहते हैं कि यह रकम सदन हमको दे दे, हम इसको रखे रहेंगे और तब तक खर्च नहीं करेंगे जब तक कि राष्ट्रपति का आदेश हम प्राप्त न कर लेंगे। यह एक साफ बात है। सरकार की ओर से तो फिर हमारे सामने प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति यह आदेश देते हैं या नहीं। इसकी कल्पना पहले से कर लेनी कि राष्ट्रपति हमें आदेश दे ही देंगे इसलिये सन् ५० के आदेशों के विपरीत काम कर लेना मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के प्रति अनादर का भाव पैदा करना है या राष्ट्रपति से कुछ ऐसी आशा या कामना कर लेना है जो वह नहीं करेंगे। तो फिर सरकार इस रकम को जो ६५ हजार से बढ़ाना चाहती है वह किस नियम के मुताबिक है कि जितनी चार्ज्ड रकम है उससे बढ़ा कर ली जाय।

दूसरा प्रश्न यह है कि अगर राष्ट्रपति आज्ञा दे दें कि कोई चार्ज्ड रकम बढ़ाई जा सकती है, तो उसके बारे में फिर यहां सदन में अनुपूरक बजट में मस्विदा के रूप में पेश किया जा सकता है लेकिन आज तक चूंकि राष्ट्रपति का आदेश प्राप्त नहीं है इसलिये और माननीय मंत्री जी ने जो रकम बढ़ाकर पेश की है वह अनुचित है, गैरकानूनी है, अवैध है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय नागर जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको मान्यता दी जाय और आज इस अनुदान को पेश करने की आज्ञा न दी जाय।

श्री गिरधारीलाल---मैंने तो जैसा शुरू में कहा, यह जितने भी इस प्रकार के खर्चे हैं वह सबजेक्ट आफ वोट नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता––मैं जानना चाहता हूं कि यह ६५ हजार सबजेक्ट टू वोट है या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल––जी नहीं। मैं तो यह अच्छा समझता था कि यह जितनी भी चीजें थीं उन पर माननीय सदस्यों के जो भी विचार हों वह जब कि पूरे अनुदान के ऊपर बहस होगी, तब रख सकते हैं और जहां और चीजों का जवाब दिया जायगा वहां इन बातों का भी जवाब दिया जा सकता है।

इसके अलावा जहां तक इस अनुदान की बात है, इस सम्बन्ध में मुझे अधिक समय नहीं लेना है। मैं यही कह रहा था कि हमारे सूबे के अन्दर स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ९३८७ मील पक्की सड़कें थीं .....

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)––माननीय मंत्री जी ने तो अनुदान पर भाषण आरम्भ कर दिया। आपकी आज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो थोड़ा-सा भ्रम है वह साफ हो जाय। बात यह है कि यह बात माननीय मन्त्री जी स्वीकार करते हैं और श्रीमन्, आप भी स्वीकार करते हैं कि यह चार्ज्ड एकाउन्ट है, इस पर वोट नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब माननीय राष्ट्रपति ने आज्ञा अभी नहीं दी है उसके पहले ही हम उस पर विवाद करें और इसको स्वीकार कर लें तो क्या इससे सदन का समय बर्बाद नहीं होता ? एक बात। और दूसरी यह कि क्या इससे राष्ट्रपति का अपमान नहीं होता ? अगर सदन ने पहले ही इस पर विचार कर लिया तो इससे राष्ट्रपति पर थोड़ा-सा दबाव पड़ सकता है क्योंकि वह सोच सकते हैं कि सदन ने इस पर विचार कर लिया है और इसे स्वीकार कर लिया है। तो इससे राष्ट्रपति के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव पड़ सकता है और उनका अपमान भी होता है और फिर जब यह चार्ज्ड एकाउन्ट है तो इसको बाद में भी लिया जा सकता है। इस समय इसको बजट में क्यों शामिल किया गया है ?

श्री अधिष्ठाता––मैंने इस प्रश्न पर विचार किया और जैसा कि संविधान के अनुच्छेद २०२ (३) से मालूम होता है माननीय राज्यपाल के आवास के लिये जो कुछ भी खर्चा होगा उस पर वोट नहीं होगा। माननीय नागर जी ने जैसा कि प्रश्न उठाया वह खर्चा इसमें शामिल भी नहीं है और न उस पर वोट ही होगा, सिर्फ माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये कि इस पर भी बहस-मुबाहसा हो सके उसे इसमें शामिल कर लिया गया है। इस पर सिर्फ बहस-मुबाहसा होगा, वोट नहीं होगा। इसलिये इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। माननीय मंत्री जी ने उसको इसमें इसलिये दिखला दिया है ताकि आप यह न कह सकें कि कोई चीज छुपाकर की जा रही है।

श्री गिरधारीलाल––मैं यह कह रहा था कि आज जो योजना इस वक्त चल रही है उस में जहां तक पुलों की बात है उनके लिये हमारे सूबे के अन्दर १३ करोड़ ८३ लाख रुपये की योजना है। ११३ बड़े पुल हैं, ७३ झूलेवाले पुल हैं और २४ किश्ती के यानी पौनटून ब्रिज हैं। मथुरा में जमुना के ऊपर जो पुल बन रहा है, उस पर काम चल रहा है। पानीपत के पास जमुना नदी पर भी पुल बन रहा है। बेतवा नदी पर बनाये जाने वाले पुल का भी जिक्र इस बजट लिटरेचर में है।

[श्री निरधारीलाल]

एक ओर जहां यह विभाग सड़कों का काम करता है, वहां दूसरी ओर भवन निर्माण का भी काम करता है । इस योजना काल के अन्दर कुल मिलाकर इसने ३० करोड़ रुपये के भवनों का निर्माण किया । इसमें खास तौर से उल्लेखनीय, विधान भवन का एक्सटेंशन तथा बनारसी बाग में जो म्यूजियम है, वह हैं । लखनऊ का स्पोर्ट स्टेडियम भी हैं । इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रुद्रपुर में निर्माण किया जा रहा है । १२५ लाख के भवनों का निर्माण भी इसी विभाग द्वारा हो रहा है । इसी तरह से कुछ लेबर हाउसिंग स्कीम्स भी हैं जिनमें से कुछ गवर्नमेंट की हैं, कुछ इंडस्ट्रीज की सहायता से चल रही हैं, उनका भी काम पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा हो रहा है । इन्डस्ट्रियल स्टेट्स भी हमारे प्रान्त में कई स्थानों पर कायम हो रही हैं, जैसे---मेरठ, सहारनपुर और आगरा में, वे भी इस विभाग के ही द्वारा बन रही हैं ।

इसके अलावा इस देश और प्रदेश की बड़ी-बड़ी सड़कें जिनको नेशनल हाईवेज कहते हैं व १३९७ मील हैं जिन पर इस योजनाकाल में २,१७,१५ हजार रुपया खर्च किया गया है । जिसमें उनका सुधार, उनको चौड़ा करना, उनका पनरुद्धार तथा बहुत से स्थानों पर शहरों से बाहर सड़कों को ले जाना, रेलवे लाइनों के नीचे अथवा ऊपर से पुलों के द्वारा सड़कों का निकालना आदि कार्य इस धन के द्वारा किये गये हैं ।

फ्लड प्रोटेक्शन के कार्य भी इस विभाग के द्वारा हुए हैं । बनारस के घाटों के अतिरिक्त और भी बहुत से कार्य इस विभाग के द्वारा हुए हैं ।

अब ६०--६१ म जिन सड़कों पर काम होने जा रहा है उनमें पक्की सड़कें हैं ४३७ मील और कच्ची सड़कें हैं ११८ मील जिसका प्राविधान इस बजट लिटरेचर में किया गया है । पक्की सड़कों का माडर्नाईजेशन १०४ मील, कच्ची पगडंडियों या सड़कों जिनका सुधार किया जा रहा है १८१ मील हैं । इसके अलावा माडर्नाईजेशन के लिये ११५ मील का प्राविधान इस बजट में किया गया है । ४६ पुलों का भी प्राविधान किया गया है जिनको यह सदन मंजूर करेगा ।

मैं इतना और सदन की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं, जैसा कि पहले भी कहा गया था कि हमारी यह पालिसी रही है कि हम सड़कों के बारे में लखनऊ में ही बैठ कर लाइन न खींच दें कि फलां जिले में सड़कों को बढ़ाया जायगा या किसी आदमी के आकर कहने पर कि उन सड़कों का प्रोग्राम तय कर लें, इससे अच्छा हमने यह समझा है कि सरकार की ओर से एक आदमी हर जिले में जाय और वहां पर जनता के जितने नुमायन्दे हैं, चाहे एम० एल० एज० हों, चाहे एम० पीज० हों चाहे म्यनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या टाउन एरियाज के चेयरमैन हों, यानी जिले के जितने भी शासन संचालन करने वाले हों, पुलिस सुपरिंटेंडेंट व डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उन सब की सलाह से सड़कों की प्रायरिटी नं० १, २, ३ के हिसाब से तय कर दी जाय और सरकार से जितना धन उपलब्ध हो उसके हिसाब से इन चीजों को बनाया जाय । मैं समझता हूं कि उससे बहुत अच्छी तरह से बैलेंस्ड और प्लान्ड तरीके से तथा वैज्ञानिक तरीके से सड़कों का निर्माण होगा ।

इस बात के अलावा मैं इस वक्त सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इतना बतला दूं कि इस साहित्य के अन्दर एक सर्वे डिवीजन का भी जिक्र किया गया है । हम इस बात की जरूरत बहुत पहले से महसूस करते रहे हैं कि जो बहुत सी शिकायतें इस काम के सिलसिले में होती हैं कि इतना रुपया खर्च करने का एस्टीमेट इस काम के लिये था तो इतना ज्यादा खर्च कैसे हो गया, इस शिकायत को दूर किया जाय । मसलन कोई एस्टीमेट १० लाख का है तो उस पर १५ लाख कैसे खर्च हो जाता है ? तो इस डिवीजन के जरिये हम देखेंगे कि वह चीज आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जा रही है ।

जब हम युद्ध के बाहर आये तो उस वक्त हमको एकदम से यह सब काम सम्भालना पड़ा और जनता की जरूरतों की पूर्ति के खयाल से बहुत काम काफी जल्दी में उस वक्त हुए । इस वक्त हमारे पास पूरे सूबे की सड़कों का हिसाब है लेकिन उन सड़कों पर कितना खर्चा

होगा, किस तरह की सड़कें बनेंगी और पुल कैसे बनेंगे और कितना उन पर खर्चा होगा, इसके तमाम डिटेल्ड एस्टीमेट्स अभी तक हमारे यहां तैयार नहीं हुआ करते थे। जो नक्शा देख लिया करते थे कि इस हिस्से से इस हिस्से तक सड़कें बनानी हैं और इनमें २५ हजार या ५० हजार फी मील के हिसाब से खर्चा होगा, इसका अन्दाजा लगा लिया करते थे। लेकिन उसमें कहीं-कहीं बड़ी गलती होती थी। मसलन झांसी में एक स्थान पर उन्होंने नक्शा देख कर यह अन्दाजा कर लिया कि यहां नहर या सड़कें बनेंगी। लेकिन जिस वक्त उन्होंने उसे खोदना शुरू किया तो नीचे से राक निकलना शुरू हो गयी जिसमें साधारण तरीके से दुगना, तिगुना और चौगुना तक खर्च हो सकता है। यही बात पहाड़ों के ऊपर भी होती है और इसी प्रकार की बातें पुलों के सिलसिले में भी हैं। तो इन तमाम बातों के ऊपर सरकार को पहले से पूरा अन्दाजा एस्टीमेट का हो सकेगा कि कितना हमको खर्च करना है, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए एक सर्वे सर्किल की स्थापना की गयी है जो इस बात का पूरा प्रयत्न करेगा कि जितनी प्रान्त की सड़कें हैं उनका डिटेल्ड एस्टीमेट पहले से तैयार करे और जिस दिन बजट पास हो जायगा उसके बाद इन सड़कों पर कार्य चालू करने में कोई दिक्कत न होगी। यह दिक्कत व परेशानी तो रहेगी ही कि महंगाई बढ़ जाने से परसेंटेज में कुछ फर्क पड़ जाय या फी इसकी वजह से खर्चा कुछ परसेन्ट ऊपर या नीचे हो सकता है।

अभी तक हालत यह है कि हम लोग यहां से बजट पास करते हैं तो पास होने के बाद भी ६-८ महीने तक का समय उस सड़क या पुल की योजना कार्यान्वित होने में लग जाया करता है पहले वर्ष में ही। उसमें खास तौर से दिक्कत यह होती है कि जिस वक्त बजट यहां से पास होता है उसके बाद वह जिले में प्रश्न जाता है और वहां पर उसका सर्वे होता है और फिर उसका डिटेल्ड एस्टीमेट आता है। वहां से फिर हमारे यहां और फाइनेंस डिपार्टमेन्ट में आता है, उसके बाद इजाजत मिलती है कि इस योजना पर काम चालू किया जाय। मैं समझता हूं कि इतने से माननीय सदस्यों को विवाद में काफी सहायता मिलेगी। इसके अन्दर एक और विशेष बात है वह यह कि अक्सर कहा जाता है कामों के संबंध में कि हमें कोशिश करना चाहिये कि काम ठेकेदारों के अलावा किसी दूसरी एजेंसीज से भी कराये जायं। मैंने इस विषय में पहले भी कहा था और इस साल फिर हमने कोशिश की है कि सहकारी समितियां जहां भी बनें उनको छोटे-छोटे काम दिये जायं और कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां मजदूरों ने अपनी समितियां बनाई हैं और वहां उन्होंने छोटे कामों को बहुत अच्छे तरीके से किया। जरूरत इस बात की है कि इस तरह की समितियां हर जगह बनाई जायं और उन को हम एक हद तक ७, ८, १० हजार तक के काम देने के लिये तैयार हैं और आगे अगर वह काम अच्छा करेंगी तो वह हद बढ़ाई भी जा सकती है। इन बातों के अलावा इस स्टेज पर डिमान्ड्स के संबंध में मैं अधिक कहना नहीं चाहता। बाढ़ वगैरा के बारे में मैंने बता दिया कि हम इस तरह से चल रहे हैं। अब मैं अधिक न कह कर माननीय सदस्यों की वार्ता को सुनूंगा और बाद में जरूरत होगी तो उत्तर दूंगा।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती पीठासीन हुईं।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ३४---सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य और ५०-क राजस्व से वित्त पोषित नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।

सड़कों, पुलों इत्यादि के निर्माण में किये जाने वाली पक्षपातपूर्ण नीति पर चर्चा करना और उनमें फैले भ्रष्टाचार की चर्चा करना; और

मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ३५---यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य--केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।

विभागीय भ्रष्टाचार , कामचोरी तथा सीमा सुरक्षा हेतु सरकार का यथेष्ट ध्यान न देना; और

मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ३६---सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य और ८१---राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य नीति का व्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है :

विभाग के सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करना तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में भेदभाव को दूर करना और बढ़ाकर एक स्तर पर करना ; और

मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या--५०--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपए की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।

विभागीय भ्रष्टाचार व ग्रामीण जनता की उपेक्षा का विरोध ।

अधिष्ठाता महोदय, आज एक बड़ा वाद-विवाद आदरणीय सदन में उठ गया हालांकि मैं उससे सबसे अधिक अफेक्टेड हुआ । पहले यह तय था कि यह आज वाले अनुदान बाद में लिये जायंगे । मैंने इन दिनों में अपना प्रोग्राम रायबरेली का लगाया था लेकिन वहां से आने के बाद ही मुझे मालूम हुआ कि यह अनुदान आज ही लिये जायंगे । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से और सदन से क्षमा चाहूंगा कि मैं अधिक न्याय इनके साथ न कर सकूंगा ।

सड़कों का जिक्र हम सबसे पहले रोमन काल में पाते हैं, ३१२ बी० सी० के करीब । उस समय हम देखते हैं कि एपीयन वे मशहूर थे । हमारे यहां मोहन-जोदड़ो और हड़प्पा में आज से साढ़े तीन व ढाई हजार वर्ष पूर्व मालूम होता है कि काफी चौड़ी सड़कें यहां थीं और चन्द्रगुप्त के काल में मुख्यतः सब पहले सड़कों के नियम बने । लेकिन बात यह हुई कि हमारे यहां सड़कें इतनी पुरानी होते हुए भी बहुत कम बन पाईं । इसका कारण यह रहा हो कि हमारा किसान पहले गाड़ी पर चढ़ कर भी कम जाता था । खासकर सेना को जरूरत पड़ सकती थी पर वह पहियेदार रथों पर बाद में बहुत कम चलती थी । ज्यादातर घोड़े पर, हाथी पर या पैदल चलते थे ।

उसके बाद जब अंग्रेज आये तो उन्होंने कोशिश की कि रेल का विस्तार ज्यादा हो। उन्होंने सोचा कि शायद रेल को अधिक सड़कों से नुकसान पहुंचे। तो इन सब कारणों से सड़कों की प्रगति बहुत कम हो पाई।

ब्रिटेन में जहां ३.२४ मील सड़क फी स्क्वायर मील भूमि पर सड़क है और यह १९४३ में २.०२ मोटर लायक थीं जब कि भारतवर्ष में आजकल .२४ मील पर स्क्वायर मील है और सन् ४३ में .२२ थीं। इसकी दो तिहाई कच्ची सड़कें हैं। विश्व के एक बड़े सड़कों के विशेषज्ञ ने लिखा है कि डैजर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स में .३ मील पर स्क्वायर मील सड़के हैं। तो मरुभूमि के लिये जो वहां मापदन्ड रखा गया है उससे भी कम हमारे यहां आबादी के लिये है। इसके बाद भी हम अपने लक्ष्य को पूरा करने से दूर ही नहीं है बल्कि कुछ एक छोटे प्रान्तों को छोड़कर हमारा प्रान्त सड़कों में सबसे पिछड़ा हुआ है, जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से। नागपुर में एक कांफ्रेंस हुई थी उसमें कुछ आंकड़े तय किये गये, उनमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जो हमारा आल इंडिया टारगेट था उसको हमने नीचा किया है। प्लानिंग बोर्ड की एक ऐसी रिपोर्ट है, उसमें यह साफ लिखा है।

सेकन्ड प्लान की बात ले लीजिये। इस प्लान के लिये हमें जो रुपया मिला था वह करीब १६.११ करोड़ था। उसमें से ६.५ करोड़ पुराने काम करने के लिये था। करीब १.७६ करोड़ उनके रख-रखाव का। ७.८८ शेष रह गया। यह भी जो शेष रहा इसमें कितना काम हुआ है यह देखने की बात है। विभाग की ओर से जो पुस्तिका सप्लाई की गई है इसमें जो चालू योजना थी उसमें ४४७ मील सड़क इस बीच में कवर करना था और हम केवल ३५२ मील ही कवर कर पाये। नव निर्माण जो है वह १,०३७ मील सड़क का होना चाहिये था। यह लेकिन केवल ५७१ मील हुआ। इसी तरीके पर पुनर्निर्माण जो है जिसका मतलब रिपेयर्स से है, अगर इसके सही माने मैंने लगाये है, वह १,३१० मील में होना चाहिये था, लेकिन २०० मील ही हुआ यानी ओरीजनल का १५.२ परसेन्ट ही हुआ। और बाद के घटे लक्ष्य के अनुसार यह प्रतिशत कुछ बढ़ गया है और खर्चा जो पहले आँका गया था उसमें से ९४.७ लाख खर्च हुआ बाकी रुपया लैप्स हुआ। इतना माइलेज कवर करने के लिये ५१.७ लाख से अधिक खर्च नहीं होना चाहिये था।

१९५७-५८ का बजट देखा जाय उसके लेखा शीर्षक ४७--नागरिक निर्माण कार्य जो राजस्व के बाहर से पूरे किये जाते हैं के अन्तर्गत करीब ६,००,००,००० का रु० अनुदान था उसमें करीब ३,००,००,००० रु० की बचत हुई। हो सकता है विभाग इसके कोई कारण दे कि सैंक्शन नहीं मिली, जमीन ऐक्वायर नहीं हुई, इत्यादि। लेकिन कुछ भी कारण हों इतनी सेविंग इस आइटम पर खासकर उस समय जब कि निर्माण कार्यों के लिये सरकार जनता पर टैक्स लगा कर रुपया लेती है, उसमें भी ५० फीसदी की सेविंग होती है और डेफिसिट बजट दिखाकर अन्त में बजट सरप्लस होता है, यह कुछ उचित नहीं है। एक तरफ हम जहां जनता की गाढ़ी कमाई से वसूला गया रुपया इस तरह से खर्च नहीं कर पाते हैं और उससे अधिक टैक्स लेते हैं तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी दुखद घटनायें हैं, जिनके बारे में मुझे अभी जांच करने पर मालूम हुआ। नेता सदन अक्सर कहते है कि भ्रष्टाचार की बातें नहीं कहनी चाहिये लेकिन

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

अगर न कही जायं और ऐसे भ्रष्टाचार अगर छिपे रह जायंगे तो उनसे औरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। एक तो यह विभाग पहले से ही बदनाम है। माननीय गोविन्द सहाय जी के शब्दों में यह "plunder with out danger" वाला विभाग है। अब सवाल यह होता है कि हो सकता है कुछ अफसर खराब हों और कुछ अच्छे भी हों लेकिन अब यह विभाग कुछ ऐसी सांस लेने लगा है कि हम ही अकेले भ्रष्ट चार की केटेगरी में नहीं रह गये और दूसरे विभाग भी हैं। विद्युत व सिंचाई भी इस श्रेणी में आ गये। पुलिस तो पहले से ही बदनाम है, लेकिन हमें इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिये। मैंने गत वर्ष मांग की थी---ऐसी कमजोरियों के लिये एक ऐंटी करप्शन कमेटी सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर की अध्यक्षता में बैठती है। मैं जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि उसने कितने ऐसे मामलों में जांच की और कितने मामलों में सजायें हुई।

मैंने गत वर्ष माँग की थी कि एक टेक्निकल सी० आई० डी० होनी चाहिये जो खुद चुपचाप हर जगह जायं और नमूना ले कि कितना सीमेंट है, कितनी बजरी है और उसको लेकर टेस्ट करें, और जहां कमी पायी जाय तुरन्त वहां जांच हो। इसमें मैं किसी व्यक्ति की शिकायत नहीं कर रहा हूं, एक बुनियादी उसूल होना चाहिये ताकि दोबारा लोगों को ऐसी हरकत करने की हिम्मत न हो।

इस विभाग के लिये सड़कों के लिये बड़ी दिक्कत है। और वह यह कि फाइनेंस डिपार्टमेन्ट में प्रोपोजल्स जब जाते हैं तो वह कहता है कि यह तो अनप्रोडक्टिव आइटम है, इसके लिये पैसा कहां से दें? वह सोचता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से सीधे सीधे कोई फायदा नहीं होता इसलिये इसको पैसा नहीं देना चाहिये। तो यह धारणा गलत है। अगर योजनायें चलानी हैं, देश को आगे बढ़ाना है तो सब से पहली जरूरत इस बात की है कि यहां यातायात के अच्छे साधन हों। इस बात की मांग कोई नहीं करता कि इस विभाग का बजट सब से अधिक बढ़ना चाहिये ताकि सड़कें बढ़े। सड़कों से प्रत्यक्ष आय भले ही न हो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देश आगे बढ़ता है जैसे कृषि के लिये अच्छे अच्छे औजार किसान के घर पर मुहैया करा सकते हैं, फरटीलाइजर दे सकते हैं। भूमि संरक्षण की बड़ी समस्या प्रदेश में है वह भी सड़कों से, पुलियों के बनने से, कलवर्ट्स के बनने से कुछ कम होती है, कई जगह कटाव बचते हैं। इसके अलावा जो सूचनायें सरकार भेजना चाहती है स्वास्थ्य के बारे में या अन्य किसी बारे में उनकी मोबाइल टीम्स गांवों में जा सकती हैं। गांव गांव में जायं, सूचना दी जाय सारी बातों की और ज्ञानोपार्जन हो, इसके लिये सड़कों की जरूरत है। जहां सड़कें होती हैं वहां शिक्षालय खुलते हैं और लोगों के बच्चों का ज्ञानोपार्जन बढ़ना शुरू हो जाता है।

बंगाल में अकाल का कारण यह भी हुआ कि वहां यातायात के साधन बहुत रद्दी थे। इसलिये सड़कों के लिये रुपया अधिक रखा जाना हर प्रकार आवश्यक है। जीवन स्तर की उन्नति के लिये जरूरी है सड़कों का होना।

बम्बई में कुछ गांवों का सर्वे हुआ था। उसमें यह बतलाया गया कि १०० रुपया सड़क पर खर्च किया जाता है तो उस स्थान की जनता की आय २९७ रुपये सड़क पर होने वाली फी १०० रुपये पर बढ़ती है। तो सरकार को यह नहीं सोचना चाहिये कि सड़क से सीधे हमारी जेब में पैसा नहीं आता। जितनी योजनायें हैं वे जनता के लिये हैं। जनता का जिस कार्य से भला होता है जनता की आमदनी बढ़ती है उससे सरकार का भी हित होता है।

इसके अतिरिक्त जो टार्गेट्स हैं, उनको एचीव करना है। आज सीमा पर एक बड़ी विपत्ति आ गयी है। हम बेखबर सोये हुए हैं और अभी ठीक कदम नहीं उठाया है। जिलों के टुकड़े करने से कोई फायदा नहीं होगा भले ही आप इंटेग्रिटी भंग कर दें। हमारी जो मनोवैज्ञानिक एकता है उसे नहीं टूटना चाहिये। लिहाजा जिलों के टुकड़े करने से कोई फायदा

नहीं हो सकता। न इससे सीमा की सुरक्षा हो सकती है। लेकिन कुछ गलत कदम सार्वजनिक निर्माण विभाग उठा रहा है। कभी-कभी हम सोचते हैं कि पत्थरों से बहुत काम पड़ता है तो क्या सरकार और विभाग दोनों पत्थर हो गये?

अल्मोड़े जिले का प्रश्न लूं। वहीं का केवल एक जिले का प्रश्न नहीं है। इसकी सड़क केवल पहाड़ की सड़कें नहीं हैं, ये सारे भारत की रक्षा की सड़कें हैं और भारत की भाग्य रेखायें हैं। वहां जो जरूरी सड़कें हैं वे तो नहीं ली जाती हैं। ली जाती हैं बेकार की और खतरनाक सड़कें। टनकपुर का मार्ग है, उसमें खतरा है, वह कच्चा भी है और कभी भी वह धोखा दे सकता है। उसको लिया जाता है। कुछ महानुभाव जिले के केन्द्र से बात करके आये और उन्होंने निर्णय कर लिया कि टनकपुर का मार्ग ठीक है। कभी-कभी जिले वाले गलत खबर भी देते हैं। बागेश्वर पर पुल बनाने की सोची जहां सरकार का दूना खर्च हो और कमजोर हो। वहां सरकार ने नहीं माना, ठीक किया। सीपूलेक तथा कालापानी सड़कों के लिये ५० हजार रुपये का अनुदान इस वर्ष रखा गया है ताकि चीनी जल्दी आ सकें। लेकिन हम धारचूले से आगे नहीं जायंगे क्योंकि वहां से आगे सड़क नहीं है। चीनियों के नापाक कदम इस पवित्र भूमि पर पड़ें ऐसा न हो, लेकिन जिन सड़कों को लिया जा रहा है उसका नतीजा यही होगा कि दुश्मन की सेना तो आ सके लेकिन हमारी सेना आगे न जा सके। उनके लिये मार्ग पहले बन जाय। हम यहां से सब ल करते हैं तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जीपेबिल रोड है। ऐसी जीपेबिल हम नहीं चाहते कि दुश्मन को कोई मौका मिले यहां आने का। कोई सवाल इसलिये नहीं पूछा जाता कि हमेशा हमारी यह मंशा होती है कि गृह युद्ध हो। लेकिन देश के मामले में जहां आप भी कहते हैं कि पार्टी लेविल से ऊंचे उठकर हमें काम करना चाहिए, फिर आप एक नजर से क्यों नहीं देखते हैं? आज आपके इंजीनियर्स ठेकेदारों को बहुत परेशान कर रहे हैं। उनके बिल नहीं बन पा रहे हैं। जैसे मान लीजिये आपके प्लान में १० फीट चौड़ी कोई चीज है और अगर वह १५ फीट निकले तो उसके लिये महीनों लग जाते हैं। इस तरह से कैसे काम चल सकेगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। पहाड़ों में ब्राइडिल सड़कें हैं जो केवल ६ फीट चौड़ी हैं उनको ४३४ मील लम्बी बनाने का आपका लक्ष्य था लेकिन केवल ४५ मील ही बनाई गई और वह भी सड़कें बनी हुई थीं केवल उनकी मरम्मत होनी थी। मुबारक हो आपके विभाग को कि इतना लक्ष्य उसने प्राप्त किया है। फिर आप कैसे कहते हैं कि हमने बड़ी तरक्की की है। नतीजा यही हुआ कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया।

मोटर की सड़कों का जो इसमें लक्ष्य रखा गया था वह बिल्कल पूरा नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिये देखिये इस पुस्तिका के पृष्ठ ७ पर छपा हुआ है कि कच्ची ब्राइडिल सड़कें २३ मील और नई मोटर सड़कें ६८ मील बनानी थी जिनमें खर्चा एक लाख ७५ हजार रुपया हुआ। इतनी जागरूक है हमारी सरकार। दुश्मन ने हजारों मील लम्बी सड़क बना ली, जब कि उससे पहले हम स्वतंत्र हुये थे। यदि यही हमारी प्रगति है और इसी तरह से हम चलेंगे तो देश के साथ एक तरह का धोखा देंगे। यह न सोचिये कि चाऊ-एन-लाई के मुहब्बत भरे पत्र आने लगे हैं। इससे आप बेहोश न हो जाइये। Keep your powder dry. दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिये। राजीनामा कर लें, लेकिन निर्माण-कार्य को न छोड़ें क्योंकि हम भूखे रह सकते हैं, हम नंगे रह सकते हैं लेकिन हम यह नहीं सह सकते हैं कि कल दुश्मन आये और फतह का डंका बजाये। अगर हमें अपने देश का नवनिर्माण करना है तो

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

सीमान्त इलाके के लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये। मैंने कहा था कि अगर हमारी सेवा चाहिये तो हमें असेम्बली की मेम्बरी नहीं चाहिये और हम इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन कौन सुनने वाला है?

एक बात मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान गया था और उन्होंने उपमंत्री जी को तकलीफ भी दी थी कि हम से बात कर लें। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ? भगवान जाने श्रीमती, जहां सारी बातें हो रही हैं वहां मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाय कि एक एस० ई० मौके पर जायं और वहीं वैरीफाई करके सेंक्शन दें चिट्ठियों के आने जाने में तो महीनों लग जायंगे। इस डिपार्टमेंट के अनुसचिव का बहुत अच्छा सुझाव था। मैं यह मानता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० में योग्य आदमी हैं। जैसे कार्तिकी प्रसाद, इंजीनियर बहुत योग्य और ईमानदार हैं। ऐसे इंजीनियरों को तैनात किया जाय और ठेकेदारों से काम न करा कर विभाग से कराइये जो कुली रखे जायं उनको ३ रुपये मजदूरी दी जाय, कपड़ा दिया जाय। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मेरे ५ मिनट और हैं।

श्री अधिष्ठाता—आपके दो मिनट और हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—२५ मिनट रोज मिलते हैं। यह तो डेढ़ दिन का अनुदान है, इसलिये ५ मिनट और दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—अच्छा बोलिये आप।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं देश की बात कर रहा हूं छोटी-छोटी बातें नहीं करना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कुलियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। साढ़े तैंतिस रुपये उनको मिलते हैं। वह भी इंसान हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनको खाना चाहिये और उनके बच्चों को शिक्षा चाहिये, उनकी स्थायी सर्विस भी नहीं है। उनके माथे ओवरसियरों का बोझा ढोना है। उनको इन बातों से बचाइये।

दूसरी बात यह है कि हमारी एक गलती हो रही है। अगर किसी की पहुंच है तो एक ओवरसियर एग्जिक्यूटिव इंजीनियर हो जाता है। जिसने पांच साल तक रुड़की में घास छीली है उसको कुछ नहीं मिलता। तो आपस में मनमुटाव होता है। मैं यह नहीं कहता कि ओवरसियर को न दीजिये। लेकिन जो योग्य हो उसको दीजिये। नैनीताल में जो घटना हुई, कुछ साल पहले उससे बहुत से लोगों का मन मर गया। अंग्रेज क्या करते थे? बहुत हुआ ओवरसियर को एस० डी० ओ० बना दिया या राय साहब बना दिया। आप भी ऐसा ही क्यों नहीं करते? आपने भी खिताब शुरू कर दिये हैं।

एक बात और। इंजीनियरों की प्रापर्टी की जांच होनी चाहिये। ईमानदार लोग इसका स्वयं स्वागत करेंगे क्योंकि बदनाम लोगों के साथ ईमानदार भी बदनाम हो रहा है। भ्रष्टाचार तब तक नहीं मिट सकता जब तक विभाग के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी ठीक नहीं हैं। १९४७ में २० ट्रक खरीदे गये कि यह बाढ़ में काम आयेंगे। कोई योजना नहीं बनाई गई और २४ हजार के टग के हिसाब से खरीद लिया। किसी इंजीनियर से सलाह लिये बिना, या कोई योजना बनाये बिना चूंकि एक माननीय मंत्री को अपने साथी को, जो पाकिस्तान तशरीफ ले जा रहे थे, शौकत उमर जो पाकिस्तान के एक प्रमुख निर्माता इस्फहानी के नौकर थे उनकी मदद करनी थी। इसलिये ४ लाख ८० हजार रुपये के टग खरीदे गये। जवाब तलब हुआ तो चूंकि मिनिस्टर साहब ने अपने हाथ से आर्डर दिया था उसमें हो ही क्या सकता था मगर डिपार्टमेंट को कुछ न कुछ जवाब देना ही था। खरीद के वक्त यहां तक हुआ कि कलकत्ता के एक इंजीनियर साहब यों ही भेजे गये। चूंकि मिनिस्टर साहब का मामला था इसलिये उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि मामला मेकैनिकली ठीक है। उनमें से तीन काम में आये और बाकी बेकार पड़े रहे।

अब परिस्थिति यह है कि ७८ हजार में ९ बिके । जब कहा गया कि वह इस्तेमाल क्यों नहीं होते तो कहते हैं कि अब पुल बहुत बन गये हैं । इस लिये इनकी जरूरत नहीं है । लेकिन पता लगा कि वह यहां की नदियों में काम कर सकने योग्य नहीं हैं, वरन स्थिर जल के लिये बने थे । वह तो समुद्र के लिये बने थे । लेकिन चूंकि एक दोस्त की मदद करनी थी इसलिये ४ लाख ८० हजार रुपया बरबाद कर दिया गया ।

रायल होटल की कीमत ३ लाख बताई गई । लेकिन उसे बढ़ा कर सवा सात लाख कर मालिक को अदा किया गया। ऐसी भ्रष्टाचार की अनेक घटनायें हैं जो सर्वोच्च पद पर आसीन लोग करते रहे हैं । जब तक विभाग का ऊंचे से ऊंचा आदमी ऐसा करेगा तब तक भ्रष्टाचार किसी तरह से दूर नहीं हो सकता । छोटों में किसी ने सौ लिये, किसी ने हजार या दो हजार ले लिये यह तो बुरा है ही । लेकिन जब बड़े लोग लाखों और करोड़ों का वारा न्यारा करने लगें और जनता की खून पसीने की कमाई की बटाई उनके दोस्तों में हो, और कोई जांच न हो तो यह एक अंधेर की बात है । इसकी जांच करवायें । अगर रुपया वसूल न होगा तो कल को हम या और कोई आयेंगे । हम इसको भूल नहीं सकते । देश की जनता के पैसे का दुरुपयोग होना हम भूल नहीं सकते । एक एक फाइल निकलवायेंगे और देखेंगे । भगवान करे आज के शासक लोग उस दिन जिंदा रहें। कहीं किसी ने खुदागंज का टिकट कटा लिया तो हमें निर्णय में बड़ी मुश्किल होगी ।

रामगंगा पुल के लिये २१०० रु० फी रनिंग फुट के हिसाब से मांगा गया । उसकी सैंड कैसी है, राक कैसी है कितने बड़े आर्च हैं इसका कोई ध्यान नहीं रक्खा गया । कितने कलवर्ट बने थे ? क्या स्ट्रेस और क्या स्ट्रेन होगा ? लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया । कहा गया कि साइट पर कोई जगह नहीं थी । इसलिये अस्थायी बिल्डिंग बना दी हमने । आडिट का आब्जेक्शन आया । ७५ हजार रुपया कैसे आपने बिना लेजिस्लेचर के सैंक्शन के खर्च कर दिया ? यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि यह तो टैम्पोररी बिल्डिंग्स थीं । न यह उसी २१०० रुपये फी रनिंग फुट के हिसाब के अंदर आ सकती थी । और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि जनता से कहा गया कि पुल इंजीनियरों के बंगलों से ५ मील के अन्दर है लेकिन उसे ५ मील से थोड़ा बाहर बनाया गया । इसलिये कि ५ मील के भीतर भत्ता नहीं मिलता । ये सब खुले आम काम हैं और ऐसे एक नहीं अनेक काम हैं । उसमें एस० डी० ओ० के क्वार्टर और और बहुतेरे क्वार्टर हैं जो पक्के बने हुये मौजूद हैं । जिनका पता मैंने मौके पर जाकर लगाया । तो ऐसी गलत बातें नहीं की जानी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को वह स्वीकार करे ।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया । जहां तक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का ताल्लुक है उस मुहकमें के बारे में पिछले दस, बारह साल से काफी बातें हम सुनते आये हैं और काम इस मुहकमें ने इस माने में अच्छा किया है मगर बदकिस्मती है कि नाम इसका कुछ ज्यादा बदनाम है। मुख्तलिफ नामों से इस सदन के इधर और उधर दोनों तरफ बैठने वाले लोगों ने इसको पुकारा है । किन्हीं का ख्याल है कि यह पब्लिक वेस्ट

[श्री गोविन्दसहाय]

डिपार्टमेंट है, कोई कहता है कि प्लंडर विदाउट डेंजर है । मुख्तलिफ उपाधियां इधर और उधर से दी गई । लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता । इस मुहकमे ने बहुत काफी अच्छे काम भी किये हैं । मगर इसकी कुछ समस्यायें हैं, कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं आशा करता हूं कि हमें सोचना होगा और उन त्रुटियों को दूर करना होगा । मैं उन्हें चार हिस्सों में बांटता हूं । चार समस्यायें इसकी मैं मौलिक रूप से समझता हूं ।

पहली तो है देरी की समस्या । मुख्तलिफ वक्त यह कहा गया कि रुपया इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । चाहे रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आया, चाहे वह रुपया इस सदन ने पास किया,लेकिन उस रुपये को हम खर्च नहीं कर पाते। तो जाहिर बात है कि हमें उस मसले पर सोचना पड़ेगा कि इस देरी की समस्या पर कैसे हावी हुआ जाय । मैं सोचता हूं कि देरी के कारण जो हैं वह हमारी काम करने की जो प्रणाली है उसे या तो हमने सुधारा नहीं है या उसके ऊपर मजबूती के साथ में उसे बदलने में जुटे नहीं हैं । जो कुछ यहां से पास होता है, जो प्रोपोजल्स पास होते हैं वह इंजीनियरिंग के मुहकमे में जब जाते हैं तो फिर वहां से लौटकर फाइनेंस में आते हैं। एक, डेढ़ महीने बाद तो कागज चलता है, फिर वहां जाता है। जहां से फिर हर एक आइटम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है । यानी पहले अपने मुहकमें में जाता है और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है। फिर उसका एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर होता है । इस तरह से पांच, छः महीने का समय निकल जाता है और बाकी जो चार-पांच महीने बचते हैं उसमें सिर पर भूत सवार होता है कि काम जल्दी खत्म करना है, कैसे खत्म किया जाय ? उस वक्त भाग दौड़ मचती है कि जल्दी से जल्दी इसे खत्म कर डालो । मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी हमारे मंत्री महोदय ने यह कहा कि इस मसले पर वह गौर कर रहे हैं और इस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं । मगर आजकल स्पीड का जमाना है । तेजी से कार्य करने की कोशिश अगर नहीं करेंगे और तेजी से गौर करके उसे नहीं बदलेंगे तो हालात आपको बदल देंगे । आज के एटामिक एज में बुलक कार्ट थिंकिंग काम नहीं दे सकती । बुलक कार्ट की स्पीड की थिंकिंग अगर है तो उससे काम नहीं चलेगा । मैं समझता हूं कि इस देरी पर कैसे हावी हुआ जाय, अभी तक संजीदगी के साथ जुटकर इसके ऊपर गौर नहीं किया गया है । मेरा ऐसा ख्याल है कि यह एक प्रोसीजर की बात है । कुछ ऐसा प्रोसीजर सिम्प्लीफाइड बनाया जाय जिसमें कि स्कीम सारी तीन महीने में मंजूर हो जाय और बाकी ९ महीने कांस्ट्रक्शन हो । मिनिस्टर महोदय ने कहा कि बहुत सी बातें वह हमारी शिकायतों को सुनने के बाद बतलायेंगे तो इशारतन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर भी वह रोशनी डालें कि किस तरह से इस देरी के प्राब्लम पर वह हावी होना चाहते हैं ।

दूसरा प्राब्लेम करप्शन का है । मेरे खयाल में किसी महकमे में करप्शन लीगलाइज्ड नहीं है । करप्शन के लिये लोग यह समझते हों कि इसका करना पाप नहीं है ऐसा कोई महकमा नहीं है । सारे महकमों में इसको एक पाप समझा जाता है । पर उस पर हावी नहीं हुआ जाता । इस चीज ने महकमों में लोगों के कांशेन्स को कुंठित कर दिया है । लोग यह महसूस करते हैं कि ५ परसेन्ट, २।। परसेन्ट ठेकेदार से ओवरसियर को दिलाना और ओवरसियर का इंजीनियर को देना यह कोई करप्शन की प्रैक्टिस नहीं है । यह एक रोटीन है । यह खतरनाक मर्ज है । इस महकमे में यह मर्ज क्रानिक हो गया है जिसको करने में उनको कोई बुराई नहीं मालूम होती है और उनके जीवन की यह एक साधारण कार्य प्रणाली है। मैं समझता हूं इसके ऊपर काफी सन्जीदगी के साथ गौर करना होगा । इसके वास्ते मेरा ख्याल है कि ठेकेदारी सिस्टम जो है उसको किसी रूप में प्रहार करके निकालना होगा । आखिर ठेकेदार का क्या इन्टरेस्ट है ? ठेकेदार का इन्टरेस्ट उसका प्राफिट है। वह प्राफिट के पीछे जाता है। उसके सामने कोई आदर्श नहीं है। उसके सामने यही इन्टरेस्ट रहता है कि किस तरह से वह अपने प्राफिट को बढ़ाये ? अपने इस प्राफिट को बढ़ाने के लिये वह मकानों की क्वालिटी ही खराब

नहीं करता है बल्कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी करप्ट करता है और नये नये तरीके से उसके असरात शासन में आते हैं। मैं समझता हूं इस बीच की ठेकेदार की एजेन्सी को इस मुताल्लिक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है चाहे आप कोआपरेटिव को या किसी और एजेन्सी को यह काम देना चाहें तो दें। आपका महकमा इस बात को सोचे लेकिन मैं यह समझता हूं कि बहुत ही सन्जीदगी से आपको यह सोचना पड़ेगा। कोआपरेशन को अगर कहीं इन्ट्रोड्यूस करने की जरूरत है तो इस महकमे को सब से ज्यादा जरूरत है। कोआपरेटिव को या और नान-आफिशियल एजेन्सी हो, जिनको आप पसन्द करें, यह काम दिया जाय।

साथ ही में यह भी समझता हूं कि आपका महकमा उस नये तरीके को विफल बनाने में कोई कमी नहीं रखेगा। जाहिर बात है कि जो सिस्टम बन जाता है फिर वह दूसरे सिस्टम के पैर नहीं जमने देता है क्योंकि जिन लोगों को उससे फायदा होता है वह उसको विफल बनाने में पूरी मदद करते हैं। मुझे यह मालूम हुआ है कि इस तरफ कुछ कोशिश की गई लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। यही तरीका होता है किसी चीज को विफल करने का। ऐसे हालात पैदा कर दिये जाते हैं कि वह विफल हो। मैं यह भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इस महकमे में ही करप्शन है। दूसरे महकमों में भी करप्शन है। इस महकमे में कम है और दूसरे महकमों में ज्यादा है या इस महकमे में ज्यादा है और उसमें कम है मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता। लेकिन यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह हमारे सोचने का विषय है। इस महकमे में करप्शन को करप्शन नहीं समझा जाता है। वहां पर करप्शन जिन्दगी का जुज समझा जाता है जो कि एक बहुत खतरनाक चीज है। इसलिये इन चीजों की तरफ आपको कोई कदम बहुत तेजी से उठाना पड़ेगा क्योंकि यह रोग पुराना हो गया है और आसानी से नहीं जायगा। "Chronic disease requires radical operation" वनकसे से काम नहीं चलेगा जैसा यह मर्ज है वैसी ही इसके लिये दवा सोचने की जरूरत है। इसके लिये रेडिकल ट्रीटमेन्ट की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिम्त में कुछ कदम उठाये जांयगे।

तीसरी चीज इस महकमे में कंस्ट्रक्शन कास्ट की है कि इसको कैसे कम किया जाय? मैं कोई टैक्निकल आदमी नहीं हूं लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि हमारे जो इंजीनियर हैं उनके खयालात आज की दुनिया में कुछ ऐन्टीक्वेटेड से हो गये हैं। उनका कुछ पुराने तरीके से सोचने का ढंग है। आजकल टैक्नालाजी में जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है उसमें इंजीनियर बहुत कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से कास्ट आफ कंस्ट्रक्शन को कम किया जाय और किस तरह से मैटीरियल को बचाया जाय। इंजीनियरों को इस पर गौर करना होगा कि किस तरह से लोहे के इस्तेमाल को बिल्डिंग में कम करायें। स्टील को खरीदने के लिये हमको एक्सचेन्ज की जरूरत पड़ती है। कंस्ट्रक्शन कास्ट को २,४ नौकरों को कम करके कम नहीं किया जा सकता है। इसमें हमारे इंजीनियरों को देखना होगा कि मौजूदा जमाने में इंजीनियरिंग दुनियां मे किस तरह से स्टील को रिप्लेस कर रहे हैं। उसके अन्दर उनको होशियारी दिखानी होगी ताकि यह कास्ट आफ कस्ट्रक्शन कम हो ताकि देश का फायदा हो। जो इंजीनियर इस तरफ रिसर्च करें उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

[श्री गोविन्दसहाय]

चौथी चीज में यह समझता हूं कि इंजीनियर्स का आर्किटेक्ट में कोई दखल नहीं है। जब मैं दारूलशफा की इमारत देखता हूं तो मालूम होता है कि इस तरफ उनकी कोई थिंकिंग नहीं है। ट्रापिकल कंट्रीज के लिये कैसे मकान होने चाहिये इस तरफ उन्होंने सोचा ही नहीं है। यह मकान ठंडे मुल्कों के लिये हैं। इसमें हम अपने बीवी बच्चों को नहीं रख सकते हैं। एक कबूतरखाना बना हुआ है, हमारी स्वायल के नजदीक हमारा आर्किटेक्ट होना चाहिये, जिसका वास्ता हमारी कल्चर से, अपनी हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी से हो। कम से कम यह आलीशान इमारत ट्रापिकल कंट्रीज के लिए तो आउट आफ डेट है। मकानों का वास्ता वहां की जागरफिकल कंडीशन्स से, क्लाइमेट से होना चाहिये, लेकिन इस तरफ मैं देखता हूं कि हमारे इंजीनियर्स ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। उनको कम कास्ट पर इमारतें कैसे बन सकती है, कैसे वे हमारी आबोहवा के अनुसार बनें, इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये।

आखिरी बात मैं रुड़की यूनिवर्सिटी के बारे में कहना चाहता हूं। पाठ्यक्रम के टेक्निकल साइड में मैं नहीं जाता लेकिन लड़कों का जो वहां रहन सहन है, जो उनका थिंकिंग प्रोसेस है वह वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था। जो साहबों की तालीम वहां पहले होती थी, वही आज भी उसी तरह से चल रही है। अगर हम आजादी के इन १०, १२ सालों में कोई इंपैक्ट अपना उन शिक्षा के स्थानों पर जहां इंजीनियर्स बनते हैं, अगर नहीं कर पाये हैं तो हमारा कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है। करोड़ों रुपया मंजूर कर देने से ही कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता ? रुपया जिस के पास हो वही खर्च कर सकता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल किस तरह से वह खर्च हो, सोचने के ढंग पर मुनहसिर करता है। तो मैं चाहूंगा कि रुड़की यूनिवर्सिटी इस दिशा में कुछ सबक ले।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—जो अनुदान सरकार की ओर से पेश है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह विकास का अनुदान अधिक से अधिक होना चाहिये। जो कार्य किये गये हैं, वे सराहनीय हैं और उन के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं, लेकिन देहात के लिये कहना चाहता हूं कि उनकी नीति उपेक्षा की रही है। जो पुस्तिका बांटी गयी है उसमें चीफ इंजीनियर साहब ने लिखा है कि यातायात की सुविधायें नहीं हैं और उन से खाद्य पदार्थों की उन्नति को बाधा पहुंचती है और यह सब कृषकों पर एक प्रकार से प्रहार करता है। तो अगर इन जगहों पर पहले ध्यान दिया जाय तो अधिक उत्तम होगा।

मैं अपने जिले की ही बात बतलाऊं। वहां सरकार की नीति देहात के प्रति उदासीनता की रही है और मैं बतलाना चाहता हूं कि जब तक वहां यातायात का सुधार और विस्तार नहीं किया जायगा तब तक देहात की उन्नति नहीं हो सकती और न प्रान्त का कल्याण हो सकता है। मेरे जिले में एक सड़क द्वारा उरई और राठ को आपने मिलाया। उरई का इलाका हमीरपुर से मिला हुआ है। उस सड़क को आपने ले लिया। अगर आप उस सड़क को न लेकर ऐसी सड़क लेते जो ४२ मील की दूरी पर है जिले से तो अधिक फायदा होता। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो सड़क ली जाने वाली थी वह द्वितीय योजना में भी पूरी नहीं हुई और शायद तीसरी योजना में भी पूरी हो इसका भगवान ही मालिक है। उसके लिये हमने श्रमदान किया ५३ हजार रुपया कंट्रीब्यूशन का जमा है विभाग में इन सब के होते हुये श्रीमन्, इतनी प्रगति हुई कि मुश्किल से दो मील लम्बी सड़क बन पायी है। यह आपकी प्रगति हुई है। इसे देख कर श्रीमन्, दुख होता है। पुस्तकों में यह लिख दिया जाता है कि इतनी मील लम्बी सड़कें बन गयी हैं लेकिन जो हालत है उसको देख कर दुख होता है। अगर आप चाहें तो जितना अनुदान आप पास करते हैं उसी में अगर आप वहां के लोगों से राय लेकर उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हिसाब से कार्य करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिये माननीय मंत्री जी बतायें कि आपने क्या तरीका रखा है ? एक साहब एक बार अंतरिम जिला परिषद् में आये और वहां के लोगों से कुछ राय मशविरा किया और उनसे उनकी राय मांगी । लेकिन अंतरिम जिला परिषद् ने जिस सड़क के लिये राय दी थी मदारीपुर से कालपी की सड़क के लिये उसको आपने नहीं माना । अगर आप वहां पर सड़क बना देते तो वहां यातायात की सुविधा होती और ला एन्ड आर्डर को मेन्टेन करने में जो परेशानी होती है वह भी न होती । लेकिन उस तरफ आपने कतई ध्यान नहीं दिया । मैं जानता हूं वहां से कुछ पास होकर आता है आप उसमें परिवर्तन कर देते हैं ।

एक बात मैं पुलों के बारे में कहना चाहता हूं । जालौन जिले में एक गांव गोपालपुर है जो मध्य प्रदेश के बार्डर पर है । उस तरफ मध्य प्रदेश से एक सड़क आ गयी है वो मील की । वहां पर एक नहर पर पुल बनाने की आवश्यकता है । अगर वह पुल बन जाय तो उससे यातायात की सुविधा हो सकती है और उससे फिर जितना वहां का रोजगार है वह हमारे जिले में होगा । ला ऐन्ड आर्डर की जो दिक्कत होती है वह भी नहीं रहेगी । अगर वह पुल बनाया जाय तो उसमें मध्य प्रदेश की सरकार भी आपको कुछ सहायता दे सकेगी । इसलिये यह पुल बनना चाहिये ।

एक बात श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा है हमारा जो काम होता है उसमें देरी होती है । मैं, श्रीमन्, यह चाहता हूं कि जब बजट आता है और उसमें जिस स्कीम को आप लाना चाहते हैं उसका पहले आपको ऐस्टीमेट मंगा लेना चाहिये । आपको तैयार हो कर आना चाहिये पहले से कि इन इन चीजों को आपको लेना है । इसलिये जैसे ही वह रकम पास हो फौरन ही फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को भेज देनी चाहिये ताकि उस पर तुरन्त कार्यवाही हो सके । आपके यहां यातायात की कमी है और इसके लिये बम्बई के एक एक्सपर्ट की राय है कि आपके यहां यातायात की कमी के कारण आपकी प्लानिंग की बहुत सी चीजें पूरी नहीं हो सकतीं । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय भी आप कोई ग्रान्ट लायें उस समय यह देखें कि आपकी स्कीम्स पूरी हैं। ग्रान्ट आप तभी पेश करें जब आपकी स्कीम्स पूरी तरह मुकम्मिल हों ।

इसके अलावा जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा हमारे यहां बहुत से ऐसे ठेकेदार मौजूद हैं जो अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं । तो क्यों नहीं उन पर आप इतमिनान करते ? उनका नियंत्रण कीजिये और उनको ठेके पर दीजिये । सारा काम विभाग से होना असंभव भी है । क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में थोड़ा काम होता था । अब ऐसा कीजिये कि लोगों को जिससे उत्साह मिले । कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं, उनको भी दीजिये, मैं यह नहीं कहता कि न दीजिये, लेकिन यह कहना कि काम नहीं होता तो इसलिये नहीं होता कि वह ही नहीं, और जितनी स्कीमें हमारे जिले में बनीं दुर्भाग्य से समझिये कि बुंदेलखंड में सबसे कम सड़कें और सब से कम पुल बने हैं और उतनी ही तकलीफ जनता को है जितनी कि स्वतन्त्रता के पहले थी । मैं आशा करता हूं कि हमारे यहां के डिप्टी मिनिस्टर भी हैं, वह इसका ख्याल करेंगे कि बुंदेलखंड के लिए ज्यादा सहायता दी जाय ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान पहाड़ी क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। क्योंकि उस पहाड़ के अंचल में यातायात की असुविधायें इतनी अधिक हैं कि वहां के लोग बरसात के दिनों में नदी के वार-पार बस्तियां होते हुये भी ६-६ महीने तक एक दूसरे से न तो मिल पाते हैं और जाना हुआ तो २४-२४ मील एक किनारे होकर, चौबीस दूने अड़तालीस मील की दूरी तय करके उस गांव के पार पहुंच पाते हैं। इसी प्रकार सड़कों की इतनी असुविधायें हैं कि आज के जमाने तक जहां आप लोगों को गेहूं १६ रुपया मन मिलता है, मैं आप को बताना चाहता हूं कि हमें फी मन पर कहीं किराया ढुलाई १२ रुपया, कहीं १६ रुपया, कहीं १८ रुपया अधिक देना पड़ता है। इससे आप हमारी मुसीबत को समझ सकते हैं।

यहां पर शायद मंत्री महोदय और दूसरे लोग यह समझते हैं कि ये लोग केवल इसलिये चिल्लाते हैं कि ये अधिक चाहते हैं। मैं आप से निहायत अदब के साथ यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मैंने आज नहीं, १० वर्ष पहले इस जगह से यह प्रार्थना की थी कि आप हमें यह बता दीजिये कि हमारे विकास की घड़ी कौन होगी, कौन सा महीना, कौन सी तारीख होगी? जब हम २-२ सौ साल तक वेट कर सकते हैं तो और दो, चार साल वेट कर सकते हैं। १० साल वेट किया, लेकिन अभी तक सरकार ने यह नहीं बताया कि हमारी मुसीबतों को समाप्त करने के लिये कौन सी घड़ी होगी? मैं क्यों इस बात को कहता हूं? इसलिये कि सरकार महसूस नहीं करती है। यह जरूरी नहीं है कि यह सरकार फिर हुकूमत करे, कल दूसरी आ सकती है और उसकी प्लानिंग दूसरी तरह की हो सकती है और हम फिर और अधिक पीछे पिछड़ सकते हैं। आज जो यह सरकार समझती है कि हम कर ही लेंगे, यह जो आप के दिमाग में फैसला है यह बिलकुल गलत है। हमारी बहुत सी मुसीबतों की तरफ जो १० साल से चलती आयी हैं, सरकार का ध्यान अभी तक कतई उस ओर गया नहीं है। हमारे पहाड़ी प्रान्त में हमारे चीफ इंजीनियर डिस्ट्रक्ट इंजीनियर रहे हैं। उनको मालूम है कि एक क्षेत्र है वहां जिसको राठ कहा जाता है। उस ओर से अगर हमें अल्मोड़ा जाना होता है तो अल्मोड़ा और गढ़वाल का पहले डायरेक्ट यातायात का साधन था, लेकिन आज अल्मोड़ा पहुचने के लिये जोकि हमारे बगल में ही है, हमको ६ जिले पार करके सातवें जिले अल्मोड़ा में जाना पड़ता है। मैंने सैकड़ों बार इस सदन में मंत्री महोदय से प्रार्थना की कि आप को इस क्षेत्र की तरफ अवश्य ध्यान ले जाना चाहिये। मैंने इसके मुत्तालिक एक पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा और उनका पत्र मेरे पास आया कि वह पत्र उन्होंने डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी को भेज दिया। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी का लिखा मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैंने माननीय गिरधारी लाल जी से इसके मुत्तालिक कह दिया है और वह सड़क की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन मुझे खेद है कि आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। हमारी माताओं और बहनों ने जब उनको अनाज की कमी हुई तब कुदाल, सबल और गैंती लेकर सड़क का निर्माण किया और बांधाट से लेकर पौड़ी तक २९ मील की सड़क है, जो चीफ इंजीनियर इस प्रदेश के हैं उनको पता है, उस सड़क को वाइडेन करके मोटरेबिल बना दिया गया है। हम लोग सरकार की तरफ से जनता में प्रचार करते हैं कि लोगों को श्रमदान करना चाहिये। मैं कहता हूं कि यह कितने शर्म की बात है कि हम लोगों से तो श्रमदान-श्रमदान की बातें करते हैं और जब जनता श्रमदान करती है तो सरकार उस श्रमदान के कार्य को सम्हाल नहीं सकती। यह कितने दुख की बात है। आखिर हम लोग जो मुल्क को सम्हालना चाहते हैं उन्हे अपने दिमागों और दिलों को भीतो देखना चाहिये। जो मुल्क को सम्हालना चाहते हैं वे पहले अपने को खुद सम्हालें। अगर हम खुद अपने को नहीं सम्हाल सकते तो इस मुल्क को सम्हालने के काबिल नहीं हैं। इसलिये मैं निहायत अदब से दरख्वास्त करूंगा कि हमें बताया जाय कि हमारी उन मुसीबतों के अन्त के लिये कौन सी घड़ी है, हम को यह सदन में बताया जाना चाहिये।

हम स्वतन्त्र मुल्क के नागरिक हैं, हम गुलाम नहीं हैं। जो कोई हमको गुलाम समझता है वह हमारे मुल्क के साथ अन्याय करता है, भारतवर्ष के संविधान के प्रति अन्याय करता है,

वह जुर्मदार है और उसकी ट्रायल होनी चाहिये खुली अदालत में। हम यहां बकने के लिये नहीं आये हैं। हम इस सदन के सदस्य हैं और मुल्क की समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। यह कोई पागलखाना तो है नहीं, यह कोई बरेली और आगरे का जेल नहीं है और अगर यह जेल नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो यहां पर कमियां दिखाई जाती हैं उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिये या नहीं ? अगर दिया है तो उसका क्या नतीजा हुआ यह हमको आज तक क्यों नहीं बताया गया ?

अब मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां डेमोक्रेसी है, हमारे यहां पंचायतराज है। ठीक है, किताब में लिख दिया, कानून बना दिया डिमोक्रेटिक किस्म का लेकिन अनडिमोक्रेटिक अपने बिहेवियर में हों तो मुझे बड़ी ग्लानि होती है इस देश की जहनियत के ऊपर कि किस तरह से पढ़े लिखे लोग बरताव करते हैं। जब मैं माननीय मंत्री जी के पास गया और मैंने माननीय मंत्री जी से अपनी मुसीबतों का जिक्र किया तो मैं आपके पास डिमोक्रेटिक किस्म का मनुष्य समझ कर गया था लेकिन ऐसे डिमोक्रेटिव गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब के अनडिमोक्रेटिक बर्ताव के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। मुझसे कहा गया कि नहीं यह काम नहीं होगा, नहीं किया जायगा।

"It is most undemocratic shameful for the Government, shameful for the Country."

जिसको हम और कोई पसन्द नहीं करते। हम इस प्रकार किसी मंत्री के अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम स्वतन्त्र भारत के नागरिक हैं। हम इस माननीय सदन के सदस्य हैं जो हमसे इस तरह से मंत्रियों के बर्ताव को टालरेट करने को कहते हैं वे मुल्क के साथ अन्याय करते हैं, हमारे साथ भी अन्याय करते हैं। तुम यदि मुल्क को भूल सकते हो तो मुल्क तुमको भूल जायगा। हम कहते हैं कि आज की रिपोर्ट में यह लिखा जायगा कि यह मुल्क तुमको भूल जायगा। यह बड़े दु ख की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत में होते हुये दिल्ली में हमारी पार्लियामेंट होते हुये, स्वतन्त्र भारत के नागरिक होते हुये, हम लोगों के साथ यह अत्याचार कि हमको गुलाम समझा जाता है और हमारे त्याग और तपस्या के ऊपर कुठाराघात किया जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि तुम ने कांग्रेस को मुर्दा बना दिया है और देश का आदमी जब तुम से बदला लेगा तब तुम्हारी हुकूमत टिक नहीं सकती। आज तुमने कांग्रेस की जड़ों को हिला हिला कर खोखला कर दिया। कोई भी मंत्री हो, कोई भी आफिसर हो जो इस प्रकार का बर्ताव करता है वह इस मुल्क की और जम्हूरियत की जड़ों को खोदता है और इस मुल्क को गुलाम बनाता है।

मैं इस प्रकार के बिहेवियर को कन्डेम करता हूं, उस ताकत से जो कि भगवान ने हमको इन्साफ करने के लिये दी है। हम इस सदन में देश के साथ इन्साफ करने के लिये बैठे हैं। हम सरकार का ध्यान देश की मुसीबतों की तरफ दिलाते हैं। हमारे यहां पौड़ी में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, आठ आने का एक घड़ा खरीदना पड़ता है और अब मई, जून का महीना फिर आने वाला है। क्या हम सूरत दिखाने के लिये इस सदन में आते हैं ? या हम इस सदन में सरकार की सूरत देखने के लिये आते हैं ? हरगिज नहीं। जो मुल्क के साथ इन्साफ नहीं करना चाहता वह हट जाय, उसको हमारे मुल्क में जगह नहीं मिलनी चाहिये। जो कोई भी हमको कुचलना चाहेगा हम उसको टालरेट नहीं करेंगे। जो कोई भी हमारी देश के प्रति अच्छी भावनाओं और प्रम को खत्म करना चाहता है उसको हम टालरेट नहीं करेंगे।

*श्री शिव प्रसाद नागर—प्रधिष्ठात्री महोदया, मैं माननीय गोविन्दसिंह विष्ट के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस समय इस सदन में मैंने माननीय चन्द्रसिंह रावत का जो भाषण सुना—जोकि कांग्रेस के एक कर्मठ नेता हैं—उससे ऐसा मालूम हुआ कि इधर से जितनी बातें हम लोग कहा करते थे वही आज सच्चाई के रूप में उधर से छा रही हैं। इन सब बातों के साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय हमारी केन्द्रीय सरकार ने इन विकास योजनाओं के अन्तर्गत पी०डब्लू०डी० के काम पर प्रकाश डाला तो उन्होंने एक जगह पर कहा है: "यह सम्भव है कि ज्यों-ज्यों योजना का काम आगे बढ़े, त्यों-त्यों नीति और दृष्टिकोण की बजाय प्रशासन और संघटन के विषय में कठिन प्रश्न पेश आते रहेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में प्रशासन के मुख्य कार्य यह हैं (१) प्रशासन में ईमानदारी की स्थापना ...." तो इस तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये ईमानदारी के बारे में इस विभाग के कुछ मामलात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं।

प्राक्कलन समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सड़क जो कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के पास बनाई गई थी वह केवल तीन मील की थी। तो उस तीन मील की सड़क के ऊपर सिर्फ ९३ हजार रुपया फी मील के हिसाब से एस्टीमेट रखा गया था। मगर किसी वजह से मार्गबदलना पड़ा और जब मार्ग बदला गया तो आधा मील सड़क बढ़ गई। फिर उस सड़क पर १ लाख १५ हजार रुपया अधिक खर्च किया गया। तो ९३ हजार रुपया तो उस समय खर्च किया गया फी मील के हिसाब से जबकि तीन मील सड़क बनाई गई लेकिन जब साढ़े ४ फर्लांग और वह सड़क बढ़ाई गई तो उस पर १ लाख १५ हजार और खर्च किया गया जब कि ९३ हजार का आधा खर्च होना चाहिये था यानी साढ़े ४६ हजार रु०। तो उस साढ़े ४६ हजार के स्थान पर १ लाख १५ हजार रुपया खर्च किया गया, यह इस विभाग की ईमानदारी का द्योतक है। यह प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है जो कि राबर्ट्सगंज की सड़क के बारे में साफ-साफ कहती है कि ऐसा किया गया। उस कमेटी ने इस विभाग की ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बारे में यह रिपोर्ट दी है।

इसके आगे श्रीमन्, आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि यहां पर श्रमदान की बात बहुत आती है और कहा जाता है कि आप लोग श्रमदान की तरफ ध्यान दें। यू०पी० में हजारों मील सड़कें श्रमदान से बनाई गई लेकिन उस तरफ कोई तवज्जह नहीं दी जाती है, उनकी मरम्मत वगैरह के बारे में। जब हम डिपार्टमेन्ट से कहते हैं तो वह कहते हैं कि यह श्रमदान की सड़क है, हमसे क्या मलतब। तो हम तो श्रमदान करें, मेहनत करें और कोई ध्यान सरकार देती नहीं बल्कि आज श्रमदान की सड़कों से नफरत की जाती है। विभागीय कर्मचारी श्रमदान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना चाहते हैं।

आडिट रिपोर्टों को देखने से मालूम होता है कि इस विभाग में अथाह भ्रष्टाचार का सागर है। इस आडिट रिपोर्ट में लिखा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में ५,५९,३४,९५३ रुपये की धनराशि का निराकरण नहीं किया गया। अगर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अखाड़ा है तो यह विभाग है। सन् १९५९ की यह एक आडिट रिपोर्ट है। इसमें एक जगह कहा गया है कि लेखा-परीक्षा विभाग ने यह संकेत किया कि विनियोग लेखों के उप-शीर्षकों में से कुछ उप-शीर्षकों के अधीन स्तम्भ ४ में और महत्वपूर्ण निर्माण-कार्यों पर व्यय के ब्योरेवार विवरण-पत्रों के स्तम्भ ६ में न्यूनाधिक-ताओं के लिये स्पष्टीकरण देना सम्भव नहीं हो सका। जब-जब पूछा गया तो यह बतलाया गया कि वाऊचर और रसीद नहीं है और किसी चीज को साफ-साफ विभाग के सामने नहीं रखा जा सका।

एक सड़क सीतापुर जिले में बनाई गई। इसके लिये लिखा है कि भवन तथा सड़क डिवीजन में एक सड़क के नवीकरण और अनुरक्षण पर, जो कि राज्य सरकार की नहीं थी, १९४८-४९ से १९५१-५२ तक २७,४४५ रुपया व्यय हुआ। जब इस सड़क पर निर्मित एक पुल के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रयुक्त किये गये सामान को उसका मालिक अक्तूबर, १९५१ में उठा ले गया तब यह पता चला कि यह सड़क किसी स्थानिक जमींदार की थी। रुपया हमारा खर्चा हो रहा है, सड़क दूसरे की है। माले मुफ्त दिले बेरहम। बिना एस्टीमेट के सैकड़ों काम कर डाले गये। उनमें कितने धन की बरबादी की गई, उसका अनुमान नहीं है।

इस विभाग का एक सबसे बड़ा नमूना हमारे सदन में मौजूद है। हाथ कंगन को आर्सी क्या? किताबों में कुछ लिखा है, हम कुछ पढ़ सकते हैं। मौके पर कुछ हुआ है, हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन यह चीज सदन में मौजूद है। सन् १९५७ से पहले इसका एडवांस दिया गया, कम्पनी नदारद हो गई। हाउस में जब हो-हल्ला मचा तो ये खम्भे हमारी छातियों पर लगा दिये गये हैं। लाखों रुपया इसमें बरबाद किया गया। लेकिन यह बोलता नहीं है, न इसके ओवरसियर और इंजीनियर बोल पाते हैं। इस लिये यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा द्योतक है।

आगे क्या बताऊं? बार्डर पर जो रकम सड़कों के बनाने के लिये दी गई थी, जहां कि सुरक्षा का सवाल है, वहां भी ९०,००,००० रुपया सरप्लस रह गया और लैप्स हो गया। कितनी शर्म की बात है इस महकमे के लिये? इस महकमे को अपने गरेबान में मुंह डाल कर देखना चाहिये।

एक आडिट रिपोर्ट में है कि ४,९६,९४,७४८ रुपये की बचत हुई और वह लैप्स हो गया। यह एक अनुदान ८,०७,४१,६०० रुपये का अन्तिम मतदेय था। कौन इंजीनियर या एक्स्पर्ट हैं ऐसे, किस विलायत से वह पढ़कर आये हैं, जिनको इस बात का खयाल नहीं है कि हम १ रुपये का सौदा लेने चलें, ८ आने का सौदा ले आये और ८ आने वापिस ले आये और काम पूरा न हो? उनकी अयोग्यता पर रिमार्क देना चाहिये। एक सिद्धांत मान लिया गया है कि सड़कें क्यों बनाई जावेंगी। इस रिपोर्ट में दिया है कि जिन क्षेत्रों में यातायात के साधन नहीं है खाद्य पदार्थों की उन्नति में बाधा पड़ती है, वहां सड़कों का अभाव वहां के कृषि करने वालों पर प्रहार होता है। वहां सड़कें बनाई जावेंगी अवश्य। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं बतलाऊंगा कि लखीमपुर से शाहजहांपुर तक १४० मील लम्बी सड़क है। सारा शरीर सुन्दर है मगर नाक नहीं है। इस सड़क पर लखीमपुर के पास केवल ७ मील टुकड़ा कच्चा है। तिकुनियां मंडी लखीमपुर में नैपाल का गल्ला इम्पोर्ट करती है। यह बहुत इम्पार्टेंट मंडी है। बिरलायन और तिकुनियां के बीच में ५ मील कच्चे टुकड़े को क्यों नहीं बनाया जाता है जबकि वहां के डिप्टी कमिश्नर, जिला परिषद् इत्यादि सब इसकी सिफारिश कर चुके हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के काम क्यों नही पूरे हो पाते हैं? क्यों सरप्लस रह जाता है? इसका कारण यह है कि ठेकेदारों के साथ तय नहीं हो पाता है कि कितना कमीशन मिलेगा और इसलिये काम उन्हें नहीं दिये जाते हैं या उनका काम फेल कर दिया जाता है और उन्हें तबाह व बरबाद किया जाता है।

*श्री गज्जूराम (जिला झांसी)––आदरणीय अध्यक्षा, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। बड़े आश्चर्य की बात है कि कटौती का प्रस्ताव पेश किया जाता है जब कि यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गज्जूराम]

अनुदान सार्वजनिक हित के लिये है। गरीबों के फायदे के लिये यह है और अमीर भी फायदा उठा सकते हैं, किसान भी ले सकते हैं और व्यापारी भी ले सकते हैं। इसमें किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। सरकार की मशीनरी के लिये भी काम करने को आवागमन के रास्ते ठीक होना आवश्यक है। जैसा राजा साहब ने अभी कहा, बुन्देलखंड के लिये मैं कहता हूं। मेरे जिले में केवल ३ मील सड़क बनी है, बाकी के लिये नहीं कह सकता। सन् १९४७से जबसे हमारी जन-प्रिय सरकार ने शासन लिया है सैदपुर फार्म की सिर्फ ३ मील सड़क बनी है। हाउस में कई बार डकैतियों की समस्या पर प्रकाश डालते हुए यह बताया गया कि आवागमन के रास्ते जब तक ठीक नहीं हो जावेंगे तब तक डकैती की समस्या हल नहीं हो सकती चाहे कितनी ही पुलिस और पी० ए० सी० वहां भेज दी जाय और लाखों रुपया खर्च कर दिया जाय। बुन्देलखंड का क्षेत्रफल अन्य जिलों के क्षेत्रफल से ज्यादा है, आबादी जरूर कम है। वह ऊबड़ खाबड़ और जंगली इलाका है। वहां की डकैतियां तब तक कम न होंगी जब तक कि वहां पर ठीक रास्ते नहीं होंगे। किसान भी गल्ला पैदा करे तो बाजार को कैसे ले जाय ? बरसात में न तो बैलगाड़ी और न ट्रक ही बाजार तक गल्ले को बगैर रास्ते के ले जा सकती हैं। कोई बीमार आदमी दवाइयों की सुविधा, रास्ता न होने से, न पा सकने के कारण मर भले ही जाय लेकिन बिना सड़कों के वह वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां सरकार ने चिकित्सा का प्रबन्ध किया है। माननीय मंत्री जी ने पूरे बुन्देलखंड का निरीक्षण किया है। माननीय महावीर सिंह जी का रास्ता जाना हुआ है और वे जानते हैं कि बुन्देलखंड की क्या समस्यायें हैं। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि ललितपुर सब-डिवीजन से वहां के जिला परिषद् ने एक सुझाव भेजा है तथा वहां के अधिकारियों ने भी उसका समर्थन किया है और अधिकारियों ने भी अपनी तरफ से भेजा है और उन्होंने कहा है कि डकैती की समस्या और पिछड़े इलाके की समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक रास्ते न बन जायेंगे। उन रास्तों में निम्नलिखित रास्ते बताये गये हैं---ललितपुर से कानपुर, ललितपुर से जखौरा, ललितपुर से राजघाट, ललितपुर से देवगढ़, महरौनी से मदनपुर, मदनपुर से नाराच।

वहां पर कुछ नये थाने भी इसलिये कायम किये गये कि डकैतों की समस्या हल हो सके। लेकिन जब तक रास्ते नहीं हैं तब तक उन थानों से कोई लाभ नहीं हो सकता। एक थाना बना है सौजना में। लेकिन सौजना से महरौनी तक कोई सड़क नहीं है। यह ठीक है कि दो, तीन, चार महीने वहां पैदल जाया जा सकता है लेकिन बैलगाड़ी या मोटर नहीं जा सकती। एक थाना ग्राह में है लेकिन ग्राह से सौजना तक कोई सड़क नहीं है। एक रास्ता महरौनी से कानपुर को भी बनना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दो रास्तों का बनना तय हुआ था। एक बांसी से जखौरा और दूसरा कैलमो को। जिसमें पहला रास्ता बनना तो शुरू हो गया है लेकिन दूसरा शुरू नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने नौरघाट पुल बनाने के लिये २४ लाख रुपया मंजूर किया है। लेकिन ऐरिच घाट पर कोई व्यवस्था नहीं है जिससे झांसी से गरौठा जाने का कोई मार्ग नहीं है, ४० मील का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है। ऐरिच घाट के लिये जरूर कोई व्यवस्था होनी चाहिये। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि मऊ से गरौठा को भी एक सड़क होनी चाहिये। वहां पर बहुत गल्ला पैदा होता है लेकिन उसकी उपज बाजार तक नहीं जा सकती। रास्ता न होने के कारण गल्ला कहीं नहीं जा सकता। इसके लिये एक वर्ष से प्रयत्न हो रहा है, सरकार से प्रार्थना भी की गयी लेकिन रास्ता नहीं बना। एक बार सरकार से आदेश भी हुआ कि इस रास्ते को बनाया जाय। तीन लाख रुपया भी दिया गया लेकिन उसको वहां से निकाल कर किसी दूसरे रास्ते में लगा दिया गया। कुछ दूर तक मंत्री जी उसको देख आये हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ जो माननीय मंत्री जी ने बजट पेश किया है उसका स्वागत करता हूं और आखिर में यह ध्यान दिलाता हूं कि ललितपुर इलाका जो बहुत पिछड़ा हुआ है उसको देखते हुए वहां अधिक सड़कें जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें।

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ६१ ३४--लेखा शीर्षक ५०--सार्वजनिक निर्माण-कार्य और ५०--क--राजस्व से वित्त पोषित नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत, अनुदान संख्या ३५--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण--कार्य-केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३६--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ५०--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी--लेखा

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--अधिष्ठात्री महोदया, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने जो यह अनुदान मांगा है, मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि यह पैसा जो माननीय मंत्री जी इस प्रदेश में खर्च कर रहे हैं वह बड़े-बड़े शहरों में और बड़े-बड़े आदमियों, मंत्रियों तथा राज्यपाल और बड़े-बड़े नौकरों के ऐशो-आराम के साधन जुटाने में खर्च कर रहे हैं। १७ फीसदी जनता जो शहरों की है उनके हित में इस रुपये को खर्च कर रहे हैं और ८३ फीसदी जनता आज गावों में सड़ रही है। शहर आज बढ़ रहे हैं जब कि गांव से टैक्स आता है और गांव के सारे के सारे साधन शहरों में उपलब्ध होते है, जब कि इस पुस्तिका में लिखा हुआ है कि यातायात के साधनों से खाद्य पदार्थ और कृषि की उन्नति और देश की सुरक्षा, तमाम चीजों की सुविधा मिलेगी।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खेती में उत्पादन और उन्नति शहरों में होती है या देहातों में होती है? आज देहात वाले तो इस तरह से हैं जैसे समुद्र के बीच में एक टापू हो। पुराने जमाने में जिस तरह से लोग कालापानी की सजा होने पर अंडमन-निकोबार आदि भेजे जाते थे उसी तरह से आज गांव के लोग टापू की तरह समुद्र के बीच में काले पानी की तरह पड़े हुए हैं। आज मंत्री महोदय राज्यपाल के भवन के लिये और विधान मंडल के सदस्यों के लिये तथा कानपुर, आगरा, बनारस, लखनऊ और बरेली ऐसे बड़े-बड़े शहरों को सजाने के लिये उद्यत हैं और आप देखें कि बनारस की तरफ माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा ध्यान है। जितने भी निर्माण कार्य किये गये हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा निर्माण-कार्य बनारस में ही हुए हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री के चंगुल में फंसे हुए हैं और इसलिये डरते हैं कि अगर ऐसा न करें तो शायद निर्माण मंत्री के पद पर नियुक्त न किये जायं।

आप वहीं पर अयोध्या को ही देख लीजिये जो इतना बड़ा तीर्थ स्थान है लेकिन उसके घाटों को बनवाने की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है और उसी तरह से अयोध्या में जो पुल बनने वाला है उसकी तरफ भी कोई विशेष ध्यान नहीं है। शायद वह अब बन्द ही कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर बनारस को देखिये कि वहां सारी की सारी चीजें बनती जा रही हैं। आज अधिक से अधिक पैसा बड़े-बड़े अफसरों के ठहरने के लिये बंगलों पर खर्च किया जाता है तथा उनके लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा शहरों में भी खर्च किया जाता है। इसका कारण यह है कि शहरों में बड़े आदमी बसते हैं, वहां पर बड़े-बड़े कल-कारखानों के मालिक लोग रहते हैं इसलिये उनकी सुख-सुविधा के लिये विशेष पैसा खर्च किया जाता है। इसके अलावा मंत्री लोग अपने आने-जाने के साधन के लिये सारी की सारी चीजें वहां मुहैया करते हैं।

जब कि हजारों वर्ष से हम लोग यह देखते आये हैं कि जितने राजे, महाराजे थे उन्होंने भी अपनी शक्ति के अनुसार सड़कें बनावयीं, अंग्रेजों ने भी बनवायीं लेकिन पिछले १२ वर्ष से जब कि इनका राज्य हुआ है, जो पुरानी सड़कें थीं, वे भी बर्बाद होती जा रही हैं, नयी सड़कों का तो कुछ कहना ही नहीं है। बाराबंकी जिले की सड़कों की हालत ही मैं आपको बतला दूं। १--बाराबंकी, जैदपुर, सिद्धौर, देवीगंज, सुबेहा, २--बाराबंकी, कोठी हैदरगढ़, ३--रुदौली, रेछघाट, सुबेहा, हैदरगढ़, ४--रुदौली, महमूदाबाद, ५--पटरंगा स्टेशन, मवई, बाबा बाजार, ६--मवई, सैल्हौरघाट, सुबेहा, हैदरगढ़, ७--हैदरगढ़ से राय बरेली और हैदरगढ़ से महाराजगंज, ८--मोहम्मदपुर, मऊवारपुर, ९--गनशपुर, भिटोली १०--गनेशपुर, महावेवा, ११--मरकामऊ,

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

महादेवा, सूरतगंज, फतेहपुर, मोहम्मदपुर १२--बुढ़वल, फतेहपुर, बेहरा-महमूदाबाद १३--बदोसराय, किन्तूर, १४--बदोसराय, सैदनपुर, सफदरगंज, जैदपुर, सतरिख १५--देवां, कुर्सी, महमूदाबाद, १६--देवा, चनहट, १७--बाराबंकी, जहांगीराबाद १८--बड़ागांव, बांसा, सआदतगंज, १९--भेलसर, रुदौली, २०--दरियाबाद, टिकैतनगर, २१--रामनगर, सआदतगंज परसा की यह जो पुरानी सड़कें थीं आज उन की हालत कच्ची सड़कों से भी बदतर है और जो कच्ची सड़कें हैं उन में तो धान उगते हैं। वही जो पुरानी पक्की सड़कें हमारे जिले में पहले से थीं वही अब भी हैं। इन सड़कों के किनारे गल्ला स्टोर, ब्लाक, और अस्पताल वगैरा बनाये जाते हैं, सुसज्जित बाग लगा रखे हैं, जब कि गांव के लोग उसी परेशानी में हैं जिस में पहले थे, आने-जाने के कोई साधन उनके लिये नहीं हैं तो किस तरह से वह उन स्टोरों से बीज और खाद वगैरा ला सकते हैं, कैसे वह अपना माल बाजार में बेचने जा सकते हैं ?

इसी तरह से पुलिस के लिये और जनता के लिये कोई जाने आने के साधन नहीं हैं और इसी कारण से आये दिन कत्ल, डकैतियां, चोरी होती हैं, मारपीट होती है और गरीबों के खेत छीने जा रहे हैं और कोई उन की सुनवाई करने वहां नहीं पहुंच पाता। इस तरह से जब देश की आन्तरिक नीति खराब है तो उसका देश की बाहरी नीति पर भी जरूर असर पड़ेगा और यही कारण है कि आज देश की सीमा पर चीन का आक्रमण हुआ है। अगर हमारी आन्तरिक नीति अच्छी होती, देश में गरीबों के हित की बात होती तो चीन की कभी हिम्मत नहीं होती कि वह देश पर आक्रमण की बात सोचता। मैं मंत्री जी से आशा करता था, वह हरिजन हैं, इसलिये गरीबों की सुरक्षा की बात सोचेंगे लेकिन वह तो अमीरों की गोद में खेल रहे हैं, उन्हीं की सेवा में लगे हुये हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज उन के विभाग में कितने हरिजन हैं ? बाराबंकी के अस्पतालों के भवनों की दशा बहुत ही खराब है, न वहां दवा है न सामान है। मोतिकपुर, सुबेहा और सिद्धौर के अस्पतालों में इमारत नहीं है और बहुत खराब हालत है, किराये की इमारतों में गन्दी जगहों पर यह अस्पताल चल रहे हैं। स्कूलों का भी यही हाल है कि वहां पर बैठने तक की जगह नहीं है, पढ़ने की तो कौन कहे। स्कूल वह बना रहे हैं लखनऊ में, बड़े-बड़े शहरों में बड़े आदमियों के बच्चों को पढ़ने के लिये बनवा रहे हैं। कर्मचारियों के लिये और विधानसभा के सदस्यों के लिये भवन बन रहे हैं, जो अच्छे अच्छे स्थान हैं जिन में पहले जमींदार-ताल्लुकेदार कबजा किये थे उन में अब मंत्रीगणों का कब्जा है।

आज मंत्रीगण और उन के बड़े-बड़े नौकर लोग सारे शहरों में ज्यादा से ज्यादा जमीन की जमींदारी बना कर कब्जा किये हैं और मकान बनाये हैं। अगर सोशलिस्ट पार्टी का बस चलेगा तो एक आदमी के पास एक मकान से ज्यादा न रहेगा और जो मकान इस प्रकार हस्तगत होंगे उन में अस्पतालों, स्कूलों और गरीब जनता को रहने का स्थान मिलेगा। माननीय मंत्री जी अपनी पुरानी याददाश्त को ताजा रखें अगर भूलते हैं तो प्रदेश की जनता अंगड़ाई लेगी। आज सरकार ५,००० में कच्ची सड़क बनाती है, कंकड़ की दस हजार में बनाती है, और तारकोल की एक मील सड़क बनाती है ४०,००० में। कच्ची तो श्रमदान से बन जाती है। सोशलिस्ट पार्टी का कहना है कि आप तब तक के लिये शहरों का उठाना बन्द कर दें और पहले सारे प्रदेश में कच्ची और कंकड़ की सड़कें बना दें और उस के बाद डामर और रबर को आप बनायें। आज तक तो आप गांवों के साथ सौतेले भाई का सा व्यवहार कर रहे हैं, अगर आप को देश को खून खराबी से बचाना है तो आप पहले ८३ प्रतिशत देहात के लोगों को ऊपर उठायें और इस तरह से इस ४० करोड़ के देश को बनायें।

*श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--अधिष्ठात्री महोदया, जो अनुदान इस सदन में प्रस्तुत है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट ने रखा है उसका विरोध करता हूं। यह ऐसा अनुदान है जिस पर किसी किस्म का बहस मुबाहिसा नहीं होना चाहिए था। यों ही इसमें धनराशि बहुत कम है। सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को चाहते हैं कि अधिक से अधिक सड़कें और पुल बनें। लेकिन जब इतना धन नहीं है तो कैसे बन सकते हैं? इसलिये मेरी राय तो यह है कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के, सब एक स्वर से माननीय मंत्री जी से, वित्त मंत्री से और केन्द्रीय सरकार से इस बात को कहें कि अधिक से अधिक धन इस मद में देना चाहिए। जब तक देश में और प्रदेश में सड़कें नहीं बनतीं तब तक विकास का काम पूर्णरूप से नहीं हो सकता। मैं अनुरोध करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जो काम आपके प्रदेश में हो रहा है उसमें पुलों की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। जब तक सड़कें और पुल नहीं बनेंगे तब तक अधिक अन्न उपजाओं आन्दोलन का भी उतना असर नहीं होगा। शान्ति और व्यवस्था के लिये भी सड़कों की उतनी ही आवश्यकता है।

मेरा सुझाव है कि चाहे बुन्देलखंड हो, चाहे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो, या कोई भी इलाका हो, पूरे प्रदेश का सर्वे कराके, हर जगह की जो ऐसी सड़कें है जो कई जगहों को मिलाती हैं उनको अवश्य ले लेना चाहिए। गांव की सड़कों के लिये जो रुपया छोटे टुकड़ों पर दिया जाता है उस रुपये को श्रमदान की सड़कों पर लगाने की योजना बनाई जाय। गांव वालों का उत्साह बढ़ाने के लिये श्रमदान की सड़कें अवश्य लेनी चाहिए। मेरे जिले सुल्तानपुर में लोगों ने ३६ मील सड़क ४ महीने में श्रमदान से बनाई। खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने उसे ले लिया। लेकिन तीन वर्ष हो गये, जो पुल बनना था, उसमें आज तक काम शुरू नहीं हुआ।

अकबरपुर से पट्टी जाने वाली जो सड़क है उसमें गोमती नदी का पुल पड़ता है। यदि वह पुल नहीं बनता है तो जो सड़क नैपाल से इलाहाबाद का कनेक्शन मिलाती है वह अधूरी रह जाती है। इसी तरह से सुल्तानपुर से सिमरी बाजार तक तो पक्की सड़क है, लेकिन सिमरी बाजार से आगे अकबरपुर तक जो जाती है, वह पक्की होनी चाहिए। अगर यह टुकड़ा पक्का कर दिया जाय तो कानपुर से सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। कूड़ेभार से मझवारा तक जो सड़क है उसे हलियापुर तक मिला दिया जाय तो बाराबंकी का वह क्षेत्र जिसके बारे में वर्मा जी कह रहे थे, वह खुल जाएगा।

जहां विकास के संबंध में चर्चा होती है वहां यह होता है कि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में रुपया जाना चाहिए, खड़ंजों या नालियों के लिये जाना चाहिए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह रुपये जो खड़ंजे या नालियों में लगाये जाते हैं, उसमें से लेकर विभाग के द्वारा सड़कों पर लगाना चाहिये क्योंकि जब तक सड़कें नहीं बनेंगी देश की तरक्की नहीं होगी और साथ ही उन सड़कों पर जो आपकी बसें चलती हैं वे भी जल्दी टूटने से बच जायंगी। लखनऊ से सुल्तानपुर की जो सड़क है उसके बीच में १०, १५ मील का टुकड़ा कंकड़ का रह जाता है अगर उसे भी आप इसी तारतम्य में सीमेंटेड करा दें तो अच्छा होगा।

जिलों में जो सार्वजनिक निर्माण समितियां बनी हैं उनको क्रियाशील करें। जितने भी ठेके दिये जाते हैं, कंकड़ की खुदाई का ठेका दिया जाता है तो ठेकेदार कंकड़ ला देता है, ओवर-सीयर ठेकेदार से मिला होता है जिसके कारण वह अच्छा कंकड़ नहीं लाता और वह जल्दी ही टूट जाता है। विधान सभा के सभी सदस्य उस कमेटी के सदस्य हैं। अगर उनको इस बात का अधिकार दे दिया जाय कि वे लोग उन जगहों पर हर क्षेत्र में जाकर देखें और रिपोर्ट

[श्री काशीप्रसाद पांडेय]

दें और मंत्री जी उस पर कार्यवाही किया करें तो बहुत सुधार हो सकता है। मेरे क्षेत्र में लखनऊ से बलिया जाने वाली सड़क मैंने स्वयं देखी, उसके मील ११३ से ११५ के ऊपर रही कंकड़ रखा गया है। लेकिन चूंकि हमें कुछ अधिकार नहीं है, हमारी आंखों के सामने ओवरसीयर और ठेकेदार खराब माल लगाते रहते हैं और अपनी मनचाही करते हैं। अगर इन समितियों को अधिकार दे दिये जायं तो वे अधिक सहयोग दे सकती हैं और क्रियाशील हो सकती हैं। इस लिये मेरा अनुरोध है कि उन समितियों के द्वारा टेंडर मांगने, कामों का निरीक्षण करने, सड़कों के किनारे की जमीन के पट्टे और उसको नीलाम आदि देने का अंतिम निर्णय जिला परामर्शदात्री समिति को दे दें तो काम अच्छा हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो काम हमारे जिले में हो रहे हैं उन्हें अवश्य पूरा कराया जायगा।

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी (जिला हमीरपुर)—आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। सड़कों और पुलों के न होने से आज देहातों में बड़ी परेशानी हो रही है, एक ही जिले में नहीं हर जगह। खाद्य समस्या के बारे में जो सरकार कहती है उसके लिये मैं थोड़ा बता दूं कि वे चीजें देहातों में सब होती हैं और वहां सड़कें नहीं हैं जिससे लोगों को लाने में बड़ी कठिनाई होती है। मैं तो अपने जिले में देखती हूं कि वहां पर सड़कें नहीं हैं और जब किसान गल्ला ले कर जाते हैं तो उनको बड़ी मुसीबत होती है। मेरा जिला हमीरपुर है जहां शायद सब से कम सड़कें होंगी। गांवों के रास्ते ऐसे खराब हैं कि किसानों की गाड़ियां तक टूट जाती हैं। जिस सड़क के लिये हम २, ३ साल से मंत्री जी से प्रार्थना कर रहे थे वह इस साल बजट में आयी, मौदहा से कपसा और मौदहा से बिमार। इसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

लेकिन मैं इतना भी कह दूं कि हमीरपुर जिले के एक तरफ जमुना है और दूसरी तरफ बेतवा और बीच में हमीरपुर टापू की तरह है। जिले की तमाम जनता बरसात में हेडक्वार्टर होने के नाते वहां आती है तो उनको बड़ी मुसीबतें उठाना पड़ती हैं। मैं बजट में देखती रही कि हमारे यहां भी कोई पुल निर्माण की योजना है? लेकिन मुझे इस सम्बन्ध में निराशा हुई। पर जब सड़क को देखा तो आशा हुई कि अगर इस साल नहीं तो तीसरी योजना में इस पुल को रखेंगे, और यह तो फिर हर साल घटता-बढ़ता रहता है। तो ५ साल के अन्दर माननीय मंत्री जी हमारे यहां पुल का निर्माण करेंगे बरसात के दिनों में हमारी बहनें बच्चों को लेकर वहां जाती हैं तो न इधर कोई रुकने का स्थान होता है और न कोई उधर रुकने का स्थान होता है जिससे बच्चों को निमोनिया और बुखार हो जाता है। बरसात के दिनों में बड़ी तकलीफ होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि हमीरपुर में पुल का निर्माण जरूर किया जाय क्योंकि उसके बगैर बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। बरसात के दिनों में, वैसे तो हमेशा ही तकलीफ रहती है, लेकिन जब मैं जाती थी तो जमुना से बेतवा तक इतने नाले ही नाले पड़ते थे कि हर गांव में नाले दिखाई देते थे। वहां कोई समतल जमीन नहीं है और अगर समतल जमीन होती तो वहां भूमिहीन नहीं रहते और जो मकानों के लिये वहां भूमिहीन रोते रहते हैं वे न रोते। मेरा माननीय मंत्री जी से सुझाव है कि वहां जरूर ही जमुना और बेतवा पर पुल का निर्माण करना चाहिये ताकि जनता को आराम व राहत मिल सके।

हमारे यहां बुन्देलखंड में झांसी, बांदा, जालौन तथा हमीरपुर से ज्यादा गल्ला मिलता है लेकिन बरसात के दिनों में जब सरकार को जरूरत पड़ जाती है तो बतलाइये वे कहां से गाड़ी लेकर निकलें। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि वहां पर सड़कों का निर्माण किया जाय तथा जमुना और बेतवा पर पुल बनाया जाय।

श्री तिरमलसिंह (जिला एटा)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं जो अनुदान सदन के समक्ष पेश है उसका समर्थन करता हूं। यह अनुदान जो पेश है यह निर्माण कार्यों के लिये है, चाहे इधर

के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठने वाले हों सभी निर्माण चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो रकम रखी गयी है, वह बहुत कम है, इससे दूनी होनी चाहिये थी। लेकिन खैर जितनी भी है वह ठीक है। हम यह मांग करते हैं कि इस अनुदान में और पैसा मिलना चाहिये ताकि सड़कों का निर्माण हो सके। निर्माण से जो फायदे हैं वे भी सभी लोग जानते हैं कि खेती को फायदा है यातायात बढ़ाने से। प्रशासन अच्छा चलता है, चोरी, डकैती रुकती है। ये सब इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इनके लिये जितना भी पैसा मिले उतना ही थोड़ा है।

अब सवाल यह आता है कि पूरे बजट में निर्माण के लिये क्या बचता है ? पूरे बजट के अन्दर अगर मेरी याददाश्त सही काम करती है तो ४७ करोड़ के लगभग रुपया सरकारी प्रशासन में खर्च होता है और १६ करोड़ रुपया आकस्मिक व्यय में रखा गया है। १५ करोड़ रुपया के लगभग कर्जा और व्याज में है। अब ५० करोड़ के लगभग बचता है जिसमें से करीब सभी विभागों को निर्माण करना है। अब सड़कों के लिये जो कि ज्यादातर गांवों से ताल्लुक रखती हैं उनके लिये बहुत कम रुपया रखा गया है।

मैं माननीय मंत्री जी व सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बजट में और पैसा बढ़ावें चाहे और किसी मद से काट कर पैसा दें और सड़कों के निर्माण के लिये अधिक से अधिक धन दें ताकि देश की आर्थिक दशा में सुधार हो। इसके अलावा जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें थोड़ा सा बिलम्ब हो जाता है। मैं उसके लिये ज्यादा न कह कर यह अवश्य कहूंगा कि इसके लिये पूरे प्रयास किये जायं और जो भी कठिनाइयां होती हैं उनको दूर किया जाय। सदन के मेम्बरों ने बताया कि वित्त विभाग में कागज अटके रहते हैं लेकिन मंत्री जी ने कहा है कि उसके लिए वह प्रयास कर रहे हैं और कार्य जल्दी ही होगा। दूसरी ओर से जो यह कहा गया कि विकास नहीं हुआ यह गलत है लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। यह भी कहना ठीक नहीं है कि काम नहीं हुआ। काम हुआ और जो पुस्तिका है उसके आंकड़े के अनुसार, जो पारसाल छपी थी और इस साल भी छपी है, काफी कार्य हुआ और हर जिले में सड़कें बढ़ी हैं। स्वराज्य से पहले की सड़कें दिखाई गई हैं और बाद की भी सड़कें दिखाई गई हैं। यह कहना निरर्थक है कि सड़कें नहीं बनी हैं। सड़कों का निर्माण हुआ है लेकिन कहीं-कहीं इसकी अधिक उपेक्षा कर दी गई है जैसे मिसाल के तौर पर मैं जिस जिले से आता हूं उसको जितनी सड़कें मिलनी चाहिये थीं वह नहीं मिली हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल २६ मील सड़क मेरे जिले एटा को मिलीं और दूसरी योजना में केवल ३६ मील सड़क मिलीं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो सरप्लस जिले हैं, जहां सड़कें ज्यादा बनी हुई हैं उनमें और सड़कें बनाने का प्रयास न करें बल्कि जो पिछड़े हुये जिले हैं उनमें ही ज्यादातर सड़कें बनाई जायं और अधिक सरकार सड़कें बनाकर जनता को राहत दे, यही मेरा कहना है।

इसके अलावा मंत्री महोदय ने कहा कि १३ करोड़ ८३ लाख रुपये से सूबे में पुल बनाये गये लेकिन जिला एटा में एक भी पुल नहीं बन सका। ३० करोड़ के जो भवन बनाये गये हैं, वह उद्योग विभाग के या पी० डब्लू० डी० या अन्य विभागों के हो सकते हैं लेकिन उनके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जहां तक पुलों का सवाल है वह यह है कि अन्य जिलों में काफी पुल बने हैं। इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि वहां पुल क्यों बने हैं ? लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि इसी योजना में काली नदी पर मुहारे के घाट पर पुल बनाने की व्यवस्था की जाय। बजट के साहित्य से मालूम होता है कि हमारे यहां सड़कें दी गई हैं लेकिन केन्द्रीय निधि से जो पोषित सड़कें हैं उनमें से एक भी सड़क हमारे जिले को नहीं दी गयी। इसके

[श्री तिरमल सिंह]

अलावा श्रमदान की जो सड़कें ली गई हैं उनमें एटा जिला की एक भी नहीं ली गई इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि एटा में भी कासगंज-हरनाथपुर श्रमदान की सड़क सार्वजनिक विभाग ले। सड़कों के मामले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारे जिले एटा की जिला परिषद् ने आपके भेजे हुये अधिकारी के समक्ष सर्वसम्मति से मीटिंग में तय किया कि प्रायोरिटी जिले में उन सड़कों को दी जाय जिनकी ज्यादा आवश्यकता हो और शायद प्राथमिकता दी भी गयी। जहां तक मुझे मालूम है पहले कासगंज---अमांपुर--सिड़पुरा सड़क और दूसरी सोरों--सहावर--गंज--डुंडवारा थाना दरियावगंज सड़क को प्राथमिकता मिली है। जहां तक अन्य सड़कों का ताल्लुक है उनके बनाने का सुझाव जिला परिषद् ने रखा लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उनका क्या हुआ। सड़कों के बनाने में आपके विभाग को तेजी लानी चाहिए। उनके बनाने में वह शीघ्रता करें। इसके अलावा आपने एक सड़क अपनी पुस्तिका में सोरों--सहावरगंज--डुंडवारा के नाम से दी है, वह कैनाल पर है। इस सड़क का नाम गोरहा सहावर होना चाहिये सोरों सहावर गलत है, ठीक कर दिया जाय। उस सड़क पर भी काम बहुत ढीला हो गया है और कोई कार्य इस समय वहां तेजी पर नहीं चल रहा है। कंकड़ न कूटने तथा न पड़ने के अभाव में ईटों का सोलिंग भी खराब होता जा रहा है, तुरन्त कार्य के लिये सरकार आज्ञा दे।

श्री अधिष्ठाता---समय समाप्त।

श्री लखमीसिंह (जिला अलीगढ़)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जबकि हमारी सरकार ने समाजवाद का लक्ष्य बनाया है तो हमारे निर्माण विभाग का महत्व और जिम्मेदारियां आज जो हैं भविष्य में उनसे भी ज्यादा होंगी। अतः इस विभाग के मौजूदा ढांचे में समयानुसार परिवर्तन करने की जरूरत है।

कृषि उत्पादक को पूरा पूरा लाभ मिलने के लिए सड़कों की आवश्यकता है। हर गांव से दो मील पर कच्ची और तीन मील पर पक्की सड़क की आवश्यकता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जहां तक आलोचना, समालोचना और करप्शन की बात है, इस पर मुझ से पूर्व वक्ता बहुत कुछ कह चुके हैं। लेकिन जहां तक सिद्धान्त का सवाल है मैं सीधी सादी बात सरकार के सामने रखना चाहता हूं। सरकार के हर विभाग में, हर जगह भ्रष्टाचार है। अब तक इस विभाग में ठेकेदारी से काम होता है। जो काम ठेकेदारी से बनता है वह सर्वथा कमजोर होता है। दूसरे उसमें करप्शन का भी भय होता है। इसलिए ठेकेदारी प्रथा का अन्त करके विभाग द्वारा इस काम को करना चाहिए। हर सरकारी विभाग का काम निर्माण विभाग द्वारा ही हो। सड़क विभाग में जो बेलदार, मेट और सुपरवाइजर हैं, वह सारी की सारी जिन्दगी भर उसमें काम करते हैं लेकिन उन्हें पूरी तनख्वाह तक नहीं मिलती है। जब कि एक केन्द्रीय सरकार के चपरासी को ८५ रुपया मिलता है, वह मेट और बेलदार बड़ी मुसीबतों में अपनी जिन्दगी काटता है, उसकी नौकरी मुस्तकिल नहीं होती है। आज है कल नहीं। मैं चाहता हूं कि इनकी नौकरी मुस्तकिल की जाय।

दूसरी चीज यह जो गैंग वाले है इनके लिए एक बड़ी भारी दिक्कत है। उनमें एक भेद-भाव कर रखा है कि इधर के जो पश्चिमी जिले में गैंग्स के आदमी है उन्हें ज्यादा दाम मिलता है और पूर्वी इलाकों के आदमियों को कम दाम मिलता है। सरकार कहती है कि इधर के आदमी तेज मिलते हैं इसलिए हमें उन्हें ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ती है और उधर सस्ते मिल जाते हैं इसलिए उन्हें कम तनख्वाह देते हैं। इस सरकार ने जब समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य अपनाया है तो यह भेदभाव मिटा देना चाहिए और सारे प्रदेश में एक समानता की नीति लागू की जानी चाहिए। विभाग के कर्मचारियों को वेतन और मंहगाई का भत्ता भी मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जो अभी ऊपर कहे गए हैं उनकी स्थायी तनख्वाह हो और उन्हें पूरा पूरा महंगाई भत्ता दिया जाय। आज इतनी मंहगाई के जमाने में उन्हें केवल उतना ही दाम मिलना जितनी कि उनकी मजदूरी हुई और उन्हें किसी प्रकार का महंगाई भत्ता न दिया जाना उचित नहीं है।

सरकार को चाहिए कि उनको महंगाई भत्ता भी दे। देहात के गैंग में जो आदमी सड़क पर काम करते हैं उनके लिए तो इतनी मुसीबत है कि सारी दोपहरी, सारे दिन मेहनत करके अपना लहू और पसीना एक कर देते हैं। लेकिन अगर किसी को बुखार आ जाय तो एक तो उसे कम मजदूरी मिले और फिर उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे और बड़ी-बड़ी तनख्वाह वालों का ध्यान किया जाता है इसी तरह से इन अल्पवेतन भोगी लोगों के लिए भी ध्यान दिया जाय और उनके भी इलाज और उनके बच्चों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाय ।

दूसरी बात अब मैं यह कहना चाहता हूं कि विभाग के कर्मचारियों की यूनियन के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार बन्द हो। श्रीमान जी, एक वाकया यह है कि एक यूनियन के दो नेता चन्द्रजीत यादव इंजीनियर महोदय के पास गये और सम्मानपूर्वक फैसला हुआ। लेकिन जिस वक्त में गए उस वक्त तो कुर्सी पर बैठाया और कोई और बात नहीं कही। लेकिन बाद में जब वह अपने गैंग पर काम करने लगे तो इंजीनियर महोदय जब सड़क पर घूमने गए तो उन्होंने एक शीशम के पेड़ के नीचे खड़े होकर उनको बुलाया और बुलाकर यह कहा कि आज यह कपड़े और उस दिन वह कपड़े, नेताशाही दिखाते हो। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये। उनके साथ वही व्यवहार करना चाहिये जो मानव के साथ होता है। अगर वे इस तरह का व्यवहार करते हैं तो सरकार को चाहिये कि ऐसे अफसरों को हिदायत दें कि वे ऐसा न करें।

अब मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं। हमारे जिले में जिस तहसील से मैं आया हूं उसमें कोई सड़क का साधन नहीं है। तहसील से या थाने से आने के लिये जिले में सड़क नहीं है। सब जगह से लोग जो मंडी में अपना अनाज ले जाते हैं उनको कच्ची पर चलना पड़ता है। आज तक उसका कोई इलाज नहीं हुआ है। १४ साल से हम बराबर कोशिश कर रहे हैं और गौतम जी ने कम से कम २ हजार वायदे वहां पर किये पर आज तक कोई पूरा नहीं हुआ। चौधरी साहब से भी हमने बहुत कोशिश की कि अपने यहां उनको लेजाकर दिखायें लेकिन अभाग्य से वह नहीं जा सके। सी० बी० गुप्त जी, पन्त जी और कैलाशनाथ काटजू साहब भी वहां पर गये लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। इसलिये वहां पर दो सड़कें बहुत मुख्य हैं उनको बनना जरूरी है। एक तो अलीगढ़ से कस्बा गोंडा तक है जो ३ मील तक बनी है उसमें मोहनलाल जी गौतम का एरिया है ९ मील तक, और मेरा एरिया है ३।। मील तक लेकिन फिर भी गौतम जी ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने वायदे किये हजार लेकिन कोई पूरा नहीं किया।

दूसरी सड़क है इगलास से खैर तक जो १७ मील की है। मेरा एरिया इसमें १० मील का है और गौतम जी का ७ मील से कम का है। हमने गौतम जी से बहुत कोशिश की कि यह सड़क बन जाय पर आज तक नहीं बनी है।

तीसरी बात यह है कि हमारे यहां करबन नदी है जिस पर पुल की बहुत आवश्यकता है, उस पर पुल बनना चाहिये ।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। यों तो अनुदान चलते हैं और उसमें प्रदेश के नेता लोग बोलते हैं लेकिन पी० डब्लू डी० विभाग के बारे में जिस तरह से लोगों की भावना है वह ठीक नहीं है। यह सही है कि इस डिपार्टमेन्ट का काम यातायात के साधनों को दुरुस्त करना और बड़े-बड़े भवनों का निर्माण करना होता है।

[श्री मुक्तिनाथ राय]

किन्तु हम यह कह सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट ने जनता की भावनाओं को समझने की कोशिश की है और हमारी सरकार इस तरफ काफी प्रयत्नशील है कि जनता की भावनाओं को देख कर, जनता की आगे क्या जरूरत है उसके हिसाब से विकास का आयोजन किया जाय। हमारे यहाँ प्रत्येक जिले में सड़कें बनाई जाने वाली हैं। मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा है कि अब हम नहीं चाहते हैं कि एक जगह बैठकर सड़क बना लें बल्कि हर जगह जाकर देखना होगा। मेरे जिले में यहां से पी० डब्लू० डी० के सेक्रेटरी महोदय गये थे वहां हम और अन्तरिम परिषद् के तमाम अधिकारी थे। जिले की आवश्यकता को देखते हुये कहां-कहां पर यातायात की सुविधा नहीं है, कौन-कौन पुल बनना चाहिये हम सबसे पूछकर एक योजना बनाई गई है और उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये, यह चीज होनी चाहिए वह हमने किया। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि सरकार हमारी आवश्यकताओं को समझ कर, कहां-कहां क्या-क्या होना चाहिये, जान कर चल रही है उसी हिसाब से, और वह जनता के लाभ का ध्यान रखती है।

अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। हम लिस्ट देखते हैं किताब में कि प्रत्येक जिले में इतने मील सड़कें बनायी गयीं। जिले, जिले में जहां सड़कें कम होती हैं वहां ज्यादा सड़कें बनायी जाती हैं और हर जिले की सड़कों के हिसाब से आप वहां का प्रोग्राम बनाते हैं। आजमगढ़ या दूसरे जो पूर्वी जिले हैं उनको देखने से मालूम होगा कि माइलेज के हिसाब से वहां ज्यादा सड़कें बनी हैं और कुछ पिछड़े हुए जिले बुन्देलखंड के या पहाड़ी जिले जो हैं वहां कम सड़कें बनी हैं और इसका नतीजा यह होता है कि उन पिछड़े जिलों में ज्यादा सड़कें बन जाती हैं हालांकि आबादी कम है। मेरा निवेदन है कि माइलेज का लिहाज नहीं करना चाहिये बल्कि यह देखना चाहिये कि कहां आबादी ज्यादा है और सड़कों की आवश्यकता कहां ज्यादा है। कहां सड़कें बनाने में कम पैसा खर्च होगा, कहां पुल तथा पुलिया बनाने में कम पैसा खर्च होगा और हम कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सड़कों का निर्माण कर सकते हैं, इस हिसाब से अपनी नीति अपनायी जानी चाहिये। अगर ऐसी नीति अपनायी जाय तो मैं मिसाल के लिये आजमगढ़ की बात कहता हूं कि वहां अधिक फायदा हो सकता है और पैसा कम ही खर्च होगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले में माइलेज ज्यादा है, लेकिन सारी सड़कें अंग्रेजी राज्य में बनायी गयी हैं और जब से स्वराज्य हुआ है, उस समय से बराबर शिकायत रही है कि सड़कें कम बन रही हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केवल ६ मील की सड़क मऊ से यूसुफपुर तक की बनायी गयी है और उसमें कुछ आजमगढ़ में आती है और कुछ गाजीपुर में। तो पूर्वी जिलों में जहां यातायात के साधनों की कमी है, उनको बढ़ाया जाय। ऐसा करने में सरकार का पैसा भी कम खर्च होगा और थोड़े पैसे में ज्यादा निर्माण कार्य हो सकता है।

दूसरी चीज, हमारे जिले में बहुत-सी सड़कें ऐसी हैं कि जिनका निर्माण कराना है। कहां-कहां पर सड़कें बनें यह प्रोग्राम जब सरकार ने पी० डब्लू डी० को दिया तो उन्होंने एक नकशा बनाया और उसमें हमने सलाह दी थी। हमारे जिले में बहुत सी सड़कें ऐसी हैं कि जिनको अंतरिम परिषद् ने बनाया है, कल्वर्ट बना लिये हैं, कंकड़ पड़ गया है, अर्थ वर्क हो गया है, और अगर अब यह सार्वजनिक निर्माण विभाग उनको देख ले तो थोड़े में ही काफी सड़कों का पुनर्निर्माण हो सकता है और उस जिले की समस्या काफी दूर तक हल हो सकती है। वहां का काफी हिस्सा ऐसा है कि जहां पहले से सड़कें बनी हैं, एक जिले से दूसरे जिले को मिलाने वाली सड़कें बनी हैं, लेकिन बहुत-सी जगहें ऐसी हैं जो उन सड़कों से दूर हैं और जहां सड़कों की बड़ी आवश्यकता है और वहां सड़कें नहीं हैं। जो लोग कच्ची सड़कों की धूल फांकते हैं उन्हें सरकार की ज्यादा सड़कें बनाने की बात पर

विश्वास नहीं होता है। आजमगढ़ जिले में काफी घना क्षेत्र है और इसलिये सरकार अगर थोड़ा-सा ध्यान उस की तरफ दे दे तो काफी निर्माण थोड़े से पैसे में हो सकता है और जनता का अधिक हित हो सकता है। जिले की सगड़ी तहसील में सड़कें बहुत ही कम हैं। इस तरफ विशेष ध्यान देकर सड़कों का निर्माण कराना चाहिये।

मैं इस राय का हूं कि बहुत से बड़े-बड़े निर्माण-कार्य, भवन निर्माण आदि के जो शहरों में किये जाते हैं, वह देख-समझ कर किये जाने चाहिये। यह सही है कि वे होने चाहियें, लेकिन पहले कौन चीज बहुत जरूरी है इस तरफ ध्यान देना चाहिये। शहरों में बड़े बड़े भवन बनाने का काम यदि कुछ दिनों के लिये स्थगित कर दिया जाय तो कोई बहुत बड़ा हर्ज न होगा। वही पैसा बचाकर देहातों के अन्दर सड़क निर्माण के कार्य में लगाया जा सकता है। उस पैसे से हमारे प्रदेश के जितने पिछड़े हुये इलाके हैं उनका हित किया जा सकता है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि शहरों में भवन निर्माण कार्य से पैसा बचा-कर इस तरफ लगाया जाय।

दूसरी बात में ठेकेदारों के संबंध में कहना चाहता हूं। उनमें ईमानदार लोग भी होते हैं और कुछ खराब भी होते हैं। इस ओर जो हमारे माननीय मंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके लिये जो वह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि कोआपरेटिव समितियां होंगी और उनके द्वारा यह कार्य होगा वह एक उचित व्यवस्था है।

हमारे जिले में पी० डब्लू० डी० परामर्शदात्री समितियां बनी हुई हैं। मेरा सुझाव है कि उन समितियों की जो सिफारिशें हों उनको सरकार माने। इस संबंध में एक दूसरा सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं और वह यह है कि वे इस प्रकार के आदेश दें कि इन समितियों की मीटिंग कम से कम हर दूसरे, तीसरे महीने अवश्य हों। इन समितियों को सरकार को पूरा अधिकार भी देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--अधिष्ठात्री महोदया, सदन के सम्मुख सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित जो कटौती का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय गोविन्द सहाय जी चले गये उन्होंने यह कहा था कि कुछ बन्धुओं ने इस विभाग को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट की जगह पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट कहा है, यह उचित नहीं है। इसके लिये मैं उनको दावत देता हूं, माननीय निर्माण मंत्री भी मेरे बोलने से पहले चले गये, वे चलें और चीफ इंजीनियर महोदय चलें कोई बहुत दूर चलने की जरूरत नहीं है, दस कदम चल कर यहीं दारुलसफा में देखें कि किस तरह से पैसा वेस्ट हुआ है। आज से १० वर्ष पूर्व दारुलसफा के सामने कुछ सड़क बनाई गयी थी तथा अभी दो महीने भी नहीं हुये हैं एक नया टुकड़ा और बनाया गया है। इन दोनों सड़कों को आप देखें। जो सड़क १० वर्ष पूर्व बनी थी वह जहां बिलकुल ठीक हालत में है, वहां वह सड़क जो अभी दो महीने पूर्व बनाई गयी है उसमें कितने ही गड्ढे हो गये हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि माननीय निर्माण मंत्री और चीफ इंजीनियर महोदय को प्रदेश के इन निर्माण-कार्यों को तो क्या नाक के नीचे लखनऊ के ही निर्माण-कार्यों को देखने तक की इतनी फुर-सत नहीं कि वे इन निर्माण कार्यों को स्वयं देख सकें। क्या आपको इतनी फुरसत होगी कि आप

[श्री जगन्नाथ लहरी]

दारुलसफा में जा कर देखें और इस बात की जांच करायें कि इस खराब सड़क के बनाने की जिम्मेदारी किसकी है ?

मैं आप के सामने दूसरा उदाहरण रखता हूं । दारुलसफा के दोनों ब्लाकों के कामन रूम्स के लिये ८ तख्त ओवरसियर ने इसी महीने में सप्लाई किये हैं । वे बहुत ही खराब हालत में हैं और जिनकी लम्बाई चौड़ाई केवल एक चारपाई के बराबर है। तख्ते बिलकुल खराब हैं और जो बाजार में २०/२५ रुपये में मिल सकते हैं । लेकिन सरकार ने उनको १४०, १४० रुपयों में खरीदें हैं। आप इसको वेस्ट डिपार्टमेन्ट नहीं कहेंगे ।

मैं आगरे से आ रहा हूं । आगरे जिले के पी० डब्लू०डिपार्टमेंट के पास १४,००० टन से अधिक आज कोयला पड़ा हुआ है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और जबकि सारे प्रदेश में कोयले की कमी है। पी०डबलू० विभाग के पास इतना कोयला क्यों पड़ा है? इसलिए पड़ा है कि अधिकांश कोयला पत्थर है । लाखों रुपया हमारा इस कोयले में लगा हुआ है जो बिल्कुल बरबाद हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? यह पब्लिक वेस्ट हो रहा है या नहीं ? यह दो उदाहरण ही काफी हैं । इंजीनियर महोदय और मिनिस्टर महोदय जरा इसकी जांच करा लें और उसके बाद उत्तर दें । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय कल जवाब देने से पूर्व मेरे इन एलिगेशंस के जवाब में विधान सभा में स्पष्ट उत्तर देने की अवश्य कृपा करें ।

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन निर्माण योजनाओं को बनाने की क्या जरूरत है जब इन पर अमल ही नही होता है । इस पुस्तिका में जोकि जिलेवार निर्माण-कार्य में नयी सड़कों की तालिका दी गयी है उसमें सबसे पहले ३४ पृष्ठ पर आगरा जिला आया है । क्या मंत्री महोदय या चीफ इंजीनियर महोदय यह बतला सकेगें कि आगरा जिले के लिए इस सार्वजनिक निर्माण विभाग की पुस्तिका में जितनी सड़कों का लक्ष्य रखा गया उसमें से एक मील भी नयी सड़क आज तक बन गयी है या नहीं ? क्यों नहीं बनायी गयी, इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? इस प्रकार से योजना काल में लक्ष्य रखकर लोगों को धोखा देने से क्या लाभ ? लेकिन जहां आगरे में एक मील सड़क बनाने के लिए कभी जरूरत नहीं हुई तो वहां मंत्री महोदय का जिला बिजनौर इस विभाग की निगाह में क्यों आ गया ? मंत्री महोदय के जिले में १०० मील से अधिक नयी सड़कें इस योजना काल में रखी गयीं । क्या बतला सकते हैं कि बिजनौर जिले में योजना के अन्तर्गत एक भी सड़क अधूरी छोड़ी गयी है जो पूरी न की गयी हो ? अगर एक मिनिस्टर के हाथ में एक डिपार्टमेन्ट है तो विभाग के लोग उसकी इतनी खुशामद अवश्य करेंगे कि उसके जिले की सारी सड़कें उस निर्माण काल में पूरी कर दी जायं, जैसा कि निर्माण मंत्री के जिला बिजनौर के लक्ष्य को पूरा करके दिखाया है । लेकिन दूसरे जिले की सड़कों को पी० डब्लू० डी० वाले छुयेगें भी नहीं । इससे ज्यादा लज्जा की बात स्वयं एक मंत्री के लिये और क्या हो सकती है कि 'अंधा बांटे रेवड़ी फिर फिर घर को देय' । आपके जिले के लक्ष्य पूरे किये जाते हैं लेकिन आपको इतनी फुर्सत नहीं कि आप पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दूसरे जिलों के निर्माण-कार्यों को देख भी सकें, पढ़ भी सकें तथा विभाग वालों से पूछ सकें कि उनके लिए कहीं कोई काम भी शुरू हुआ है या नहीं । रावत जी ने आज सदन में जिन शब्दों में मंत्री जी के लिए फटकार लगायी, और कोई पानीदार आदमी हो तो दो चुल्लू भर पानी में उसे डूब कर मर जाना चाहिये । मंत्री जी डूबेंगे नहीं तो कम से कम मंत्रिमंडल से उन्हें इस्तीफा अवश्य दे देना चाहिए । मैं समझता हूं कि जिस सदस्य के ऊपर अनुशासन की तलवार लटक रही हो, उस अनुशासन की परवाह न करते हुए जो सदस्य भरे सदन में मंत्री महोदय को फटकार लगा सकता है, उससे ज्यादा शर्म की बात एक मंत्री के लिए और कोई हो नहीं सकती ।

आज हमारे चीफ इंजीनियर महोदय ने जो रिपोर्ट दी है उसके प्रथम पृष्ठ के भारत वर्ष की.... किस लक्ष्य तक पहुंचना है को नोट कर लिया जाय, जिसमें दिखाया गया है कि सड़कों

के निर्माण की आवश्यकता है, विशेष रूप से खाद्योत्पादन के लिए सड़कों की आवश्यकता है। रोडवेज से आमदनी अधिक करने के लिए सड़कों की आवश्यकता है, अपव्यय को रोकने के लिए भी आवश्यकता है और साथ ही साथ आपने लिखा है कि जिस गति से हमको अपने देश की उन्नति करनी है उसके अनुसार नागपुर योजना के अन्तर्गत निर्धारित सड़कों के विकास के लक्ष्य बहुत नीचे सिद्ध हुये हैं। हमारी आज की प्रगति नागपुर योजना के लक्षय तक भी नहीं पहुंची है। यही उपयुक्त समय है कि हम विवेचना कर लें कि हमको भविष्य में किस लक्ष्य तक पहुंचना है। एक तो नागपुर में ही उसे कम रखा गया था लेकिन आप वहां भी नहीं पहुंच पाये हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आलीशान भवनों के निर्माण को रोक दीजिये। आज आप बैलों का नारा लेकर यहां बैठे हुये है लेकिन आपने बैलों को छोड़कर अब हवा के साथ उड़ना शुरू कर दिया है और बैलों को बिलकुल भूल गये हैं। कम से कम उन किसानों के रास्तों को भी सोचिये जहां उनकी बैलगाड़ी चलती है। आज उन बैलगाड़ियों के बैल हाहाकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़को की दुर्दशा के कारण हमारी टांग टूट रही है। जाने निकल रही हैं, उनपर आदमी पैदल भी नहीं चल सकता लेकिन आप तो हवा में सफर करने लगे हैं। आपको उनकी अब क्या चिन्ता है। अधिष्ठात्री महोदया, मैं एक बार, फिर सरकार को चैलेंज करता हूं कि पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनायें खत्म हो गयीं, क्या मंत्री महोदय या कोई भी सरकार का व्यक्ति हाउस में यह कहने का साहस कर सकता है कि आगरा जिले की फिरोजाबाद तहसील में इन दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में एक इंच भी सड़क या नहर का निर्माण हुआ है ? आप मखौल करते हैं और केवल अपने जिले में निर्माण कराते हैं और दूसरे जिलों को छोड़ते चले जाते हैं।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर आप अन्न उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो आइये आलीशान भवनों को छोड़िये, ग्रामीण जनता का ध्यान रखिये, जन-जन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाइये, सड़कों का निर्माण कीजिये, शहरों और गांवों को मिला दीजिये जिससे आम जनता यह समझ सके कि सचमुच हमारे प्रदेश में आज विकास योजना का कोई काम हो रहा है। जैसे किसी शरीर के संचालन के लिये, उसको जीवित रखने के लिये, नसों में खून का संचालन आवश्यक है उसी प्रकार देश और समाज की उन्नति के लिये देश के आवागमन के साधनों का समुचित विकास और संचालन होना आवश्यक है। इस प्रदेश के सफल संचालन के लिये, ग्रामों और शहरों को जोड़ने के लिये, अधिक अन्न उत्पादन के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक कोने को सड़कों द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया जाय। मत सीमेंट की सड़कें बनाइये, मत डामर की सड़कें बनाइये, कंकरीट की ही बना दीजिये लेकिन लोगों को विश्वास दिला दीजिये कि हां, सचमुच आप देश का विकास करना चाहते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, यह मैं जानता हूं क्योंकि आपको उस साइनबोर्ड की जरूरत है जिसमें जब आप उधर से गुजरें तो लिखा हो कि फलां भवन का निर्माण या उद्घाटन फलां मंत्री जी के हाथों हुआ या उसका निर्माण फलां इंजीनियर के हाथों हुआ। आप शाहजहां और अकबर की तरह से अपने अमर स्मारक बनवाने में लगे हुये हैं। आपको जनता का ध्यान नहीं है। अगर आप अपना अमर स्मारक ही शाहजहां और अकबर की तरह से बनवाना चाहते हैं तो आप अपना पैसा खर्च कर के स्वयं अपने भवनों को स्मारक स्वरूप बनवा दीजिये कि जिससे आपके आगे आनेवाली सन्तति आपको याद रखें कि जब उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था तब हमारे एक पूर्वज मिनिस्टर थे और उन्होंने यह आलीशान भवन बनवाया था और फिर उससे आपकी सन्तति आपको शाहजहां

[श्री जगन्नाथ लहरी]

और अकबर की तरह याद करती रहे लेकिन प्रदेश की जनता के ऊपर इस तरह के भार को लादने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं, आप केवल बिजनौर जिले के प्रतिनिधि नहीं हैं। लेकिन आप करते क्या हैं ? आपकी दृष्टि सिर्फ बिजनौर की तरफ जाती है और आप दूसरे ग्रामों और नगरों और जिलों को क्यों भूल जाते हैं ? इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने पहले आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिये कहा है, उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी ने जो सदन के सम्मुख अनुदान रखे हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। जो कटौती के प्रस्ताव रखे गये हैं मैं उनका विरोध करता हूं। हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा माननीय मंत्री जी के अधिकार में है और इस डिपार्टमेंट का नाम भी अब सार्वजनिक निर्माण विभाग है। पहले तो पी० डब्लू० डी० कहलाता था। अब तो सारी जनता का निर्माण इसी डिपार्टमेंट को करना है, इसलिये मैं मंत्री जी से एक प्रार्थना करूंगा कि अब तो कमर कस कर बैठने की जरूरत है, वरना यह सब जनता का निर्माण सम्भव नहीं होगा क्योंकि, जैसा मुझे कुछ तजुरबा है, जैसा कुछ मैंने देखा है, मेरा अपना विचार यह है कि रुपये में १० आने सरकार का काम होता है अधिक से अधिक, और ६ आने तो चले ही जाते हैं। अगर आप ६ आने में से ४ आने और बचा सकें किसी तरकीब से तो आपका काम सवाये और ड्योढ़े तक पहुंच जायगा। मेरा तात्पर्य यह कभी नहीं है कि इस डिपार्टमेन्ट में ईमानदार आदमियों की कमी है, ईमानदार भी हैं और बेइमान भी हैं लेकिन इतना जरूर मैंने देखा है कि ईमानदार और बेइमान की रेस में बेइमान ही जीते हैं, गदहे और घोड़ों की रेस में गदहे ही आगे निकल गये हैं; वास्तव में जो अच्छा काम करने वाले आदमी हैं वे पीछे रह गये हैं, इसका ध्यान मंत्री जी को होना चाहिये। मैं इस बात को बिना किसी आश्रय के या बिना किसी मिसाल के नहीं कह रहा हूं। मैंने सुना है कि यहां पर एक चीफ इंजीनियर थे जो कि १,८०० रु० तनख्वाह पा रहे थे, उनके खिलाफ शिकायतें थीं और उन शिकायतों के आधार पर यह तय हुआ कि वह छुट्टी पर चले जायं और उस वक्त तक छुट्टी पर रहें जब तक कि वह रिटायर न हो जांय लकिन अब सुना यह है कि वही साहब २,२०० रु० पर कहीं जा रहे हैं। यह चीज है जिस पर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो जाय कि गदहों और घोड़ों की रेस में गदहे आगे निकल जांय और घोड़े पीछे रह जायं।

दूसरी चीज जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि आज जरूरत इस चीज की है कि हम अपना उत्पादन बढ़ायें क्योंकि इसके बिना न तो यह विभाग चलेगा और न कोई दूसरा विभाग चल सकता है। यह कर्ज का रुपया है जिससे आप बड़े-बड़े निर्माण के कार्य और ऊंची अट्टालिकायें बना रहे हैं। इस कर्ज के रुपये से काम नहीं चलेगा बल्कि हमको उत्पादन बढ़ाने के वास्ते गांव की तरफ जाने की जरूरत है। अगर हम गांव में सड़कें और बिजली के कुंवे और उत्पादन के साधन नहीं बना सकते तो हम वास्तव में निर्माण का कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि हम वह रुपया खर्च कर रहे हैं जो हमने बाहर कर्ज लिया है। निर्माण के लिये जो मुस्तकिल होगा उसके लिये उत्पादन की जरूरत होगी। मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं उसका रकबा तीन सौ मील है और पौने दो लाख की उसकी आबादी है और जिस रोज से मैं इस सदन में आया हूं उस रोज से बराबर कह रहा हूं कि वहां पर एक सड़क साढ़े ६ मील १८९९ में बनी थी, उसके बाद आज तक उस इलाके में जिसमें पौने दो लाख आदमी रहते हैं, एक सड़क भी नहीं बनाई गई है। क्या वहां के आदमी टैक्स नहीं देते ? वहां पर इस सड़क की इसलिये भी आवश्यकता है ताकि वहां पर ला ऐन्ड आर्डर की व्यवस्था ठीक हो सके। वहां पर एक-एक महीने में आठ-आठ कत्ल हुये हैं, डकैतियों की संख्या की कमी नहीं है। कारण यह है कि थाने तक पहुंचने के लिये कोई सड़क नहीं है और पुलिस भी वहां पहुंच नहीं सकती।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि क्या बात है कि इन १२ वर्षों में मेरे क्षेत्र और तहसील का नम्बर सड़क के लिये नहीं आया-हम क्या करें? सब जगह, सब आदमियों से कहा जाता है तो यही जवाब मिलता है कि जब नम्बर आयेगा तब किया जायगा।

जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं और वहां के लोगों से संपर्क आता है तो लोग यही कहते हैं, जैसा कि प्रश्न मैंने माननीय मंत्री जी से किया, कि इस इलाके में, १२ साल के अंदर, जब कि दो योजनायें पूरी हो चुकी हैं, क्या बात है कि कोई चीज नहीं हुई जिससे हम यह कह सकें कि स्वराज्य हो गया—कोई सड़क नहीं बनी, कुंआ नहीं बना, शिफाखाना नहीं बना, कोई स्कूल नहीं खुला, एक भी हाई स्कूल पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ, पारसाल जबर्दस्ती एक खुला है—अब बताइये कि क्या चीज निर्माण की हुई है? मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस पिछड़े हुए क्षेत्र का भी ध्यान रखें। कहीं न कहीं तो उसका नम्बर आना ही चाहिये था।

इसके अलावा एक प्रार्थना और करूंगा। हमारे यहां इंजीनियर्स ठेका युग में एक बाबू क्लास बन कर रह गई है। वे केवल दफ्तरों में बैठकर काम करते हैं, यह नहीं जानते कि मौके पर पहुंच कर कैसे काम करते हैं। मुंह से शायद बता सकें लेकिन करके नहीं दिखा सकते। चाहे वह इंजीनियर का काम हो या यूनिवर्सिटी की ऐजुकेशन हो, हम आज पुस्तक के एक अंग बन कर रह गये हैं। मैनपुरी में मेरी एक जर्मन इंजीनियर से बातचीत हुई थी, मैंने उसको देखा था उसका कहना था कि उनका मुख्य कार्य प्रैक्टिकल काम करना है और आवश्यकता के समय काम में जुट जाता था। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह उस इलाके का खयाल रखें, जिसका मैं रहने वाला हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अधिष्ठात्री महोदया, आज हमारा देश और प्रदेश योजनाकाल से गुजर रहा है। इस समय हम सबका यही उद्देश्य है कि हम अपने प्रदेश को अधिक से अधिक समृद्धशाली और अधिक से अधिक सम्पन्न बनायें जिससे हमारे प्रदेश की हालत ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो सके। लेकिन मैं देखता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने इस उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से नहीं निभा रहा है। इस योजना के समय में सबसे विकृत रूप अगर किसी विभाग का देखने को मिला है तो वह सार्वजनिक निर्माण विभाग है। होना तो यह चाहिये था कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, शिक्षा, कम्यूनिकेशन्स, कृषि और उद्योग, इन सब चीजों का समानान्तर गति से विकास हो जिससे हम अपने प्रदेश को बहुत अच्छी तरह से समृद्धशाली बना सकते। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने कार्यकाल में जो कुछ भी नहीं किया है, यह बात इससे साबित होती है कि हमारे प्रदेश में एक वर्ग मील में २/३ फर्लांग से भी कम सड़क हर जगह है। और जब जब इस बात की आवश्यकता महसूस करायी गयी कि सड़कों की वृद्धि होनी चाहिये, तब-तब सदैव उसकी उपेक्षा की गयी है।

कहा यह गया है कि हम प्रदेश को दिन पर दिन अच्छा से अच्छा बनाना चाहते हैं, आवागमन के साधन देना चाहते हैं, ऊपज बढ़ाने के लिये कृषि की जितनी भी सहूलियतें हो सकती हैं देना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल तरक्की के लिये आवश्यक काम काज का ज्यादा से ज्यादा प्रसार कर रहे हैं। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक कम्यूनिकेशन के साधन इस प्रदेश में नहीं बढ़ाये जायेंगे तब तक न तो कृषि की उपज अच्छी हो सकती है और न इंडस्ट्रीज का ही विकास हो सकता है।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

मान्यवर, हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के लेखा शीर्षक ५० में ६ करोड़ ५ लाख रुपये की मांग इस बात के लिये की गयी है कि नागरिक निर्माण कार्य और राजस्व से वित्त पोषित नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत व्यय किया जायगा। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो हमको प्रतीत होता है कि ३ करोड़ ११ लाख रुपया तो रोड्स के रिपेयर पर व्यय होगा और १५ लाख रुपया बिल्डिंग्स रिपेयर्स पर व्यय होगा। तो जितना बजट इस मद के लिये है उसमें से ५० प्रतिशत तो रिपेयर्स के लिये है और ५० प्रतिशत व्यय के लिये, कहीं पर बिजली लगाने के काम के लिये, किसी तहसील में बम्बे लगाने के लिये, किसी तहसील में एक कोठरी बनाने के काम के लिये, यानी छोटी किस्म के कामों के लिये ले रखा है। इससे कोई निर्माण हो ही नहीं सकेगा, यह रुपया तो बहुत छोटे-छोटे कामों के लिये रखा गया है।

आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले, जैसा कि मैंने शुरू में ही निवेदन किया, हमको पब्लिक हेल्थ के साथ, शिक्षा के साथ, उद्योग के साथ, कृषि के साथ कम्यूनिकेशन्स के भी साधन बढ़ाने पड़ेंगे और तभी प्रदेश समृद्धिशाली हो सकता है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक प्रदेश समृद्धिशाली नहीं हो सकेगा। इस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो शेड्यूल्ड रेट बना हुआ है उससे ४ से लेकर ६ परसेंट कम पर ठेके मंजूर किये जाते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि या तो इस विभाग के जितने भी इंजीनियर्स हैं जिन्होंने शेड्यूल आफ रेट्स तय किया है वे अयोग्य हैं, जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि शेड्यूल्ड रेट कितना होना चाहिये और कितने में वह काम हो सकेगा या यह इस बात का द्योतक है कि इस विभाग में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि शेड्यूल्ड रेट से ४ से लेकर ६ परसेंट कम पर ठेके मंजूर किये जाते हैं, उसके ऊपर १० परसेंट इन्कम टैक्स देना पड़ता है और १० से १५ परसेंट तक ठेकेदारों के निजी व्यय के लिये रहता है। यानी, इस तरह से शेड्यूल्ड रेट से २५ परसेंट कम पर इस विभाग का काम होता है।

यह इस बात को प्रमाणित करता है कि इस विभाग का जो शेड्यूल्ड रेट है वह बहुत ही गलत है। आज आवश्यकता इस बात की है कि शेड्यूल्ड रेट को फिर रिवाइज किया जाय। जब तक शेड्यूल्ड रेट का रिवीजन नहीं किया जायगा तब तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है, जो वेस्टेज है उसे किसी तरह से नहीं रोका जा सकता है। इसलिये, मान्यवर, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सबसे पहले आज इस बात की घोषणा करें कि इंजीनियर्स, विभाग के अधिकारी तथा और सरकारी प्रतिनिधियों का एक कमीशन बनावेंगे और कमीशन इस बात की जांच करेगा कि शेड्यूल्ड रेट क्या होना चाहिये और किन शेड्यूल्ड रेट के मातहत ठेके दिये जायं जिससे सरकार के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाय।

मान्यवर, कोआपरेटिव की मार्फत काम कराने की बात मैंने माननीय वित्त मंत्री की बजट स्पीच में भी सुनी थी और आज माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने भी अपने भाषण में इसे कहा है। मैं कोआपरेटिव द्वारा काम कराने का हामी हूं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह जरा केरल की तरफ भी देखें जहां कोआपरेटिव सोसाइटीज की मार्फत काम कराये गये और वहां पर पोलिटिकल ढंग के भ्रष्टाचार फैल गये। तो मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी वह उस भ्रष्टाचार को फैलने से रोक नहीं सकेंगे। यदि वह यहां भी पोलिटिकल भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं तो ठीक है, कोआपरेटिव की मार्फत वह काम दें। लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह खुद कोआपरेटिव्ज बनाने की कोशिश न करें, जब उस के लिये मजदूर, मिस्त्री स्वयं तैयार हो जायं कि वह मिलकर अपना काम करेंगे तभी उनकी मार्फत काम कराया जाय, वरना इस देश में पोलिटिकल ढंग का भ्रष्टाचार बढ़ेगा और उस को सरकार रोक नहीं सकेगी और सरकार को पार्टीबाजी में पड़कर अपने लोगों को ठेके देने पड़ेंगे। इस तरह से सहकारी सिस्टम बदनाम होगा और उस भ्रष्टाचार के फलस्वरूप सहकारिता की गति मंद हो जायगी। इसलिये मंत्री जी जो कुछ केरल में हुआ है उस प्रयोग की तरफ भी ध्यान दे लें। पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर.....

३४--लेखा शीर्षक ५०--सार्वजनिक निर्माण-कार्य और ५०-क--राजस्व से वित्त पोषित नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत, अनुदान संख्या ३५--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य--केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३६--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ५०--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी-लेखा

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)--मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय राजनारायण जी सो रहे हैं, क्या यह सदन में उचित है ?

श्री राजनारायण--मैं किताब पढ़ रहा हूं लेकिन अन्धों के लिये सो रहा हूं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--मैं यह निवेदन कर रहा था कि पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर्स जो हैं वे इस दुनिया में नहीं रहते, वे किसी दूसरे लोक में ही विचरते हैं । इसकी मिसाल सबसे अधिक जो दारुलशफा में माननीय सदस्यों के कमरे हैं उनकी ओर ध्यान देने से मालूम होगी । हमारे खयाल से उनके दिमाग में यह बात नहीं आई कि वह यह सोचते कि इन कमरों में जो लोग रहेंगे उनके साथ परिवार भी रहेगा, उन के दिमाग में यह बात भी नहीं आई कि उनके परिवारों को इस बात की भी आवश्यकता होगी कि वह अपने लिये भोजन आदि की भी कोई व्यवस्था करेंगे । उनका खयाल शायद रहा होगा कि वह या तो हजरतगंज के होटलों में खायेंगे या चने चबा कर रहेंगे । कोई बीच का रास्ता उन की समझ में नहीं आया और इस लिये उन्होंने ऐसा कोई बन्दोबस्त वहां नहीं किया कि भोजन कहां बने । मैं नहीं कह सकता कि यह उनके दृष्टिकोण का दोष है या उनकी अयोग्यता है या वह इसकी आवश्यकता नहीं समझते कि हमें इसकी पूर्ति करनी चाहिये थी ।

इसके अलावा इस विभाग की जो सबसे बड़ी खराबी है वह यह है कि बजट का इस्तेमाल बड़े गलत ढंग से होता है, ६ मास तो योजना के बारे में पत्र व्यवहार में निकल जाते हैं, देर हो जाती है और उसको कोई आखिरी रूप नहीं दिया जाता, उसके बाद रुपया सैन्कशन होता है, फिर वह जिलों में पहुंचता है और कहीं जाकर आखिरी ३ मास में सही ढंग से काम होता है और मार्च में यहां से तार जाते हैं कि जल्दी खर्च करो और नीचे से भी खबर आती हैं कि जल्दी से खर्च करने की आज्ञा दी जाय । मेरा विचार है कि इस तरह की बेतरतीबी को दूर किया जाय, आशा है कि माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे और इस कमी और खामी को दूर करने की कोशिश करेंगे ।

इसके साथ-साथ उन्नाव में अन्तरिम जिला परिषद् की एक बैठक हुई थी । उसमें विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी भी गये थे, उन्होंने एक सड़क विक्रमपुर रुझियाई-बक्सर रोड का निरीक्षण भी किया था। वह सन् १९५२ में इस विभाग में ली गई, फिर वापस की गई। इस तरह से जो सड़क ली जाती है और वापस की जाती है उस सड़क की बड़ी छीछालेदर हो जाती है । हम चाहते हैं कि मंत्री जी मजबूत इरादे से सड़कों को लिया करें और पक्की करके उनको छोड़ा करें वर्ना कोई उनका पूछने वाला नहीं रहता । उनकी हालत यह हो जाती है कि उनमें जूता पहन कर चलो तो जूता फंस कर रह जाता, कोई भी सामान लेकर चलो एक बार फंस जाय तो फिर उससे निकलने वाला नहीं है । इसलिये मेहरबानी करके मंत्री जी गांवों की सड़कों की तरफ भी देखने की कृपा करें और जनता की असुविधाओं का विभाग खयाल करे ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--अधिष्ठात्री महोदया, जो अनुदान माननीय निर्माण मंत्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। एक जमाना था जब इस पी० डब्लू० डी० को लोगों ने पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट कहा था। आज भी अगर उस व्यवस्था को मान लिया जाय तो मैं समझता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस व्यवस्था में न जाकर, यह कहना चाहता हूं कि जिस जिले से आता हूं वह एक बदकिस्मत जिला है

[श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा]

जिसमें पिछले १२ वर्षों से कोई भी नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, वह है कानपुर। जब वहां किसी सड़क के बनाने का सवाल आता है तो कहा जाता है कि वह तो सरप्लस जिला है। कितनी इंडस्ट्री हैं, कानपुर में कितनी गाड़ियां दौड़ती हैं, इसका खयाल नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय हुआ कि कुछ सड़कें बनेंगी।

(इस समय ४ बजकर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पुनः पीठासीन हुए।)

हमारे यहां प्लानिंग कमेटी में इस विभाग के सेक्रेटरी महोदय पधारे और बहुत बड़े विचार विमर्श के बाद ९ मील सड़क लेने की बात तय हुई। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है, उस सड़क पर एक कंकड़ भी आज तक नहीं पड़ा। समझ में नहीं आता, योजनाएं हों, योजनाओं के लिये इतनी कशमकश हो और कम से कम सड़क बनने वाली हो और वह भी न बने, तो किस मर्ज की दवा है यह विभाग? कैसी प्लानिंग है?

एक सड़क बनी थी १२ वर्ष पहले, बेल-विधूना रोड। अधिकतर उसके मील ऐसे हैं जहां कंकड़ नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जो उधर जाता है वह गाड़ी की खैर मनाता हुआ जाता है। अभी उसमें एक पुल पाण्डु नदी पर बन रहा है। मालूम नहीं कब बन कर तैयार होगा। १२ वर्षों के बाद यह नौबत आई। मैं चाहता हूं कि विभाग उधर ध्यान दे। जो सड़क इटावा से कानपुर को मिलाती है, आज से १२ वर्ष पहले उसको बनाना तय किया था, कुछ बनी भी थी। उसे पूरा किया जाय।

कानपुर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ सड़कें ली गई थीं। उनमें एक थी भोगनीपुर-अमरौधा-अमरौधा-पिपली योजना कई वर्ष तक चलती रही। फिर ये सड़क बिना कुछ किये जिला बोर्ड को वापस कर दीं। उसके बाद जिला बोर्ड सालाना मरम्मत करा दिया करता था। जरूरत पड़ने पर जिला बोर्ड ने पुलिया भी बनवाई। अब फिर विभाग ने यह सड़कें ले ली हैं। आज दो वर्ष हुए पिपली-अमरौधा में कंकड़ इकट्ठा कर दिया गया है लेकिन उसे कूटने की नौबत नहीं आ रही है। जो हमारे जिले में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रहते हैं उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि देखेंगे कि क्या बात है। दुबारा जिक्र आया जिला परिषद् में तो बताया कि जितना रुपया था उसका कंकड़ खरीद लिया गया, कुटाई के लिये हमारे पास रुपया नहीं है। तो उतना कंकड़ ही खरीदते जो कूटा जा सकता। अब खरीदा हुआ वह कंकड़ पड़ा हुआ बरबाद हो रहा है। फिर कभी नौबत आयेगी कूटने की तो वह कंकड़ कम पड़ जायेगा। यह ९ फर्लांग सड़क है। जो कंकड़ उस पर पड़ा हुआ है, उसकी कुटाई में मुश्किल से ४–५ हजार रुपया पड़ेगा। सरकार कृपा करके सड़क पर उसे कुटवाने की व्यवस्था कर दे। और अगर इतना रुपया न हो सके तो मैं दावत देता हूं कि हमारी गांव सभा अमरौधा को ढाई हजार रुपया दे दें, वह कुटवा कर सड़क बना देगी। इन दोनों शर्तों में से जो सरकार को मंजूर हो, उसी के अनुसार आदेश प्रदान करें।

एक सड़क हमारे जिले में नेशनल हाईवेज के नाम से बनी है, बारा-सिकन्दरा। उसमें बड़ा अन्धेर हुआ है। उप-मंत्री महोदय ने उसे स्वयं देखा है, नक्शा कुछ है और सड़क कुछ और है। किसानों के चिल्लाने के बाद भी ऐसा मोड़ दिया गया है जो नक्शे में कहीं नहीं है। केवल इसलिये कि जिन्होंने विरोध किया था उनको नुकसान पहुंचाने की गरज से सड़क को टेढ़ा किया गया। जब उपमंत्री महोदय ने इंजीनियर का ध्यान आकर्षित किया तो उन्होंने कहा ठीक है हम इस मोड़ को थोड़ा कम कर देंगे; लेकिन वह भी अभी तक नहीं हुआ।

इंजीनियर्स की जो बटालियन इस विभाग में है इसके बारे में जो लोगों की राय है वह सब जानते हैं, उसको कहना मैं यहां मुनासिब नहीं समझता। नमूने के तौर पर दारुलशफ़ा को ही लिया जाय, इसके बनने में लाखों रुपया खर्च हुआ। लेकिन जितने शौचालय बने हैं उनमें अजीब तरह का प्लास्टर हुआ है। कोई शौचालय ऐसा नहीं है जिसमें लोना न लग रहा हो, जिसका प्लास्टर झड़-झड़ कर न गिरता हो। मालूम नहीं किसकी निगरानी में उसकी

सालाना पुताई होती है! पहले खिड़कियों और दरवाजों पर वार्निश होती है, उसकेबाद में पुताई होती है और फिर उसे कोई देखता नहीं कि जो वार्निश हुई है वह कैसी होती है, किससे होती है। फिर अगर इसे विभाग को पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट कहा जाय तो गलत न होगा।

माननीय मंत्री जी, मैं अपने क्षेत्र मूसानगर की तरफ़ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। यह यमुना के किनारे मंडी है और हमीरपुर जिले से मिलती है। तो जमुना पर गैर बरसात के दिनों के लिये मंत्री जी पैन्टून ब्रिज बनवा सकें तो अच्छा होगा, इससे हमीरपुर जिले का जो पिछड़ा हुआ हिस्सा है उसका भी भला होगा। मूसानगर ग्राम में एक थाना है लेकिन उसकी कोई इमारत नहीं है। जिन लोगों से हम सुरक्षा और व्यवस्था का काम लेना चाहें उनके रहने का अगर ठीक प्रबन्ध न हो तो वह कहां तक उचित काम कर सकते हैं, यह जरा सोचने की बात है। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--अधिष्ठाता महोदय, बड़ी उदारतापूर्वक आपने मुझे बोलने का मौका दिया; इसके लिये धन्यवाद।

सब अपने-अपने जिले की बात कर रहे हैं। मैं भी अपने लखीमपुर जिले की बात कहना चाहता हूं जिसमें अंग्रेजों ने एक सड़क बनायी थी और वही पक्की सड़क है, दूसरी कोई नहीं। ११० मील का क्षेत्रफल निघासन तहसील का है, उसमें एक भी पक्की सड़क नहीं। एक कच्ची सड़क अंग्रेजों ने बनायी थी, उसके ऊपर से भी अगर बरसात में कोई निकल जाय तो डूब जाय। उसी जिले में जंगल के क्षेत्र में जंगल विभाग की सड़कों का जाल बिछा है। अगर कोई उधर से निकल जाय तो गिरफ्तार कर लिया जाय। तहसील लखीमपुर में पक्की एक भी सड़क नहीं है। अंग्रेजों की बनाई कच्ची ३० सड़कें हैं जो सभी बिना मरम्मत पड़ी हैं। लखीमपुर तहसील ८० मील लम्बा एरिया है जिसमें एक भी सड़क नहीं है। तहसील निघासन में कोई भी सड़क नहीं है। नैपाल का किनारा है। एक सड़क नैपाल के किनारे तक बना दें तो सरकार की आमदनी बढ़ जाय और प्रांत की तरक्की हो जाय। सारदा नहर पर एक पीपों का पुल बनाया जाता है, दो-तीन महीने चलता है और फिर टूट जाता है। पुलिया का पुल शारदा नहर का चौड़ा करने के लिये रेलवे वालों से कहा गया लेकिन वह भी चौड़ा नहीं किया गया। बहुत बार लिखा गया कि पुलिया का पुल चौड़ा कर दिया जाय, जिसमें लारी और बस निकल जाया करें लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हर साल रुपया वापस हो जाता है और रेलवे वाले कुछ नहीं करते। गांव समाज सड़क बनाता है, पी० डब्ल्यू० डी० सड़क बनाता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सड़क बनाता है, गन्ना सोसाइटी सड़क बनाती है लेकिन जब बनाना होता है आप बिना-पढ़े लिखे ठेकेदारों को ठेका दे देते हैं और उसमें हिस्सा बटाते हैं--ठेकेदार गरीब मजदूर से का लेता है। इन इंजीनियरों को क्यों रखा गया है? इन बेईमानों को निकाल क्यों नहीं दिया जाता? इनसे कोई तरक्की न हुई है, न होगी।

श्री अधिष्ठाता--यह 'बेईमानों' शब्द पार्लियामेंटरी नहीं है। इसे आप वापस लें।

श्री बंशीधर शुक्ल--खैर, आपकी राय मानता हूं। मेरा कहना यह है कि आप अगर कलंक दूर करना चाहते हैं तो इन इंजीनियरों से काम न लें और यह जो ठेके की परम्परा है तत्काल इसे तोड़ें और विभाग के जितने नौकर हैं उनसे कहिये कि खुद सड़क बनावें और मजदूरों को लगा कर काम लगायें।

[श्री बंशीधर शुक्ल]

लखनऊ से जो सड़क टिकैतगंज होकर सीधे बासुड़ा, जिला सीतापुर-महमूदाबाद होकर पलिया कटौल तक और हल्द्वानी तक चली जाती है उस सड़क को ही पक्का कर दिया जाय तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। यह शेरशाह सूरी की बनवाई है। इससे हमारे जिले की तरक्की, सीतापुर और लखनऊ की भी तरक्की होगी। मोहम्मदी तहसील में एक भी पक्की कच्ची सड़क नहीं है। वहां भी कृपा की जाय। हमारे यहां गोला मिल और हरगांव मिल वाले पैसा देते हैं कि हम सड़कों में योगदान दें लेकिन गन्ना सोसाइटी योगदान नहीं देती और कहा जाता है कि अभी प्लान नहीं बना है और मामला रुका पड़ा है। सड़कें तो नहीं बनतीं लेकिन अभी लखीमपुर में ५५, ५५ हजार के ७ रेस्ट हाउसेज बनाये गये हैं जिनमें इंजीनियर बगैरह आकर ठहरते हैं। तो इसके लिये रुपया मिल जाता है, मगर जनता के लिये नहीं। यह क्या है?

आप ५५ हजार रुपया प्रति मील तारकोल की सड़क पर, ७५ हजार रुपया प्रति मील सीमेंट की सड़क तथा ३५ हजार रुपया प्रति मील कंकड़ की सड़क पर खर्च करते हैं। इतना रुपया खर्च नहीं होता। ३ ४ रुपया इंजीनियरों की जेबों में जाता है। अगर गांव के आदमियों को ही आप सड़क बनाने को दे दें तो बहुत सस्ती सड़कें बन जायंगी। ये ठेकेदार मजदूरों को प्रति खन्ती वही ६ आने देते हैं। लेकिन इंजीनियर और ठेकेदारों की जो परम्परा है वह चली जा रही है। रिश्वत चल रही है। इसको बन्द करिये। आपको यह परम्परा तोड़नी पड़ेगी। नहीं तोड़ने की हिम्मत हो तो बैठ जाइये। मैं इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकूंगा। जो तनख्वाह मिलती है वह आप लेते जाइये। बंगला व मोटर आपके ही पास रहेगा। मुझको तो जो २०० रुपये भी सरकार तनख्वाह देती है इसे भी मैं बांट देता हूं। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं ब्राह्मण आदमी हूं। केवल ६ महीने के लिये मुझे आप दे दीजिये। जो इंजीनियर आपके रिश्वत लेते हैं, मैं इन सबको ठीक करके दिखाऊंगा। ऐसी दशा में अगर आप नहीं तोड़ सकते हैं तो कोई पैदा हो जायगा इनको तोड़ने वाला। जंगलों में जो सड़कें हैं उनके लिये आप कृपा करके हिदायत दे दें कि उनमें से आदमियों को निकलने दिया करें। अगर कोई उधर से निकल जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे बैलगाड़ी छीन लेते हैं। दो तीन सड़कें ऐसी हैं जिन पर लोगों का निकलना वैसे ही बन्द हो गया है। जो हरिजन आपने बसाये हैं उनमें हबूड़े वगैरह हैं। उनके आतंक के कारण लोग उधर से नहीं निकलते हैं। दिन में सब लूट लेते हैं, एक सड़क तो अम्बारा रोड है और दूसरी अलीगंज रोड है। अम्बरा रोड पर एक सरदार जी ने एक ट्रैक्टर निकाल दिया तो वहां का पुल ही तोड़ दिया गया। एक सड़क हमारे यहां फर्दहन से निकल कर मुहम्मदपुर जाती है; उसको अभी तक नहीं बनाया गया है। इसी तरह से उल्ल नदी पर पुल नहीं बनाया जाता है। एक सड़क लखीमपुर की तरफ से अलीगंज बिजुआ भीरा तक जाती है। उस पर सात पुलियां बननी हैं। उसका प्लान भी बन गया है लेकिन उनके बनने की नौबत नहीं आती है। यह क्या है?

मेरे जिले की दशा ऐसी है कि कुदरत ने उसको भुला रखा है। ऐसी दशा में मैं कहूंगा कि आपके इंजीनियरों ने आपको दस्तखत करने के लिये एक बुत बना रखा है। आप केवल अंगूठा लगाते हैं और अगर उनसे कोई गलती हो जाय तो आप उनकी तरफ से मुख्त्यार बन कर जवाब दें कि मेरे लड़के ने माखन नहीं खाया। हम लोगों ने इसलिये आपको नौकर नहीं रखा है कि आप नौकरों के नौकर बनें। आप हमारे मंत्री हैं और महात्मा गांधी जी के नाम को आप उज्ज्वल करने वाले हैं। फिर आपको क्या जरूरत है कि आप इस तरह से अपनी कीर्ति नष्ट करें, और हमारी रही सही नष्ट करें और सदन की मर्यादा नष्ट करें? इसलिये आप इस चीज को छोड़ दें और इन इंजीनियरों को हटावें अथवा कंट्रोल करें।

मैंने दरख्वास्त दी थी कि जो तारकोल के ड्रम होते हैं उनको कीमत से दे दिया करें। हमारे यहां अक्सर आग बहुत लग जाती है। वह ड्रम से अपना छप्पर बना लेंगे। मैंने प्रश्न भी पूछा। लेकिन कुछ पता नहीं है, क्या हुआ? इसलिये उतना ही काम करें जितना आप कर

सकते हों और जहां तक देख सकते हों और अगर आप नहीं कर सकते हैं नहीं देख सकते हैं तो चुपचाप बैठ कर भगवान का भजन करिये क्योंकि बुढ़ापा आपका भी आ गया है और मेरा भी आ गया है। आपके पड़ोस पहाड़ है और मेरे पड़ोस जंगल।

*श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि चार दिन से उठने बैठने के बाद मुझे आज मौका मिला है। निर्माण मंत्री जी ने जो अनुदान रखा है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे आदरणीय मित्र विष्ट जी ने बड़ा लम्बा चौड़ा इतिहास सुनाया, मोहिन जोदड़ो का इतिहास बताया और रोमन साम्राज्य का इतिहास बताया। मैं मानता हूं कि मोहिन जोदड़ो था और जरूर था। लेकिन आज उसकी क्या यूटिलिटी है, आज रोमन साम्राज्य की क्या यूटिलिटी है। जो चीज उस समय होती रही वह अब नहीं हो सकती है। उस समय सड़कें जमीन पर बनती थीं और रोमन साम्राज्य उस समय लड़ रहा था। लेकिन यहां का मानव आज के युग में चन्द्रमा, सूरज और मंगल तक जाने की चेष्ट में लगा हुआ है। इसलिये इन पुरानी बातों को सोचना गलत चीज है।

कहा गया है कि सारे काम बनारस में ही रख दिये गये हैं। मैं उन मित्रों को निमंत्रण दूंगा और पैसा दूंगा वह बनारस चल कर देखें कि वहां की पब्लिक प्लेसेज ऐसी हैं जो कि बनारस के लोग नहीं, अखिल भारतीय और इंटरनेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं। एक पंचकोशी सड़क है, जिस पर अखिल भारतीय लोग तो आते ही हैं, कई इंटरनेशनल लोग, जो हिन्दू धर्म में विश्वास रखते हैं, आते हैं।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को एक बात के लिये बधाई देता हूं। उन्होंने यह घोषणा की है कि आठ या दस या कितने हजार के कामों को ठेकेदारों से न करवा कर कोआपरेटिव सोसाइटियों से करावाएंगे। मैं दावे के साथ कहूंगा कि यह समाजवादी समाज की तरफ एक और, कदम है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं एक निवेदन और करूंगा कि आप एक्स्पेरीमेंटल तरीके से यह और करें कि इतने रुपये तक जो काम होंगे वह खुद आप के विभाग द्वारा होंगे, ठेकेदारों के द्वारा नहीं होंगे। यह अब कतई बरदाश्त नहीं किया जा सकता कि इतनी लम्बी चौड़ी रकमें ठेकेदारों के घर जायं। ठेकेदार इनकम टैक्स भी बचाते हैं और मुनाफा भी लेते हैं। इस तरह वह दोहरा फायदा उठाते हैं।

कहा जाता है कि जिलों में काम नहीं हुआ। यह जो एक लिस्ट दी है उसमें ५१ जिलों का ब्योरा है। कमोबेश सभी जिलों में काम हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि पी० डब्लू० डी० निकम्मा विभाग है। सिद्धांत की बातें कही गयीं कि हमारा दृष्टिकोण नहीं बदला है। मान्यवर, आज जनता के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जरूर दृष्टिकोण बदला है। क्या इंजीनियर वही है जो १९४० के पहले थे। उनमें भी यह एहसास आया है कि हम एक स्वतन्त्र, प्रजातांत्रिक देश के नागरिक हैं। हम प्रजातंत्र और समाजवादी समाज का निर्माण करने के लिये आगे बढ़ रहे हैं। अभी श्री हरिश्चन्द्र साहब ने जो कि रिटायर्ड जज हैं, किसी इंजीनियर की तरफ इशारा किया कि बहुत गंदे आदमी थे,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लालबहादुर]

उनको फिर एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई आदमी गंदा हो तो एक्सटेंशन की बात तो अलग, निकाल देने की बात अलग, उसका जरूर प्रासीक्यूशन होना चाहिये। अब यह समाज इसको बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं है। लेकिन इसके विपरीत सभी लोग जानते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे इंजीनियर भी हैं, जिनको देश की लगन है। जहां तक यह प्रश्न है कि कौन बेईमान है और कौन ईमानदार है, जैसा समाज होता है उसी समाज का रिफलेक्शन गवर्नमेन्ट होती है। उसी गवर्नमेन्ट का एक अंग निर्माण विभाग भी है। जैसे जैसे पैसे की महत्ता कम होती जा रही है वैसे-वैसे हम चरित्र निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, दो-एक बातें मुझे बहुत जरूरी कहनी हैं। बनारस की जो हालत है, कहने को तो यहां बहुत कुछ कह दिया जाता है क्योंकि यहां वचन की स्वतंत्रता है करने की दरिद्रता। लेकिन जो हालत बनारस की है वह हमें मालूम है। दिन भर हाउस में सुनते-सुनते ऊब जाता हूं, कि मुख्य मंत्री वहां के हैं, इसलिये बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है। अगर वहां सड़कें कहीं इधर-उधर बन गयीं हैं या एक पुल जिसका बहुत जिक्र किया गया, वहां की पब्लिक की यूटीलिटी जरूर है लेकिन जो वह बना, इंटरनेशनल लोगों को दस मील घूम कर जाना पड़ता था, इसलिये वह पुल बनाया गया। इसलिये नहीं बनाया गया कि कि बनारस के लोग उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। आज जरूर वह इसका उपभोग कर रहे हैं।

मान्यवर, कहा गया कि अन्तरिम जिला परिषदों ने फलां-फलां सड़कों की बात कही और नहीं बनाया, तो मेरी राय तो यह है कि सर्वे कमीशन से तो काम चलता नहीं, क्योंकि हम सब एक ही जगह के रहने वाले हैं, जिला परिषदों पर कितना भार है। यह हम सबको मालूम है, इसी सदन के अधिकतर मेम्बर बल्कि सभी मेम्बर जिला परिषद के मेम्बर हैं, कुछ लोग पिछले बोर्डों में भी रहे हैं, वे जानते है कि उनको उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहां वह कुछ काम कर सकें।

माननीय मंत्री जी को चाहिये, और सदन के सम्मानित सदस्यों को चाहिये कि अपने-अपने जिलों की जो मुख्य-मुख्य सड़कें हैं उनको वह माननीय मंत्री जी को बतावें और माननीय मंत्री जी उनको एक-एक करके लेकर बनवाने का प्रबन्ध करें। लेकिन उसके साथ-साथ एक काम यह करना जरूरी है। जैसा कि यहां कहा जाता है श्रमदान के बाबत, तो यह श्रमदान वगैरह इस देश में कुछ बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। वह तो खाली इस सरकार की एक मंशा थी कि श्रमदान की एक भावना लोगों में पैदा हो जाय, लेकिन मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं कि यह श्रमदान की भावना कुछ बहुत जागृत हुई हो। उसका एक-ही कारण है और वह यह कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी का जो नतीजा है वह हमको आज भुगतना पड़ रहा है। और मैं आज इस सदन में चेतावनी देता हूं कि हमेशा यही भावना कि इधर से कोई भी चीज पेश हो, कोई भी अनुदान आये, तो उधर से जरूर उसका विरोध होना चाहिये। अरे भाई, इसको बन्द कीजिए, नहीं तो इतने दिनों तक जो गुलामी की भावना बनी हुई है उसमें विरोध की ही एक भावना पैदा करेंगे और फिर देश गड्ढे की तरफ बढ़ जायगा। जो खराब बातें हों, उनका जरूर विरोध कीजिए। लेकिन जो अच्छी बातें हों, उनका तो आप समर्थन कीजिए। मैं बराबर देख रहा हूं जितने बिल आये, जितने अनुदान आज तक आये, विरोधी पार्टियों ने बारी-बारी से एक-एक करके विरोध शुरू कर दिया, कोई पार्टी तो ऐसी होती जो किसी एक अनुदान को भी तो यह कहती कि यह अनुदान अच्छा है और इसको पास किया जाय, इस पर हम समय नहीं लेंगे।

मान्यवर, जो सदन का इतना समय बरबाद होता है एक एक अनुदान के लिये, अगर हम सारे अनुदानों को एक हफ्ते में पास कर देते तो कितना रुपया पब्लिक

का बच जाय और कितना काम बच जाय ! अपने अपने क्षेत्रों में जाकर हम लोग पब्लिक का कुछ काम करें। लेकिन हम लोग तो खवामखवाह के लिए पब्लिक के रुपये का मिसयूज करते है और अपने काम का हर्ज करते हैं, खाली इसलिये कि विरोध करना ही है। भाई, विरोध इसलिये नहीं करना चाहिये कि खवामखवाह जो भी अनुदान आये वह बड़ा खराब है। मान्यवर, मैं पूछता हूं कि पी० डब्लू० डी० माना कि निकम्मा महकमा है लेकिन यह जो अनुदान है, इन्हें क्या पास नहीं करना है, कुछ काम नहीं करना है ? लेकिन अभी देर में कोई साहब कहेंगे कि घंटी बजा दीजिए, हाथ उठवाइए, और कोई साहब कहेंगे कि लाबी में चलिए। तो यह सब क्या है ? रोजमर्रा के जो अधिकार हमको मिले हुए है उनका उपयोग कीजिये, दुरुपयोग मत कीजिये। यह आप सब लोग इस बात को जानते हैं। मैं कोई आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं।

अब मैं, मान्यवर, कुछ एक दो बनारस की सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं। एक सड़क है यूनिवर्सिटी से रामनगर को जाने वाली सड़क; यह इंटरनेशनल इम्पार्टेंस की सड़क है लेकिन उस पर आप जाकर देखिए नावें चलती हैं।

चीन की बात भी कही गई। माननीय विष्ट जी ने चीन की बात कही। मैं विष्ट जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप इतना विश्वास रखिए कि अंग्रेज जो अपनी ब्रिटिश एम्पायर यहां पर कायम किये हुए थे उनको जब हमने निकाल दिया तो चीन क्या हस्ती रखता है ? आप लोग पहाड़ के रहने वाले हैं लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप घबड़ायें नहीं, हम आपके साथ कन्धे से कन्धा भिड़ाकर आपके एक बूंद खून के साथ अपना बीस-बीस बूंद खून गिरा देंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अभी माननीय सदस्य वाराणसी को सुन रहा था। ऐसा मालूम पड़ता है कि जो माननीय सदस्य वाराणसी से आ रहे हैं उन्होंने कभी संसदीय प्रणाली का अध्ययन नहीं किया और शायद वह सदन की उस परम्परा से अवगत नहीं है ....

श्री लालबहादुर--अब आपसे कुछ सीखेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा--ठीक है, सीखिए। हम तो कहते हैं कि सीखे रहिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर वह ज्ञान-लौ-दुर्विदग्ध है तब तो उनको इस तरह से समझाना कठिन है और अगर ज्ञान-लौ-दुर्विदग्ध नहीं हैं तो उनको और कुछ आसानी से सिखा सकते हैं। यह उनको मालूम होना चाहिये कि प्रजातन्त्र में जितने दिन ज्यादा असेम्बली चले उतने दिन ही जनता के अधिकारों की सुरक्षा होती है। उसमें जनता की भावनाओं का प्रतिबिम्ब होता है। इस दर्पण रूप सदन में जनता के सुख-दुख का प्रतिबिम्ब पड़ना चाहिये। अगर उनकी बात को माना जाय तो वह यह भी कह सकते हैं कि गवर्नर का शासन हो जाय, इससे पैसे की बचत होगी और जो रुपया सदन चलाने में बेकार खर्च होता है वह बच जायगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रस्तुत विषय बहुत गंभीर है। माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में अपनी नीति को स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने राज्य के लिये सड़कें बनाने की बात कही। अच्छा राज्य हो या खराब राज्य हो, सड़क तो बना करती हैं और विभाग

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

का यह काम चलता रहता है लेकिन राज्य उसको अच्छा कहा जाता है जो सुनियोजित अर्थ व्यवस्था का विकास करने वाला हो, सुनियोजित निर्माण कार्य करने वाला हो, इन बातों की कसौटी पर इस विभाग को कसा जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इस राज्य में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट ने जो व्यवस्था की है वह बिना सोचे समझे, बिना किसी सुनियोजित तरीके पर यहां कर रखी है। बजट से यह प्रतीत होता है कि जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पर उसको नहीं बनाया गया है और जहां कहीं के प्रमुख सदस्य ने विभागीय मंत्री या उच्च अधिकारी पर ज्यादा जोर डाल दिया तो वह सड़क ज्यादा जरूरी हो गई। इसी तरह से जो जरूरी भवन हैं उनको नहीं बनाया गया है बल्कि जहां पर उतनी अधिक जरूरत नहीं है उन भवनों का निर्माण किया गया है।

अभी कुछ लोग मेडिकल कालेज कानपुर को देखकर आये हैं। उनको पता होगा कि वहां पर ८०० रुपये का एक-एक परदा लगाया गया है। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग को पहले यह करना चाहिये कि वह सुनियोजित रूप में एक अपना प्लान बनावे और फिर उसके लिये कायदे हों। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में मेरे पास एक पुस्तक है, ली फूचिन की लिखी हुई, उसको आप देखने की चेष्टा करें। वहां चीन में जो उनकी पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी, वह उस स्टेट प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। जो जो काम चीन में हुआ था उसके संबंध में उन्होंने आलोचना लिखी है। हम समझते हैं कि जहां तक हमारी इकनामी है, इसके संबंध में मैंने सामान्य विवाद के अवसर पर भी कहा था कि हमारा जो निर्माण-कार्य है उसमें सबसे पहले यह बात होनी चाहिये कि हमारा जो स्टैंडर्ड आफ प्रोडक्शन है, जो हमारे पास पैसा है उसके अनुरूप आवश्यकता देखकर उसका निर्माण करें। हम देखते हैं कि चीन में इसके संबंध में खास तौर से ध्यान दिया गया है।

"Showy buildings naturally seem to require showy furnitures and other interior appointments. Hence the growing fashion of buying such luxuries as rugs and sofas. All this extravagant non-productive building is undesirable, because it does not conform to the principles of our socialist industrialization. It is clear that by reducing needless expenditure in the building of such non-productive projects and eliminating other types of waste, we will be able to save very large amounts."

तो श्रीमन् देखें इस बजट को कि इसमें कहां इस प्रकार से इकनामी की गई है। इस बजट से स्पष्ट है कि आज तक इस तरह का कोई नक्शा नहीं बनाया गया है कि हमारी पुलिस के थाने कैसे बने, उनका क्या स्टैंडर्ड हो, वह किस तरीके से बनें और कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा बन सकें। इस तरह की बातें इसमें नहीं हैं। श्रीमन्, हर एक विभाग के संबंध में कैसे क्या बनना चाहिये, इसका कोई यूनीफार्म नक्शा नहीं है। अगर किसी ने अपनी बात मनवा ली तो उनके यहां ज्यादा भव्यतापूर्ण काम हो गया और दूसरे के यहां वही भवन सादा रह गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज निर्माण विभाग के पास कोई निश्चित निर्माण के सिद्धान्त नहीं हैं। हमारे देश में अगर स्कूल बनेंगे तो किस तरह से बनेंगे, अगर विधायकों के रहने के लिये आवास बनेंगे तो कितने और कहां पर बनेंगे, मंत्री लोगों के आवास कितनी कीमत पर बनेंगे या पुलिस के थाने बनेंगे तो किस कीमत पर बनेंगे, इस प्रकार की कोई सुनियोजित एक सी योजना नहीं है।

जरा बजट को देखें। जालौन में सिविल सर्जन का बंगला ३३,२०० रुपये में बन रहा है। और जज जो उसी के बराबर तनख्वाह का आदमी होता है उसके लिये एक जगह ३५,५००० रु० लिखा है। बलिया के जज का ५२ हजार का बन रहा है। देवरिया के दीवानी न्यायाधीश के लिये २६,५०० रुपये, बस्ती के जज के लिये ३२,४०० रुपये और मेरठ के जिला

न्यायाधीश के लिये ५२,००० रुपये। पांच जिलों में विभिन्न अफसरों के लिये, जो एक ही श्रेणी के हैं, किसी के बंगले के लिये २६ हजार है और किसी के लिये ५२ हजार। यह प्रवृत्ति सब जगह है। माल एवेन्यू में मिनिस्टर्स के लिये बंगले बन रहे हैं जिनमें एक एक बंगले की कास्ट ५८ हजार रुपये के लगभग होगी। १८ हजार ३०० में विधायकों के निवास बनेंगे, पुलिस के एक से थानों का निर्माण ५५ हजार से लेकर ८२ हजार तक पहुंचा है। वही सिपाही और दरोगा हर जगह रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई यूनिफार्मिटी नहीं है। जो जिसने लिखा सरकार ने उसे मंजूर कर दिया। सबसे पहले सरकार को एक स्टैंडर्ड निश्चित करना चाहिये। एक निश्चित कैपेसिटी के हिसाब से सब जगह इमारतें बनाना चाहिये, यह न हो कि कहीं २३ हजार रुपया लगे और कहीं ४ हजार में ही उसी काम के लिये स्कूल बन जाय। इसी विषमता के कारण ही आज प्रदेश में हर जगह स्कूल नहीं बन पा रहे हैं। जहां बनते हैं वे ऐय्याशी के साथ बनते है और नहीं तो बनते ही नहीं। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस प्रवृत्ति को तिलांजली देनी चाहिये। इसी सिलसिले में मैं श्री ली पयुचिन की उपयुक्त किताब से दो लाइनें और पढ़ देना चाहता हूं:

"To demand modern living standard without modernized industry as a foundation and without modernized agriculture means is, in effect, to delay industrial modernization."

अब इसको ध्यान से देखा जाय कि नये किस्म की बनावट वाली चीजें अगर हम पिछड़े औद्योगिक और खेती वाले देशों में करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम यह होगा कि हम उसको कभी आधुनिक तौर पर औद्योगिक नहीं बना पायेंगे। देखा जाय कि जहां मिनिस्टरों के बंगलों के लिये ५८,००० रुपया खर्च किया जा रहा है और विधायकों के लिये १८ हजार, वहां गरीबों के लिये कुछ नहीं हो रहा है। सरकार कहती है कि वह समाजवादी व्यवस्था लाना चाहती है। इस नीति में, इस प्रवृत्ति में सुधार होना चाहिये। एक तरह के लोगों के लिये एक तरह की व्यवस्था होनी चाहिये; एक्स्ट्रा-वैगेन्स जो बढ़ गयी है, वह रुकनी चाहिये। इसके कारण जरूरी चीजों का ध्यान भुला दिया जाता है। पिछले साल भी किसी माननीय सदस्य ने कहा था और जब १९५७ में मैं यहां आया तो मैंने भी कहा था कि दारुलशफा में भव्यता के कारण किचेन नहीं है क्योंकि वह तो शौक के लिये बनायी गयी थी। कैसे लोग रहने वाले आयेंगे उनमें, उनकी क्या आवश्यकतायें होंगी, उनकी तरफ इंजीनियर्स का ध्यान नहीं गया। ध्यान इस बात पर है कि वे इमारतें कैसे भव्य मालूम पड़ें। इसके बाद पिछले वर्ष रायल होटल के विधायक निवास बने तो भी किचन गायब। सरकार ने पहले से कुछ सीखा नहीं और रायल होटल में बने विधायक निवास के संबंध में जो रद्दी इमारत व सामान की शिकायत है वह भी अक्तूबर, १९५९ में मैंने पत्र द्वारा माननीय मंत्री जी के पास भेज दी थी लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई। श्रीमन्, मुझे ५ मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता––मैं दो मिनट और दे दूंगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा––मैंने शिकायत तो भेज ही दी थी। आम तौर पर किचेन का प्राविजन होना चाहिये जो नहीं होता है। इमारतें जल्दी में बनाने की कोशिश की

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

जाती हैं और जो उससे कंजेशन हो जाता है, काम की चीजें छट जाती हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं किया जाता। रायल होटल के विधायक निवास में अगर कुछ लान होता तो वह कुछ खूबसूरत हो जाता, लेकिन पैसा तो बेतहाशा खर्चा और हुआ कुछ नहीं। ऐसा कंजेशन हो गया है कि मालूम पड़ता है कि जेल में बन्द कर दिये गये हों। वैसे जेलों में भी कंजेशन नहीं होना चाहिये, लेकिन है।

मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के ये तमाम कार्य जो बिना सोचे समझे हो रहे हैं इससे प्रदेश तबाह हो रहा है, जनता का पैसा बरबाद हो रहा है। जिन कामों के लिये पैसा चाहिये और जिन कामों को होना चाहिये वे नहीं हो रहे हैं। कम से कम जो इंटरनेशनल महत्व की जरूरी सड़कें हैं, उनका निर्माण होना चाहिये। बनारस जिले में बनारस से सेवापुरी जाने वाली सड़क का बनना बहुत जरूरी है। चार साल से वह सड़क बनने को पड़ी हुई है और उसमें गड्ढे हो गये हैं। उसका पानी नहीं निकल पाता है। उससे यातायात में बड़ी तकलीफ होती है।

श्री अधिष्ठाता--वह सड़क तो बन गयी है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--अभी नहीं बनी है। मुझे, श्रीमन्, मालूम है। उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वह एक तीर्थ केन्द्र बना हुआ है, उस सड़क के बनने की बहुत जरूरत है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह ५०-५० योजनायें चालू न करें। उसके पास जितना स्टाफ है, जितना सामान है, जितने साधन हैं, उसी प्रकार उन योजनाओं को और उतनी लें जिनको वे समय के अन्दर पूरा कर सकें। जब राष्ट्र का धन अनेक अनेक अधूरी योजनाओं में खर्च कर दिया जाता है तो उससे देश का लाभ भी नहीं होता, रिटर्न नहीं मिलता और रुपया बेकार हो जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिये।

इसके अलावा हमारी सरकार की एक नीति यह होनी चाहिये कि जो अंतर प्रदेशीय सड़कें हैं उनको मिलाया जाय। इटावा कानपुर के दक्षिण जालौन व मध्य भारत है जिसके बीच में जमुना आ जाती है, इसके लिये शेरगढ़ में एक पुल बनाया जाय तो जालौन इटावा मिल सकते हैं। इस पुल के बनने से बड़ा काम हो सकता है। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अत्यन्त आवश्यक सड़कें हैं सरकार उनका सर्वे कराये और उनमें संबंध जरूरत के लिहाज से कायम करे। तमाम जो प्रदेश के अन्दर पुल हैं उनको बनाया जाय। इसके लिये 'ले आउट कन्ट्री ओपेन' प्रिन्सिपिल को अपनाया जाय।

दूसरा निवेदन मैं माननीय मंत्री जी से यह करना चाहता हूं कि आज प्रदेश भर में जो सर्वेक्षण कराने के काम हो रहे हैं, तथा जो और निर्माण संबंधी कार्य हो रहे हैं, उनके खर्चे में कट करें। निर्माण संबंधी कामों में वह एकरूपता लावें। उसका एक स्टैन्डर्ड कायम करें।

इसके अतिरिक्त एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से बाहर किये जाते हैं उनको निम्नतम किया जाय। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारा प्रदेश तबाह हो जायेगा। जो राजस्व से आमदनी होती है उसी के अनुसार हमें खर्चा करना चाहिये। आज १२ करोड़ से ज्यादा के काम राजस्व से बाहर हो रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि इस तरह से कम से कम खुदा के लिये प्रदेश का दिवाला न निकालें क्योंकि अगर मुसीबत आयी तो इस प्रदेश की एक-एक इमारत भी अगर बिक जायेगी तब भी पैसा नहीं मिलेगा। इन शब्दों के साथ, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)––श्रीमन्, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विभाग प्रदेश के महत्वपूर्ण विभागों में से है। इस विभाग पर प्रदेश की संस्कृति, उसका विकास और उसकी तरक्की का बहुत कुछ दारोमदार है। प्रदेश के अन्दर आवागमन के साधनों को बनाना, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये सड़कों को बनाना चाहिये, यह इस विभाग का काम है। बावजूद इसके मुझे यह कहना है कि इसके संगठन में कुछ कमियां हैं और उन कमियों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे तमाम विभागों की जरूरतें इस विभाग को पूरी करनी पड़ती हैं, भवन इत्यादि का निर्माण करना पड़ता है, बजट धन का अलाटमेन्ट होता है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि क्या विभाग के पास आदमियों की कमी है। उस सारे धन का उपयोग वित्तीय वर्ष में समाप्त क्यों नहीं हो जाता? बहुत से भवनों का निर्माण, बहुत-सी सड़कों का निर्माण हो ही नहीं पाता और वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है। मान लीजिये कि आपके पास संगठन की कमी है तो अपने संगठन को बढ़ाने की कृपा करें। यह इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि यदि अलाटेड सड़कों को आप बना न पावें तो उससे सड़कों के बनाने में ही नहीं, तमाम तरह की तरक्कियां रुक जाती हैं। जहां पर सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है, वहां पर जुर्मों की बाढ़ रहती है, कत्ल और डकैती हुआ करती हैं और कोई जांच के लिये पहुंचता नहीं। इसी प्रकार वह क्षेत्र डाक्टरों से भी महरूम रहता है, वैद्य नहीं पहुंचते, बीमार इलाज के बिना ही मर जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि आवश्यकता हो तो संगठन में लोगों को बढ़ावें, और जितना कार्य आपको दिया जाय उसको पूरा करने की कृपा करें।

एक निवेदन मुझे और करना है। विभाग के ५ या ६ अधिकारी मुख्य रूप से कहे जाते हैं एक चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर और असिस्टेन्ट इंजीनियर और ओवरसियर, यह एक ढांचा है विभाग का। इसमें दो पद बिलकुल निरर्थक हैं एक तो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का और एक असिस्टेंट इंजीनियर का। ये केवल डाक का आदान-प्रदान करते हैं। यही नहीं, इनकी वजह से काम में बाधा भी उत्पन्न होती है, देरी भी होती है। इसलिये जहां एक ओर आपको जो धन दिया जाता है उसको आप पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते, दूसरी ओर इन पदों के निर्माण में अनावश्यक तौर पर धन खर्च होता है। अगर इनको तोड़ कर दूसरे कामों में लगायें तो अधिक काम होगा और काम में दिक्कत भी नहीं पड़ेगी।

मेरा एक निवेदन और है। इस डिपार्टमेन्ट को चाहिए कि प्रदेश का सर्वे करके एक मास्टर प्लान बनाने की कृपा करें। इसमें किसी हद तक सत्यांश है कि यहां पहले तो योजनाएं बनती हैं, कहा जाता है कि ये योजनाएं बड़ी प्रमुख हैं, उनका निर्माण अगर किया जायगा। फिर उन योजनाओं में तब्दीली आ जाती है और वे पूर्ण रूपेण नहीं चल पातीं। क्या वजह है? या तो किसी का दबाव पड़ता है, या कोई और कारण है। मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता, मगर मेरी प्रार्थना है कि जिला स्तर से लेकर सूबा स्तर तक एक आपका मास्टर प्लान बना हुआ हो, उससे देहात में आप यह फैसला कर लें कि हमको इन-इन जगहों में सड़कों या पुलों का निर्माण करना है और फिर आप

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन कामों को हाथ में ले लें। मैं यह बताना चाहता हूं कि ८-३-६० को इस माननीय सदन में मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया गया था ४-५ नवम्बर के प्रश्न थे जिसमें जब मैंने पूरक प्रश्न पूछा कि जन्हौरा की ड्रेन के न बनने का क्या कारण है, कार्य शुरू ही न होने का क्या कारण है तो कहा गया कि कुछ टेक्निकल गलतियां और कमियां थीं, उनको पूरा किया गया। मेरा नम्र निवेदन है कि आखिर जब आपने काम करने के आदेश दिये तो जब वह सारी गलतियां समाप्त नहीं हो चुकी थीं तो आपने किस आधार पर आदेश दिया। आपके पास तो कोई योजना आयी होगी, उसको सामने रख कर आदेश दिया, लेकिन फिर टेक्निकैलिटी की बात बाकी रह गयी। तो मेरा निवेदन है कि इन कमियों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी तरह थोड़े दिन पहले, ३ मार्च, को मेरे प्रश्नों के उत्तर में, जो कि ४, ५, ६ नम्बर के थे, बताया गया कि ३३ लाख रुपये की पर्वतीय जिलों के लिये एक योजना सड़कों और पुलों को बनाने की थी और उस धनराशि में से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। आखिर इस तरह की योजनाएं बनाने का मतलब ही क्या रहता है? यदि आप उस पर खर्च नहीं कर सकते थे, उसको नहीं बना सकते थे तो शुरू से ही उस काम को हाथ में नहीं लेना चाहिये था।

एक तरफ मैं और आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। मेरे यहां एक ड्रेन बनाई गई। उसके सम्बन्ध में भी मेरा एक प्रश्न ८ मार्च को था। उस चौड़िया ड्रेन के जवाब में कहा गया कि दो मील ड्रेन बना दी गई। श्रीमन्, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि किस तरह से इंजीनियर महोदय ने काम किया। चौड़िया ड्रेन ६ मील और कुछ फर्लांग लम्बी थी। आप देखें कि वह ढाल की तरफ से नहीं बनाई गई बल्कि जो ऊंची साइड थी उस साइड से उसको बनाया गया और दो मील बनाकर छोड़ दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि जब पानी आया तो उसने बहिया का रूप धारण कर लिया। मैं और तहसीलदार साहब वहां मौके पर गये तो वहां नहर काटकर पानी को निकलवाया। उससे वहां पर मकानों और फसल को बड़ा नुकसान हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा हूं. . . .

श्री गिरधारीलाल--आज पी० डब्लू० डी० पर बहस हो रही है, इसलिये इर्रीगेशन से सम्बन्धित चीजों को अगर इर्रीगेशन के बजट के मौके पर कहा जाय तो उससे ज्यादा फायदा हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य पी० डब्लू० डी० के सम्बन्ध में ही भाषण दें।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--अधिष्ठाता महोदय, अक्सर मौका मिला नहीं करता, इसलिये मैंने सोचा कि आज ही कह दूं।

श्री अधिष्ठाता--आपको तो अक्सर मौका मिला करता है, आपको इसकी शिकायत नहीं होनी चाहिये।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--श्रीमन्, मैं सड़कों के निर्माण पर एक सुझाव देना चाहता हूं। सड़कों की बड़ी आवश्यकता है, सभी सदस्य इस बात को महसूस करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह से हावड़ा में पुल का निर्माण हुआ था, प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा और फिर उस पर मामूली टैक्स लगाया गया था और उस टैक्स के द्वारा कुछ वर्षों में उस पुल की लागत वसूल हो गई थी, उसी तरह से क्या प्राइवेट लोगों को सड़कों के निर्माण का कार्य यहां नहीं दिया जा सकता। अगर सरकार उनके सिपुर्द यहां भी यह कार्य कर दे और उनकी पूंजी इस कार्य में लगे और गवर्नमेंट इस बात को निश्चित कर दे कि इतने अर्से के बाद वह सड़क सरकार की हो जायगी तो आज बेहातों में जो छिपी हुई पूंजी है उसका इस्तेमाल इस अच्छे काम में हो

सकता है और हर गांव किसी न किसी सड़क से कनेक्ट हो जायगा। मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करे ।

अन्त में मैं सरकार का ध्यान महमूदाबाद-सिधौली रोड की तरफ ले जाना चाहता हूं । सिधौली से महमूदाबाद जाने वाली सड़क पर अधिक गमनागमन होता है । इसकी जांच सन् १९५६ में पी० डब्लू० डी० सीतापुर के द्वारा की जा चुकी है, मगर अभी तक उस सड़क को डामर की सड़क बनाने की कोशिश नहीं की गई है। मेरी प्रार्थना है कि उस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये । सन् १९५२ से बराबर मैं महमूदाबाद-तम्बौर की सड़क जो, कि एक गांजर का पिछड़ा हुआ इलाका है, की तरफ सरकार का ध्यान ले जा रहा हूं। उसका सर्वे भी इस साल शुरू हो गया है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि कहीं उसका सर्वे ही होकर न रह जाय, उस सड़क को पक्का बनाने का कार्य भी जल्द शुरू किया जाय । इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)––अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट जी ने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग जितना महत्व रखता है उसी दृष्टि से अगर इसका काम भी होता तो आज अपने प्रदेश की हालत ही कुछ और होती । मान्यवर, जिस वक्त योजना बनाई जाती है उस वक्त न मालूम कहां से एक्सपर्ट आते हैं, न मालूम कैसे-कैसे एक्सपर्ट से सरकार योजना बनवाती है ! श्रीमन्, उनका लक्ष्य कुछ और होता है । श्रीमन, जो रुपया वे तय कर लेते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा वर्ष की समाप्ति पर लैप्स हो जाता है, जितना रुपया लैप्स हो जाता है उसका चौथाई या दसवां हिस्सा भी काम वह नहीं कर पाते । अगर इसी तरह से कार्य हुआ तो मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में जो काम होता भी है वह भी समाप्त हो जायगा । कारण यह है कि सरकार की योजना होती है कि अमुक जगह २० मील सड़क बनने वाली है। लेकिन जब योजनाकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद मालूम होता है कि वह सड़क नहीं बनी इसके अलावा जहां कहीं कोई सड़क बन भी जाती है उसकी बाद में मरम्मत तक नहीं होती है ।

मान्यवर, सरकार ने ऐसी अभिलाषा जाहिर की कि सड़कें अधिक से अधिक बननी चाहियें क्योंकि देहातों में सड़कें न होने के कारण किसान का गल्ला ठीक भाव पर नहीं बिक पाता है। यह विचार तो अच्छा तभी हो सकता है जबकि माननीय मंत्री जी और उनका विभाग भी सक्रिय दृष्टि से सोचें । बड़े दुख की बात है कि काम शुरू होता है, आधा बनता है और बरसात आती है और वह बह जाता है। पुरानी इमारतें और पुल खड़े हैं लेकिन वे जुम्बिश नहीं खाते हैं और आजकल के बने हुए पुल और इमारतें दरार खा जाते हैं। इटावे में एक पुलिया बनी जो ३ दिन में ही खत्म हो गई और पता नहीं चला कि क्यों ऐसा हुआ। मंत्री जी और उनके विभाग के उच्चाधिकारियों को चाहिये कि १ बाई १ स्क्वायर फुट किसी भी हिस्से से कटवा कर कैमीकल टेस्ट करावें कि जैसा मसाला लिखा है वैसा लगा है या नहीं। जो काम बनाया जाता है, दोबारा बनने की उसकी नौबत जल्दी तो आती नहीं है, इसलिये ठोस और टिकाऊ काम होना चाहिये ।

कुछ मैं अपने जिले इटावे की बात कहना चाहता हूं। यह जिला मध्य प्रदेश से मिलता है। डाकू समस्या वहां बनी रहती है। कोई दिन सौभाग्यशाली होता होगा कि डकैती न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

पड़ी हो या कत्ल न हुआ हो। इसके लिये केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की तथा मध्य प्रदेश की सरकारें बहुत चिन्तित भी रहती हैं। इटावा जिले के चम्बल और जमुना के बीच के भाग में अगर राजघाट का पुल बन जाय तो डाकू समस्या बहुत कुछ हल हो जाय। ठीक समय से न वहां मिलीटरी पहुंच पाती है और न ग्रामीणों की रक्षा हो पाती है। उस पार पट्टी क्षेत्र में अभी कुछ दिन हुये एक परिवार के ७ व्यक्तियों को डाकुओं ने एक घंटे में कत्ल कर डाला। पास ही मिलीटरी पड़ी थी लेकिन नहीं पहुंच सकी क्योंकि नदी को पार करने में ४, ४ और ६, ६ घंटे लग जाते हैं। उस पुल के लिये कितनी ही योजनायें बनीं और केन्द्रीय सरकार से भी हुआ, मैंने माननीय मंत्रीजी से भी कहा और श्री डी० डी० अग्रवाल, सेक्रेट्री, के पास भी गया। उन्होंने कहा कि हम चाहते तो हैं कि यह पुल बने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी चाहा है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि चूंकि यह जिला मध्य प्रदेश से मिलता है और पुल बनने पर उसका आधा फायदा मध्य प्रदेश को भी होगा, उन्हें भी रुपया देना चाहिये।

पांच मील में इटावा में जमुना नदी है, भिन्ड और इटावा के बीच की सड़क है, चम्बल नदी है और उधर कुआरी है। कुआरी का पुल तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बना दिया है। चम्बल का पुल तीनों सरकारों ने मिलकर बना दिया है। अब रहा जमुना का राजघाट का पुल जिसके लिये हमारी सरकार कहती है कि मध्य प्रदेश की सरकार भी रुपया दे। तीन हिस्से बराबर कर दिये जायं ऐसा इस सरकार का कहना है, क्योंकि इस पुल के बनाने से ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश को होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि हमने कुआरी पर पुल बना दिया है, चम्बल क्योंकि हमारे इलाके में बहती है इसलिये उसका आधा रुपया हम दे देंगे लेकिन यमुना का पुल तो यू० पी० में पड़ता है, उसका भार उसको ही वहन करना चाहिये। अग्रवाल साहब से कहा तो उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार के पुल बनाने होंगे तो बहुत से पुल बना लेंगे। थोड़े से रुपये के लालच के लिये न जाने कितने कत्ल हर साल डाकुओं द्वारा होते हैं। यदि यह पुल बना दिया जाय तो डाकुओं की समस्या जिस पर सरकार का हर साल करोड़ों रुपया खर्च होता है, हल हो जाय, लोगों की जानमाल की हिफाजत हो और उस क्षेत्र की तरक्की हो सके।

उस क्षेत्र में एक सड़क बनायी जा रही है। उसको चौड़ा किया जा रहा है। वह बाह से ओही को जाती है। लेकिन एक स्थान पर उस सड़कर को छोड़कर पास ही दूसरे स्थान से १०० फीट चौड़ी सड़क बनायी जा रही है जो गरीबों के खेतों को काटती हुई जाती है। समझ में नहीं आता कि जो सड़क थी उसके आस-पास ही से क्यों नहीं और जमीन लेकर उसको चौड़ा कर लिया गया है। सड़क भी चौड़ी हो जाती है और गरीबों का नुकसान भी न होता। कितने लोग तो ऐसे हैं जिनके सारे के सारे खेत ही चले गये। माननीय मंत्री जी ने भी उसको देखा है कि किसानों का कितना नुकसान हो रहा है।

मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी उस राजघाट के पुल को तृतीय पंचवर्षीय योजना में अवश्य रखें। अभी माननीय राज्यपाल जी इटावा गये थे। उन्हें इटावा के नागरिकों ने एक मानपत्र भेंट किया था और उसमें उन्होंने अपनी इस मांग को भी रखा था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको रखा जायगा। माननीय मंत्री जी अपने तथा राज्यपाल महोदय के आश्वासन को देखकर इसको तीसरी योजना में रखने की कृपा करें।

बहुत दिनों से एक सड़क लखना-सिंडौस बन रही है लेकिन अभी तक बन नहीं पायी। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी अपने विभाग को कसें या चीफ इंजीनियर साहब यहां बैठे हुए हैं वे भी देखें कि यह निर्माण कार्य शीघ्र पूरा हो जाय और सरकारी रुपया भी बरबाद न हो।

श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)---मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं एक छोटे से जिले से आता हूं जो कि एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला है

जहां पर यातायात के साधन बिल्कुल नहीं है। वैसे तो एक बड़ी सड़क ग्रांड ट्रंक रोड उस जिले के बीच से जाती है लेकिन उत्तर और दक्षिण दोनों भाग वैसे ही रह जाते हैं। यह जिला गंगा और यमुना के बीच में स्थित है। उत्तर की ओर गंगा और दक्षिण की ओर यमुना विराजती है लेकिन आने-जाने का कोई साधन नहीं है। जिले के उत्तरी भाग से रायबरेली उन्नाव होकर लखनऊ मिल जाता है। जिला अन्तरिम परिषद्, फतेहपुर ने अपने एक प्रस्ताव को लिखकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजा था कि डलमऊ घाट पर एक पुल का निर्माण किया जाय। यह मार्ग ऐसा है जो लखनऊ, फतेहपुर, बांदा-सागर होता हुआ बाम्बे को जाता है। जो मार्ग देश के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से मिलाता हो, उसका होना अत्यन्त आवश्यक है। और वैसे ही माननीय मंत्री जी से जिला रायबरेली, बांदा और फतेहपुर के विधायकगण मिले थे जिनमें मैं भी था और उनसे यह प्रार्थना की थी कि इस पुल का बनना नितान्त आवश्यक है। वैसे माननीय मंत्री जी से यह भी ज्ञात हुआ है कि हरद्वार का जो पुल बनने वाला है और जो नयी योजना में आ गया है, वहां तब तक पीपे का पुल ही लगा दिया जाय जब तक कि इस नये पुल का निर्माण न हो जाय। इससे जनता का बहुत ही हित होगा। वैसे चेलातारा में यमुना जी पर नाव का पुल बनता है लेकिन जिला फतेहपुर में इस पुल का भी निर्माण होना नितान्त आवश्यक है। यदि यह पुल बन जाता है तो दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग जो बिलकुल सड़क से शून्य रहता है उसकी पूर्ति हो जायगी। इसी तरह से पुराना मुगल रोड का एक बहुत बड़ा भाग छूट गया है। वह सड़क इटावा से फतेहपुर, जहानाबाद को जाती है। इस जिले में १४ मील की सड़क हतगांव-विलंदा छूट गई है जिसमें से साढ़े ४ मील सड़क तो बन रही है लेकिन फिर भी ८ मील आगे और सड़क छूट जाती है। यदि यह सड़क बन जाय तो विलन्दा, कड़ा होते हुये तथा हुसेनगंज-कड़ा होते हुये प्रयागराज को यह सड़क चली जाती है। कड़ा एक तीर्थ स्थान है जहां हिन्दू लोग देवी जी के दर्शन के लिये लाखों की तादाद में आते हैं और उर्स के मौके पर, जो माघ के महीने में होता है, ५, ७ जिलों से लाखों की तादाद में मुस्लिम तीर्थ यात्री भी आते हैं। इसलिये इह सड़क का बनना बहुत ही जरूरी है।

इसी तरह से धाता बहुआ रोड फतेहपुर से जिला इलाहाबाद को मिलाती है। तृतीय पंच-वर्षीय योजना में इस सड़क को ले लिया गया है और आशा है कि वह सड़क तृतीय या चौथे स्टेज में जरूर बन जायगी। अगर यह सड़क बन जाती है तो इस जिले के बहुत बड़े भाग में यातायात के साधन उपलब्ध हो जाते हैं और इस तरह से बांदा जिले से अन्न के आने जाने में भी सुविधा हो जायगी। इस योजना काल में जबकि दूसरी योजना समाप्त हो रही है केवल ४ मील के टुकड़े को छोड़ कर और कोई भी टुकड़ा नहीं लिया गया है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसी भी देश या प्रदेश की तब तक उन्नति नहीं हो सकती जब तक कि वहां यातायात के साधन सुलभ नहीं होंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जिला फतेहपुर जिले की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय। क्योंकि यह जिला दो बड़े-बड़े जिले इलाहाबाद तथा कानपुर के बीच में किंचित सा पड़ता है। वैसे माननीय हाफिज जी भी जब इस विभाग के मंत्री थे तो वे भी हमारे जिले में पधारे थे। और मैंने जिस सड़क कड़ा-हथगांव का जिक्र किया उस का उन्होंने वादा भी किया था, वह शायद किसी उप चुनाव के वक्त की बात है, यह ठीक है कि अक्सर चुनावों के वादे सत्य नहीं होते लेकिन फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने पूर्व वादे को और वहां की जनता की भावना का खयाल करते हुये वहां के लिये यातायात के साधन बनाने की कृपा करें।

[श्री वासुदेव दीक्षित]

इसके अलावा वहां कच्ची सड़कें भी बहुत कम हैं, अभी पारसाल श्रमदान से एक साढ़े ५ मील की सड़क बनी है । श्रीमती इन्दरा गांधी की पैदल यात्रा के समय में २ मास के बीच में श्रमदान द्वारा वह बनी थी । मेरी प्रार्थना है कि उस सड़क को सार्वजनिक विभाग ले ले, पहले मैंने लिखा था लेकिन उस का नकारात्मक उत्तर यहां से मिला । गाजीपुर औगासी रोड के निर्माण की बात बजट में है वह न रह जाय। उम्मीद है कि वह बन जायेगी और वही कुल शायद ८ मील का टुकड़ा रह जाता है वह भी ले लिया जाय । इस के बाद बातें तो बहुत हैं लेकिन याचना थोड़ी ही करना चाहिये ताकि वास्तविक सिद्धि प्राप्त हो सके ।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप के द्वारा मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं और कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं जिन को मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा । यह मान लेना कि सभी इंजीनियर्स बेईमान हैं यह तो अक्ल हमारी सदन की मर्यादा के विरुद्ध है और इस देश के अखलाक के भी खिलाफ है, हम तो यह मानते हैं कि श्रेष्ठता बेईमानी को फतह कर सकती है "Good is more than a match for bad" ।

श्री अधिष्ठाता—शब्द बेईमानी पार्लियामेंटरी पद्धति के विरुद्ध है ।

श्री यशपालसिंह—इसीलिये तो मैं उस के खिलाफ बोल रहा हूं क्योंकि वह अनपार्लियामेंटरी है हम इस सिद्धान्त को मानते हैं कि चरित्र की श्रेष्ठता किसी भी बुराई को जीत सकती है । जो दिक्कत इस विभाग के इंजीनियर्स की है वह मैं आप के सामने रख दूं कि एक चीफ इंजीनियर साहब अपने मातहत को समझते हैं कि वह अच्छा काम करता है, वह मातहत भी समझता है कि उसका सबार्डिनेट अच्छा काम करता है, उनका जो नया अप्रेन्टिस है उसके बारे में वह सबार्डिनेट भी समझते हैं कि वह अच्छा काम करता है लेकिन उस की दिक्कत यह है कि जब अप्वाइंटमेंट के लिये उसे इन्टरव्यू में भेजा जाता है तो वहां जो दूसरे लोग होते हैं वह उस को दूसरे प्वाइंट आफ व्यू से देखते हैं। हमारी मंत्री जी से दरख्वास्त है कि किसी कैन्डीडेट का युनिवर्सिटी रिकार्ड है, यदि किसी ने विश्वविद्यालय में ऊंचे नम्बरों में परीक्षा पास की है, अपने क्लास में टाप किया है, क्या आवश्यकता है कि उसे इन्टरव्यू के लिये एक बन्द कमरे में भेजा जाय। इस तरह से बन्द मकान में इन्टरव्यू के लिये अन्दर बुला कर उन लोगों को श्रेष्ठता दी जाती है जिनकी सिफारिशें होती हैं और जिनकी सिफारिश नहीं होती उनको रिजेक्ट किया जाता है । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि ऐसे इन्टर व्यू में केवल वह चीफ इन्जीनियर सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर और एक्जक्यूटिव इन्जीनियर ही रहें और केवल उन्हीं से पूछा जाय।

माननीय सदन के कांग्रेसी सदस्य गोविन्द सहाय जी ने जो बात कही मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूं, कतई सहमत नहीं हूं। उन्होंने पी० डब्लू० डी० का अर्थ बतलाया "प्लडंर विदाउट डेन्जर", मैं इस बात को नहीं मानता। हमें अपने महान देश का निर्माण करना है। उसके लिये कोई भी एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिये सारे देश को अपने को कटिबद्ध करना होगा, धार्मिक शिक्षा के द्वारा, मारल टीचिंग्स के द्वारा अपने अखलाकी मियार को ऊंचा करना होगा। तभी वह जिम्मेदारी हम पूरी कर सकते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर या झूठा, रिश्वतखोर किसी को कहकर हम उसे पूरी नहीं कर सकते। मेरी दरख्वास्त है कि हम खुद अपने घर में बैठ कर प्रतिज्ञा करें कि हम रिश्वत नहीं देंगे चाहे हमारा काम कितना ही खराब क्यों न हो जाय। अंग्रेजों ने हम पर कातिलाना हमला किया हमें डकैतों के बीच में रखा। सालीटरी सेल्स में रखा हमने कसम खाई थी कि हम हरगिज रिश्वत नहीं देंगे। हमने रिश्वत नहीं दी और अंग्रेज चला गया। आज भी कोई बेईमान रिश्वतखोर, रिश्वत मांगता है तो हमारा फर्ज है कि हम न दें।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जिस वक्त बिल्डिंग्स बनती हैं, कम से कम हमारे मंत्री जी, उपमंत्री जी, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी और सारे माननीय सदस्यों का यह फर्ज है—सब लोगों का देश है, किसी के नाम गिरवीं नहीं है सब लोग मौके पर जाकर देखें कि कितना सीमेन्ट लग रहा है, कितना रेत लग रहा है और किस तरह काम हो रहा है। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में जो काम हो रहा है मैं खुद देखता हूं। मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने इंजीनियर्स से बार-बार परामर्श करता हूं, राय देता हूं और राय लेता हूं। एक आदमी को बेईमान कहने से और रिश्वतखोर कहने से मसला हल नहीं हो सकता।

दूसरी दिक्कत मेरे जिले की हिंडन नदी का पुल न होना है। इस वक्त गवर्नमेन्ट को एक हमारा पुल न होने से ४० लाख रु० साल का घाटा होता है। देवबंद से ननौता को जो सड़क जाती है उस पर हिंडन नदी का पुल मंजूर हो चुका है, लेकिन पता नहीं कौन बीच में रोक लेता है। इससे ४० लाख का घाटा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को होता है चूंकि उससे तीन गन्ना मिलों से ताल्लुक है। या तो मंत्री जी उत्तर में कहें कि हमने उसे मंजूर नहीं किया और अगर मंजूर किया है—देवबंद से ननौता जाने वाली सड़क पर सातवें मील पर वह पुल है, जिसका डिजाइन हो चुका है, जिसकी गवर्नमेन्ट सर्वे और सैंक्शन हो चुकी है, तो बीच में क्या गोल-माल हुआ? उसकी वजह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट को ४० लाख का घाटा है और देहात की जनता को भी परेशानी है चूंकि १५–१६ मील की जगह पर घूमकर ८० मील तय करके जाना पड़ता है। मवेशी भी तबाह होते हैं। पब्लिक को भी दिक्कत है।

मेरी दरख्वास्त है कि पालिटिक्स से ऊपर उठकर निर्माण कीजिये। यह पवित्र चरित्र से हो सकेगा। दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने से नहीं होगा हमारा सबका कर्त्तव्य है कि हम देखें कि कहां कमी है, उसको प्रेम से समझाएं। जब तक प्रेम से कार्य नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं हो सकते। भद्रता से, श्रेष्ठता से, ईमानदारी से हम अपने देश के करप्शन को दूर कर सकते हैं, हम कोई डिक्टेटरशिप को मानने वाले नहीं हैं। नैपोटिज्म को मानने वाले नहीं हैं। हमने जनतंत्र के रास्ते को अपनाया है। हरएक को मौका मिलना चाहिये कि वह अपनी पवित्रता और चरित्र को ऊंचा उठाकर इस देश के निर्माण में सहयोग दे।

रुड़की यूनिवर्सिटी में इस वक्त जितने इंजीनियर तैयार हो रहे हैं, वर्ल्ड में उसके मुकाबले का इंजीनियर नहीं है। सारा विश्व इस बात को मानता है कि रुड़की यूनिवर्सिटी ने इतने ऊंचे इंजीनियर पैदा किये हैं जिन्होंने भाखड़ा जैसा डैम खड़ा किया है। ऊंचे से ऊंचे आदमी हैं। इंजीनियर्स को बेईमान कहा जाता है। किन्तु इंजीनियर्स में ही ए० एन० खोसला, जिनकी ईमानदारी देवताओं जैसी है एस० आर० सिंह और आर० एस० चतुर्वेदी जैसे भी व्यक्ति हैं....

श्री अधिष्ठाता—कृपया नाम न लें।

श्री यशपालसिंह—मेरी प्रार्थना है कि रुड़की यूनिवर्सिटी को ऊंचा उठाने के लिये सबसे पहली जरूरत है कि गरीब काश्तकारों के बेटों को पढ़ने का मौका दिया जाय। हमारे माननीय मंत्री जी का ताल्लुक सीधा रुड़की यूनिवर्सिटी से है। गरीब किसानों के लड़कों के लिये, गरीब मजदूरों के लड़कों के लिये, हरिजनों के लड़कों के लिये कोई चान्स नहीं है। जो अच्छे नम्बरों से पास होते हैं, कम्पटीशन में पास होते हैं, उन मजदूर और किसानों के लड़कों को जरूर मौका मिलना चाहिए। उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये।

[श्री यशपाल सिंह]

बाहर से जो हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं उससे अच्छे डायरेक्शंस हमको हमारे इंजीनियर्स दे सकते हैं। इसलिये बाहर की इमदाद को बन्द करके हम अपने पैरों पर खड़े हो जायं और अपना निर्माण अपने हाथों से करें। चरित्र का मसला प्रत्येक नागरिक का, सारे प्रदेश का मसला है, किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है। जो सड़कें आज बनती हैं वे दो दिन बाद टूट जाती हैं। हमारे ही रास्ते में एक पुल बना, दो दिन पहले बना और बारिश में टूट गया। हमको खेद है। हम सब इसके जिम्मेदार हैं, हमें खुद यह काम देखना चाहिये। अंग्रेजों के जमाने में रूहाने का पुल बना था उसमें से एक ईंट भी नहीं निकली है। सड़की का जो नहर का सबसे बड़ा आयोजन है उसके बारे में बड़े से बड़े इंजीनियर्स कहते हैं उसके पुलों के एक घनफुट को तोड़ने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी कि बीस घन फुट नए बनाने में होती है, एक घनफुट को तोड़ने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। देवरिया, गोरखपुर में जो ४० साल पुरानी सड़कें हैं उनका एक किनारा भी नहीं टूटा। लेकिन आज की सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं और फौरन ही टूट जाते हैं। यह काम हम सबका है। मैं चाहूंगा सब लोग मिल कर अपने प्रदेश का निर्माण करें और ज्यादा से ज्यादा पवित्रता के साथ आगे बढ़ें। और जो पुल रुके हुए हैं उनको बढ़ाया जाय जनता हर तरह का सहयोग करने के लिये तैयार है। केवल सरकार गफलत छोड़ दे तो जनता कंधे से कंधा मिला कर देश में सड़कों और पुलों के निर्माण में सहयोग देगी।

श्री बेचनराम (जिला वाराणसी)—माान्यवर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

आज मैं सुबह से बैठा भाषण सुन रहा था और कई बार प्रयास भी किया, उठा, बैठा और निराश हो रहा था कि शायद समय न मिले लेकिन आपकी कृपा हो गई, इसके लिये धन्यवाद।

मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुने जिनमें कुछ सुझाव भी दिये गये और शिकायतें भी हुईं। मैं वाराणसी जिले का रहने वाला हूं, मैंने माननीय निर्माण मंत्री जी से जबानी भी कहा, लिख कर भी दिया मगर बनारस की हमारे क्षेत्र की जनता यह विश्वास नहीं करती थी कि तुम हमारे प्रतिनिधि हो, हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाते हो या नहीं, अखबार पढ़ने को नहीं मिलता। तो मैं मजबूर हो गया कि आज बोलूं। १९५१–५२ के चुनाव के बाद अपने क्षेत्र में कोशिश करके माननीय निर्माण मंत्री जी को ले गया और धनतुलसी-जंगीगंज सड़क जो बन चुकी है उसके लिये धन्यवाद है। मैं जो किताब निर्माण विभाग से छपी है जिसमें कर्मनाशा पुल का जिक्र आया है कि वह बन के तैयार है उसके लिये मैं चकिया की जनता और अपनी ओर से मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। १९५७ के बाद के जो काम अधूरे हैं उनके लिये मिल करके, लिख करके व प्रस्ताव के जरिये कई बार कोशिश की। सौभाग्य की बात है कि हम और आप अधिष्ठाता महोदय, एक ही क्षेत्र से आते हैं और एक ही नाम है। आप भी सहमत होंगे कि ज्ञानपुर डिग्री कालेज की वजह से ज्ञानपुर-दुर्गागंज-भदोही की सड़क का २० मील का टुकड़ा बहुत जरूरी है जिसके बन जाने के बाद प्रतापगढ़-जंघई की सड़क का मेल हो जाता है। अभी हम लोग प्रतापगढ़ के बजाय अयोध्या या बनारस तथा इलाहाबाद हो कर मिर्जापुर जाते हैं तो १०० मील का चक्कर लगाना पड़ता है और प्रतापगढ़-जंघई रोड बन जाने के बाद हमारा कम से कम ५० मील का अन्तर कम हो जाता है। अभी २ जनवरी को माननीय निर्माण मंत्री जी ज्ञानपुर गये थे वहां की जनता ने प्रबल शब्दों में उनसे मांग की थी, प्रस्ताव पास किये थे इस सम्बन्ध में। मेरा नम्र निवेदन है कि वह इस तरफ ध्यान दें और इसी अवधि में इस सड़क को बनवाने का कष्ट करेंगे।

मुझे यह भी निवेदन करना है कि मिर्जापुर एक ऐसा महत्वपूर्ण शहर है जो गंगा के तट पर बसा है। निर्माण के काम वहां काफी हो रहे हैं। रिहन्द डैम व चुर्क फैक्ट्री बन रही है जिसमें

कई करोड़ रुपया खर्च हुआ। वहां जाने के लिये इलाहाबाद से जाइये या बनारस होकर जाइये। लेकिन अगर मिर्जापुर का पुल बन जाय तो करीब १०० मील का चक्कर कम पड़ जायगा और यह पुल जौनपुर, मिर्जापुर और बनारस तीनों जिलों को मिलाने वाला होगा। सड़क के साथ-साथ पुल भी बहुत जरूरी है। यह भी मालूम हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मदद कर सकती है बशर्ते कि प्रान्तीय सरकार कुछ ध्यान दे।

विलीन बनारस स्टेट में ज्ञानपुर स्थान पर एक बहुत बड़ा तालाब है। लाखों रुपयों की लागत से वह बना था। उसकी मरम्मत होनी मुश्किल हो गयी है। उसका पानी खराब हो गया है। जनता की मांग है कि उसकी सफाई व मरम्मत की जाय। उसका पानी सिंचाई के काम में ले आया जाय और इस तरह से पानी की सफाई कर दी जाय ताकि फिर पानी की सुविधा वहां की जनता को हो जाय। आशा है माननीय मंत्री जी पुल, तालाब व सड़क की मांग की ओर ध्यान देंगे और यह काम जरूर किया जायगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वे इस विभाग के मंत्री हैं। सभी उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। जो मंत्री महोदय का स्वभाव है, जो मिलनसारिता है उसे सभी जानते हैं। १९५१–५२ में जब ज्ञानपुर गये थे तब से वहां कई सड़कें बनीं और लोगों को विश्वास है कि अगर निर्माण विभाग उनके हाथ में रहा तो जनता का काम अवश्य होगा। इसी आधार पर मेरा विश्वास है कि जो मेरे जिले व क्षेत्र की मांग है वह अवश्य पूरी की जायगी।

मेरा नाम बुलाने पर श्री राजनारायण जी हंसे और उन्होंने कहा कि श्री बेचनराम व श्री बेचनराम गुप्त नाम से मैंने फायदा उठाया, क्योंकि वह अध्यक्ष हैं। १९५१–५२ से लेकर देखा जाय तो हजारों बार वे बोले होंगे और मुझे पहली बार बोलने का अवसर मिला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे विरोधी पार्टी के नेता हैं लेकिन दिल से माननीय मंत्री जी की प्रशंसा ही करते हैं, यहां खड़े होकर भले ही विरोध करें। मुझे आशा है कि उनके जरिये बनारस जिले का लाभ ही होगा। अन्त में पुनः धन्यवाद देता हूं और प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो सदन के सामने कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, आप देखें कि सार्वजनिक निर्माण का जो महत्व है वह भविष्य में और भी बढ़ जायगा। इस विभाग में जो कर्मचारी अभी तक कार्य करते आये हैं वे मुस्तकिल नहीं किये गये इसलिये मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि बेलदार तथा जितने छोटे-छोटे जो कर्मचारी हैं उन सबको मुस्तकिल कर दिया जाय। आप देखेंगे कि ज्यादातर गरीब ही आदमी सड़कों या बड़ी-बड़ी नहरों में काम करने के लिये लगाये जाते हैं जैसे हरिजन या पिछड़े हुए लोग। इसलिये मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इन गरीब लोगों की तरफ जरूर ध्यान दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि आज कल जो ओवरसियर हैं उनकी ठेकेदारों से साठगांठ रहती है। कंकड़ पास करने के लिये तथा सड़क पास करने के लिये उनका ५ या शायद १० प्रतिशत तय होता है। इसलिये इसको खत्म करने की तरफ ध्यान दिया जाय। मैं चाहूंगा कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाय। एक तरफ तो ठेकेदारी प्रथा को खत्म किये जाने के लिये कहा जाता है और दूसरी तरफ अभी आठ दिन हुये इसी लखनऊ के अन्दर पूरे प्रदेश के ठेकेदारों को बुलाकर एक मीटिंग की गई जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया। ऐसी खुल्लम

[श्री द्वारिकाप्रसाद]

खुल्ला छूट दी जाती है और इस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जाता है। इस तरह की बातों को कभी भी स्वप्न में नहीं सोचा जा सकता था। अब मैं ज्यादा न कह कर आपके जरिये अपने जिले की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य का कौन-सा जिला है।

श्री द्वारिकाप्रसाद—फर्रुखाबाद श्रीमन्, तिरवा से इन्द्रगढ़ सौरिख तक सड़क बनाने के लिये जनता ने काफी समय से दरख्वास्तें दी हैं। लेकिन १२ साल हो गये उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहां पर दो थाने हैं। एक दूसरे में आने-जाने के लिये कोई साधन नहीं है। इसलिये इस २० मील के टुकड़े को अवश्य बनवा दिया जाय। आपको मालूम होना चाहिये कि हमारा जिला उपजाऊ है इसलिये सड़क बन जाने पर दूसरे जिलों में गल्ला भेजा जा सकता है। हमारे जिले में महीने में ६, ७, १० कत्ल हो जाते हैं। दूसरी सड़क ठटिहा-मुकनपुर सड़क को बिल्हौर में मिला दिया जाय। कन्नौज में राजघाट पर पुल की बहुत जरूरत है। अगर यह बन जायगा तो पीलीभीत और जालौन वगैरह कवर हो जायेंगे। इनका सर्वे भी हो चुका है और आशा है कि मंत्री जी इनको शीघ्र बनवाने की कृपा करेंगे।

हम मंत्री जी से आशा करते थे कि वह बैकवर्ड क्लास के लोगों को उनके परसेंटेज के अनुसार जगह दिलाने का प्रयत्न करेंगे और हम उनका नाम अक्सर लिया करते थे। लेकिन इधर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। पता नहीं मंत्री जी क्यों हिचकते हैं? इनको खुल्लमखुल्ला काम करना चाहिये वह चाहे जिस पार्टी के हों हम अपने आदमी को चाहते हैं। मैं आपके द्वारा मांग करूंगा कि परसेंटेज के अनुसार हमको जगहें दी जायं। आज अछूतों की बड़ी बुरी दशा ह इसलिय इनको भुलाया न जाय।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं। आज जो अनुदान प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करने के खड़ी हुई हूं। यह जो सार्वजनिक विभाग है, यह मुख्य चीज है। इसके बिना हम उन्नति नहीं कर सकते जब तक कि जिलों में सड़कों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे विकास कार्यों में सार्वजनिक विभाग का प्रमुख सहयोग है। विकास में सड़कों ने बड़ा योग दिया है। हमारे यातायात के साधन धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। यही जरूरत भी है क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत सालों से पिछड़ा रहा है। उसकी एकदम से उन्नति होना बहुत कठिन है। लेकिन धीरे-धीरे उन्नति होगी। हमको निराशा नहीं है। हमारा सार्वजनिक निर्माण विभाग आगे अवश्य उन्नति के पथ पर जायगा। पहले मुसाफिरों को बड़ी कठिनाई होती थी। उसमें यातायात के साधन बढ़ने से कमी हुई है। पहले हरिद्वार में आकर बैठना पड़ता था। इसी प्रकार लखनऊ से सीधे रोडवेज की सुविधा हो गयी है। पहाड़ों में भी रोड बन रही है। वैसे हमारे यहां कुछ सड़कें पहले की बनी हुई हैं। कुछ श्रमदान से बनी हैं। लेकिन जब से हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला है तब से यह काम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। हम आशा करते हैं कि हमारी सरकार इस दिशा में और भी तेज गति से कदम उठायेगी।

हमारे टेहरी गढ़वाल जिले में जो भागीरथी पर पुल था उसके लिए पहले भी रुपया रखा गया था लेकिन बीच में गड़बड़ी के कारण वह बन नहीं पाया। इस साल फिर उस पर काम चल रहा है। इसी प्रकार कोटेश्वर पुल के लिए एक बार १४ हजार का अनुदान रखा गया था लेकिन वह जिले के अधिकारियों के ढीलेपन के कारण नहीं हो पाया। इस साल हमारी सरकार ने उसको स्वीकार किया है। पर्वतीय जिलों में बहुत कुछ होने जा रहा है। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी सरकार दूसरे जिलों में भी इसी प्रकार का कार्य करती रहेगी।

अधिष्ठाता महोदय, निर्माण कार्य के लिए धन की बड़ी आवश्यकता होती है। हम गरीब देश के लोग हैं। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम सारी जगहों पर सड़कों का जाल

बिछा दें। कुछ जिले बहुत पिछड़े हैं, जैसे गोरखपुर या पर्वतीय क्षेत्र और उत्तराखंड के जिले हैं, जब तक इन पिछड़े जिलों को आगे बढ़े हुए जिले अपने साथ नहीं लेंगे तब तक प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। तभी आप भी उनको साथ लेकर आगे चल पायेंगे। वरना एक भाई अगर सब से नीचे है और दूसरा भाई ऊपर है तो वह यह सोचेगा कि ये भाई मेरी मदद नहीं करना चाहता।

आज जबकि हम समाजवादी ढंग से चल रहे हैं और हमारी सरकार समाजवाद की तरफ कदम उठा रही है तो इस चीज को याद रखना जरूरी है कि हम लोग समाजवाद समाजवाद चिल्लाते तो रहते हैं लेकिन समाजवाद की भावना अन्दर नहीं रहती है और जब तक समाजवाद की भावना नहीं आयेगी तब तक हम उन्नति नहीं कर पायेंगे। समाज क्या है ? वह एक-एक व्यक्ति से ही तो बनता है। इसलिए जब व्यक्ति-व्यक्ति में सुधार होगा तभी समाज में सुधार हो सकता है। इसी प्रकार से मैं कहती हूं कि हमारी जो समाजवादी सरकार है वह तभी उन्नति कर सकती है जबकि हम एक-एक व्यक्ति को सुधारेंगे और एक-एक व्यक्ति के अन्दर यह भावना आयेगी कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। बहुत देर से मैं बड़े ध्यान से अपने भाइयों के भाषण को जो इधर से भी हुए और उधर से भी हुए हैं, सुन रही थी। मैंने देखा कि हमारे बहुत से इधर के भाइयों ने भी बड़े कठोर भाषण दिये हैं। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि जब बड़े-बड़े शहरों में रोड नहीं है और वहां गाड़ियां रुक जाती हैं, बड़े-बड़े शहरों का जब यह हाल है, तो पहाड़ों और पिछड़े इलाकों का क्या हाल होगा ? जिस पहाड़ पर एक मील चढ़ने में दो-दो घंटे लगते हैं वहां के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। तो आपको पहले अपने मन को टटोलना चाहिए कि हम जो दूसरों के अवगुण निकालते हैं, पहले अपने अन्दर उन सात गुणों को तो पैदा करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं और जो उनका अनुदान पेश है उसका समर्थन मैं करती हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, बड़ी काफी देर हुई निर्माण के ऊपर चर्चा करते करते लेकिन इसकी तह पर कोई नहीं पहुंचा। सन् १९४७ में जब निर्माण हो रहा था तभी गलत निर्माण हुआ। अंग्रेजों की झाड़ी को तो हमने साफ कर दिया, लेकिन उस झाड़ी के जो ठूंठ रह गए वह हरे होकर फिर आ गए और सरकार के ऊपर छा गए। जब तक उन ठूंठों को उखाड़ कर फेंक न दिया जायगा तब तक देश का निर्माण न आज हो सकता है और न कल हो सकता है। आपके द्वारा मैं अर्ज करूंगा, सड़कों के ऊपर बात हो रही है। सड़कों का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, नदियों का निर्माण हो, फलां चीज का निर्माण हो, लेकिन पहले अपना-अपना निर्माण तो कर लो। जब हमारा पूरा निर्माण हो जायगा तब देखा जायगा। जो दल रहेंगे देश के अन्दर जिन्होंने कुर्बानियां की हैं, जिन्होंने आजादी की कीमत दी हैं है उनको पता है और एक दल लूटने वाला है और लूटने वाला ही दल इंजीनियरिंग दल है कर्मचारियों का दल है, और त्यागियों को जिन्होंने कीमत दी हैं है आजादी की उन्हें कौन पूछता है ? आज प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी, निकम्मे जो लोग थे अंग्रेजों के रखे हुए और उनकी जड़ में पानी देने वाले, उन्हीं के नाती और बेटे इंजीनियर और कलेक्टर और कप्तान हैं, तो फिर कैसे निर्माण हो सकता है ? क्या निर्माण होगा इस देश का ? इसीलिए हमने यह सब किया था ?

"लंक बहन कर दोऊ दलन पर
जा दिन तुम इसरत बरसायो

[श्री टीकाराम पुजारी]

बानर भालू खेत रहे
रावण कों दल अमर बनायो ।।
जनता जनन जानकी को
अग्नि कसौटी पर अजमायो
ऐसो क्या अपराध कियो प्रभु
तऊ तुम बनवास पठायो ।।
असुरों के सुधरे सब काम
उपजे कीकर बोये आम
रघुपति राघव राजाराम
बिलेक बढ़ावे सीताराम ।।

आपका नाम तो गिरधारी है । एक गिरधारी ने तो पर्वत उठाया था और गिरिवर उठाकर बहुत जनता की रक्षा की थी । पर आपके इस विभाग में क्या हो रहा है ? पहले जमाने में जब गिरधारी के नाम पर भगवान ने रक्षा की थी तो उस समय लोग अन्न खाते थे और आज क्या होता है । आज आपके विभाग में लोग लोहा खाते हैं, सीमेन्ट खाते हैं । यह क्या हो रहा है । जनता इस सब को देख रही है । आप याद रखें सन १९६२ में जनता आपका कल्याण करेगी और आपको इन कुर्सियों से अलग करके फेंक देगी । निर्माण की बात तो जरूर सरकार करती है पर यह निर्माण किसका करती है । यह तो अपना निर्माण कर रही है । यहां पर सदन में ये चीजें लगाई जा रही हैं । क्या इससे देश का निर्माण होगा । गिरधारीलाल जी मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप पश्चिमी जिले से आते हैं और डाक्टर सम्पूर्णानन्द पूर्वी जिले से आते हैं तो हमारे बचने की कहां गुंजायश है । राम बचावे तो बचे नहीं तो हमारी खैर नहीं है । हम तो बीच में आ गये फिर बचना मुश्किल है ।

हमारे जिले मथुरा में सादाबाद से राया जाने वाली सड़क जो कि करीब १८ मील का रास्ता है, जब वहां पर बाढ़ आती है तो लोगों के आने-जाने के लिये कोई रास्ता नहीं रहता है । सब जगह पानी भर जाता है । दो-दो महीने तक किसान नहीं जा सकता है । वहां का सारा रास्ता बन्द हो जाता है । जिस सड़क की बहुत बड़ी जरूरत है । हम चाहते हैं कि गिरधारीलाल जी मथुरा जिले की इस सड़क को चल कर देख लें कि वहां पर लोग कितने परेशान रहते हैं । नाम तो आपका बहुत अच्छा है । नाम तो रख दिया धनपति, मुंह देखा तो ये गति पर कंगाल ही मालूम होते हैं । अंग्रेजी राज्य के जो ठूंठ अभी बाकी है पहले उनको साफ करो । तब तो बात बनेगी और नहीं तो नहीं बनेगी । आप उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने देश के लिये काम किया है और यहां से अंग्रेजों को भगाया है ।

आज आप टीकाराम को विरोधी समझते हैं क्यों कि वह आपको बहुत भले की बात कहता है और जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है उनको मिनिस्टर बना दिया गया है । जिन्होंने यहां से अंग्रेजों को निकाला है उनको आप कहते हैं कि विरोधी है । आप अपने साथी, अपने भाई, और साथ मरने वाले को तो विरोधी कहते हो और जो वास्तव में विरोधी हैं उसे कंठ लगाये जा रहे हो । इसलिये जवानो उठो । नव युग का निर्माण करो और अपने हकों के ऊपर कुछ और अभी बलिदान करो । यहां लाखों आन पर मरे हैं और अपनी भरी जवानी को बर्बाद किया है । लेकिन इसके बाद भी भूलना नहीं हमारी सादाबाद वाली सड़क को, वहां की जनता बड़ी परेशान रहती है । इस विभाग में जो रुपया दिया जाता है उसका तीन हिस्सा तो लोग खा जाते हैं और एक हिस्सा निर्माण के काम में लगाया जाता है । तो इससे निर्माण क्या होगा । जब हमारा और आपका दिल सच्चा होगा तभी निर्माण हो सकेगा, तभी हमारा उद्धार हो सकेगा । तो हमारी सादाबाद-सेराया जाने वाली सड़क का ध्यान रखें । हमारे यहां से १९ मील मथुरा की मंडी और २९ मील हाथरस की मंडी है जिससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है ।

श्री अधिष्ठाता––समय समाप्त हो गया।

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)––श्रीमन्, सारे देश की प्रगति उस देश की सड़कों पर मुनहसिर होती है और यह हमारे लिये खुशी का मौका है कि जहां तक सड़कों का ताल्लुक है, हमारे सूबे ने काफी प्रगति की है और यह भी संतोष की बात है कि जो विभागीय लोग हैं, उनके काम में पहले जितने दोष निकाले जाते थे वह भी इस बार कम सुनने में आ रहे हैं। जितना रुपया सड़कों के निर्माण के लिये दिया जा रहा है उसमें भी मोहकमे ने काफी बचत दिखलायी है और काम के स्टैंडर्ड में भी पहले से ज्यादा सुधार हुआ है। पांच-छः साल पहले, जैसा कि मैंने एक सुझाव रखा था, उसके अनुसार सरकार ने इस किस्म की एक एजेन्सी बना दी है कि जो काम किया जाय वह उसको देखे, परखे और तहकीकात करके रिपोर्ट दे कि काम दुरुस्त हुआ है या नहीं।

चेयरमैन महोदय, यूं तो किसी महकमे के कामों पर धूल फेंकना मामूली खेल हो गया है आजकल का, लेकिन अगर गौर से देखा जाय तो हमें इस बात पर खुशी होनी चाहिये कि पी० डब्ल्यू० डी० आज सूबे की सच्ची सेवा कर रहा है। मुझे शायद ५ ही मिनट मिलें....

श्री अधिष्ठाता––जी नहीं। कल भी आप बोलेंगे।

श्री खूबसिंह––तो मैं एक बात की तरफ सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। ठाकुरद्वारा से सुहारा तक इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है।

श्री अधिष्ठाता––आपके जिले में काफी सड़कें बनी हैं।

श्री खूबसिंह––चेयरमैन साहब, चूंकि आप कुछ ऊंची जगह बैठे हैं इसलिये शायद कुछ कम सुनने में आ रहा है। मैं मुरादाबाद की बात कह रहा हूं, बिजनौर की नहीं। ठाकुरद्वारा को कालापानी कहा जाता रहा है और बिजनौर के अफजलगढ़ को भी कालापानी कहा जाता रहा है।

अभी भी वह कालापानी है। मैं सरकार का ध्यान शिहारा-ठाकुरद्वारा सड़क की ओर दिलाना चाहता हूं। यह मुरादाबाद जिले की सड़क है और कुछ हिस्सा इसका बिजनौर में भी है इस सड़क पर पुलों का बनना निहायत ही जरूरी है। लेकिन इस सड़क पर पुल आज तक नहीं बन पाए। हालांकि कई बार इसके लिये माननीय मंत्री जी की तवज्जह दिलाई गई। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शिहारा-ठाकुरद्वारा सड़क पर फीका नदी पर पुल बनाया जाय। इसके अलावा एक लिंक रोड ठाकुरद्वारा-शिहारा और शेरकोट-अफजलगढ़ को मिलाने के लिये दी जाय तो यह रोड १२ महीने चल सकती है और इससे काफी फायदा लोगों को हो सकता है। मेरा यह सुझाव है जिसे मैं माननीय मंत्री जी के सामने काफी दिनों से रखता चला आ रहा हूं और इस तरफ माननीय मंत्री जी को तवज्जह देनी चाहिये। इस साल जो बजट आया उसमें भी इसके लिये कुछ नहीं किया गया है। बेहतर तो यह होता कि थोड़ा बहुत काम इसी साल शुरू कर दिया गया होता। मैं नहीं जानता अगली तीसरी योजना में भी इसको लिया जा सकेगा या नहीं। इसका बनना निहायत जरूरी है और मुनासिब है। मैं अपने जिले की बात कहता हूं। दूसरे जिलों में बहुत अच्छे काम हुये हैं। आज मेरे जिले

[श्री खूबसिंह]

की हालत यह है कि कहीं पुल है तो सड़क नहीं है और कहीं सड़क है तो पुल नहीं है। दूसरे जिलों में १०-१० फुट चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं और इससे भी ज्यादा चौड़ी मगर बिजनौर में तो बहुत सी सड़कें ९-९ फिट चौड़ी बनाई गई हैं।

श्री अधिष्ठाता—अब आप अपना भाषण कल जारी रखें।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
९ मार्च, १९६०।

विधान परिषद

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

लड़कियों और महिलाओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम को निम्नलिखित ६ जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है :

(१) अल्मोड़ा,
(२) देहरादून,
(३) गोरखपुर,
(४) लखनऊ,
(५) मेरठ,
(६) वाराणसी।

इन छः जिलों में उक्त अधिनियम की धारा १३ (१) के अन्तर्गत कुल १५ स्पेशल पुलिस आफिसर नियुक्त किये गये हैं।

निम्नलिखित ९ नये जिलों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के आदेश १३ फरवरी, १९६० को जारी किये गये हैं :

(१) आगरा,
(२) अलीगढ़,
(३) इलाहाबाद,
(४) बरेली,
(५) इटावा,
(६) कानपुर,
(७) मथुरा,
(८) मुरादाबाद,
(९) सहारनपुर।

सामाजिक एवं नैतिक आरोग्य तथा उत्तर रक्षा सेवायें योजना के अन्तर्गत स्थापित १२ जिला शरणालयों एवं प्रवेशालयों तथा उद्धार गृह देहरादून को उपर्युक्त अधिनियम की धारा २१ के अन्तर्गत "प्रोटेक्टिव होम्स" के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है।

मत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

आजमगढ़ जिले में महिला मंगल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में जो मुख्य-मुख्य कार्य किये गये उनका विवरण निम्न प्रकार है :

(१)	बच्चों की संख्या जिन्हें बलबाड़ी में शिक्षा दी गई ..	२,३२१
(२)	महिलाओं की संख्या जिन्हें प्रौढ़ शिक्षा दी गई ..	३,८१०
(३)	महिलाओं की संख्या जिन्हें हस्तकला में शिक्षा दी गई ..	३,८३१
(४)	महिलाओं द्वारा हस्तकला में निर्मित की गई वस्तुओं की संख्या	३,२७१
(५)	चर्खे तथा तकलियों से काती गई सूत की गूंडियों की संख्या	९,१३७
(६)	महिलाओं की संख्या जिन्हें गृह उद्योग में शिक्षा दी गई ..	१,६३५
(७)	महिलाओं द्वारा गृह उद्योग में निर्मित की गई वस्तुओं की संख्या	१,६९६
(८)	रोगियों की संख्या जिनकी प्रारम्भिक चिकित्सा की गई	४,०५०
(९)	प्रसव के पूर्व तथा पश्चात् सम्बन्धी उपचारों में सेवा की गई महिलाओं की संख्या	१,३७६
(१०)	शारीरिक शिक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या ..	३,२१५
(११)	सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या	४,०४६
(१२)	महिलाओं द्वारा निर्मित की गई क्यारियों की संख्या जिनमें साग-सब्जी आदि बोई गई ।	३१६

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ२२ पर)

३१ दिसम्बर, १९५९ को राज्य में महिला कैदियों की जिलावार संख्या

	जिला का नाम जहां की जेलों में बन्द हैं	कैदियों की संख्या
१	इलाहाबाद ..	३३
२	लखनऊ ..	७५
३	आगरा ..	४
४	अलीगढ़ ..	४
५	अल्मोड़ा ..	१
६	आजमगढ़ ..	२
७	बहराइच ..	४
८	बलिया ..	४
९	बांदा ..	१
१०	बाराबंकी ..	५
११	बरेली ..	२
१२	बस्ती ..	८
१३	वाराणसी ..	७
१४	बिजनौर ..	२
१५	बदायूं ..	१
१६	बुलन्दशहर ..	३
१७	देवरिया ..	८
१८	देहरादून ..	२
१९	एटा ..	४
२०	इटावा ..	२
२१	फर्रुखाबाद (फतेहगढ़) ..	२
२२	फतेहपुर ..	२
		१७६

	जिला का नाम जहां की जेलों में बन्द हैं	कैदियों की संख्या
		१७६
२३	फैजाबाद ..	६
२४	गाजीपुर ..	६
२५	गोंडा ..	१३
२६	गोरखपुर ..	१५
२७	हरदोई ..	१
२८	झांसी ..	३
२९	कानपुर ..	९
३०	खीरी ..	६
३१	मैनपुरी ..	१
३२	मेरठ ..	१०
३३	मिर्जापुर ..	६
३४	मुरादाबाद ..	१
३५	मथुरा ..	७
३६	मुजफ्फरनगर ..	३
३७	पीलीभीत ..	२
३८	प्रतापगढ़ ..	१
३९	रायबरेली ..	७
४०	रामपुर ..	२
४१	शाहजहांपुर ..	१
४२	सहारनपुर ..	१
४३	सीतापुर ..	२
४४	सुल्तानपुर ..	६
४५	उन्नाव ..	४
	योग ..	२८९

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

प्रश्न सं० ४५ का संलग्नक

	रु०
१९५४–५५	५,२०९.४५
१९५५–५६	२२,३०८.९४
१९५६–५७	४४,४३८.३२
१९५७–५८	५७,४०९.९२
१९५८–५९	७७,६४०.३९

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत गोरखपुर जिले में जो धन जिस मद पर उक्त वर्षों में व्यय किया गया उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

१९५४–५५

महिला मंगल योजना पर व्यय	५,२०९.४५

१९५५–५६

१—महिला मंगल योजना पर व्यय	१३,९०९.७१
२—कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर पर व्यय ..	१,१६८.२३
३—अशासकीय संस्थाओं को दिये गये अनुदान	५,२७१.००
४—लावारिस मुर्दों के दाह संस्कार के लिये दी गई धनराशि ..	१,९६०.००
योग ..	२२,३०८.९४

१९५६–५७

१—महिला मंगल योजना पर व्यय	२३,३०९.५९
२—कार्यालय सहायक समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर पर व्यय	५,७६०.९२
३—अशासकीय संस्थाओं को दिये गये अनुदान	४,५००.००
४—नगर समाज कल्याण समिति	३,५००.००
५—लावारिस मुर्दों के दाह संस्कार के लिये दी गई धनराशि ..	२,१९७.२५
६—बाल दिवस समारोह	१,०१८.२५
७—राजकीय अन्ध विद्यालय, गोरखपुर	४,१५२.३१
योग ..	४४,४३८.३२

१९५७–५८ रु०

१—महिला मंगल योजना पर व्यय	१६,९९८.७६
२—कार्यालय सहायक समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर पर व्यय	५,४७१.१७
३—अशासकीय संस्थाओं को दी गई अनुदान	४,५००.००
४—नगर समाज कल्याण समिति	३,५००.००
५—बाल दिवस समारोह	२३०.६५
६—लावारिस मुर्दों के दाह संस्कार के लिये दी गई धनराशि ..	२,४९१.००
७—राजकीय अन्ध विद्यालय, गोरखपुर	२२,६०१.५७
८—जिला शरणालय एवं प्रवेशालय (महिला) ..	१,६१६.७७
योग ..	५७,४०९.९२

१९५८–५९

१—महिला मंगल योजना पर व्यय	२३,२३८.६२
२—कार्यालय सहायक समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर पर व्यय	३,५२४.४६
३—अशासकीय संस्थाओं को दी गई अनुदान	९,०००.००
४—नगर समाज कल्याण समिति	३,५००.००
५—बाल दिवस समारोह	२,१६६.१२
६—लावारिस मुर्दों के दाह-संस्कार के लिये दी गई धनराशि ..	२,६६२.००
७—राजकीय अन्ध विद्यालय, गोखपुर	२९,७९५.७०
८—जिला शरणालय एवं प्रवेशालय (महिला) ..	३,७५३.४९
योग ..	७७,६४०.३९

'नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	पद से पृथक (dismiss) होने का दिनांक	कारण
१	श्री भागी रथ	.. चपरासी	१६ अक्तूबर, १९५९ ।	(१) अनुशासनहीनता (in—subordination), (२) कार्य से अनुपस्थिति (absence from duty), (३) शिक्षा अधीक्षक तथा सहायक उपस्थिति अधिकारी (Education Superintendent and Assistant Attendance Officer) द्वारा स्पष्टीकरण मांगने पर इन अधिकारियों पर झूठे दोषारोपण करन (false accusation and insinuation) ।
२	श्री बाबूराम प्रार्थी	.. एकाउन्टेंट	१४ नवम्बर, १९५९।	(१) For gross misconduct delinquency and neglect of duty (कार्य में खराबी तथा लापरवाही), (२) बोर्ड के खाते (accounts) या तो रखे नहीं गये या गलत ढंग से रखे गये, (३) स्पष्टीकरण मांगने पर अभद्र व्यवहार।
३	श्री रफत उल्लाह शाह	कार्यवाहक कर अधीक्षक।	२४ दिसम्बर, १९५९।	(१) बोर्ड के अधिकारियों को धोखा देना, (२) आयकर को कम कूतना (under-assessment) ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

जिला बस्ती

बस्ती जिले में महिला मंगल योजना के अन्तर्गत १,४०१ बच्चों को बालबाड़ी में और ४६६ महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षा दी गई। १,५२९ महिलाओं को हस्तकला में प्रशिक्षण दिया गया जिनके द्वारा ९९४ वस्तुएं तैयार की गईं। चर्खे तथा तकलियों से ३६७ गुंडी सूत ग्रामीण महिलाओं द्वारा काता गया। ४३८ महिलाओं को गृह उद्योग में शिक्षा दी गई जिनके द्वारा ४५६ वस्तुएं तैयार की गईं। ६५९ रोगियों की चिकित्सा ग्राम सेविकाओं द्वारा की गई। १,३३३ बच्चों ने शारीरिक शिक्षा में और १,०७९ महिलाओं ने सास्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। ग्रामीण महिलाओं द्वारा ३५८ क्यारियों का निर्माण किया गया जिनमें साग-सब्जी आदि बोई गई।

जिला गोरखपुर

गोरखपुर जिले में २,३२२ बच्चों को बालबाड़ी और २,९१७ महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षा दी गई। ४,३०० महिलाओं को हस्तकला में शिक्षा दी गई जिनके द्वारा ६,४४९ वस्तुएं तैयार की गईं। चर्खे तथा तकलियों से ५,६०३ गूंडी सूत ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किया गया। १,५३४ महिलाओं को गृह उद्योग में शिक्षा दी गई जिनके द्वारा १,९१३ वस्तुएं तैयार की गईं। १,०१३ रोगियों की चिकित्सा ग्राम सेविकाओं द्वारा की गई और ९८८ महिलाओं को प्रसव के पूर्व तथा पश्चात् आवश्यक सुझाव दिये गये। १९२४ बच्चों ने शारीरिक शिक्षा में और ३,५९२ महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। ग्रामीण महिलाओं द्वारा २०४ क्यारियों का निर्माण किया गया जिनमें साग सब्जी आदि बोई गई।

जिला देवरिया

देवरिया जिले में ३,२८४ बच्चों को बालबाड़ी में और २,७७० महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षा दी गई। ७,४७३ महिलाओं को हस्तकला में शिक्षा दी गई जिनके द्वारा ५,९९१ वस्तुएं तैयार की गईं। ३,१५७ महिलाओं को गृह उद्योग में शिक्षा दी गई जिन्होंने २,७२२ वस्तुओं का निर्माण किया। ३,०५० रोगियों को दवा दी गई और १९५ महिलाओं को प्रसव के पूर्व तथा पश्चात् आवश्यक उपचारों के सम्बन्ध में शिक्षा दी गई। ग्रामीण महिलाओं द्वारा ५,८३७ गुंडी सूत काता गया तथा ९०२ क्यारियों का निर्माण किया गया जिनमें साग-सब्जी आदि बोई गई।